पंचम माला, खंड 59, अंक 19, शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1976/ 13 चैत्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LIX, No. 19, Friday, April 2, 1976/Chaitra 13, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19, शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1976/13 चैत्र, 1898 (शक)

No. 19, *Friday*, *April* 2, 1976/*Chaitra* 13, 1898 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 362 से 364, 366 से 369 और 372 से 374	Starred Questions Nos. 362 to 364, 366 to 369 and 372 to 374	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 361, 370, 371 और 375 से 380	Starred Questions Nos. 361, 370, 371 and 375 to 380	18—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 से 1881, 1883 से 1923 और 1925 से 1935	Unstarred Questions Nos. 1837 to 1881, 1883 to 1923 and 1925 to 1935	22—79
सभा पटल पर रखे गये पत्र--	Papers Laid on the Table	79—81
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	81
लोक लेखा समिति--	Public Accounts Committee—	
193 वां प्रतिवेदन--प्रस्तुत किया गया	Hundred and Ninety-third Report presented	81—82
अनुदानों की मांगें, 1976-77--	Demands for Grants, 1976-77 —	
गृह मंत्रालय--	Ministry of Home Affairs	82—88
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	82—87
नौवहन और परिवहन मंत्रालय--	Ministry of Shipping and Transport	89—105
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	89—90
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	97—98
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chowhan	98
श्री चिरंजीव झा	Shri Chiranjib Jha	98
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	98—99
श्री आर० एन० बर्मन	Shri R.N. Berman	99
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	100—101

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
श्री टुना उरांव	Shri Tuna Oraon	101
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	101—102
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	102—104
श्री एच० एम० त्रिवेदी	Shri H. M. Trivedi	104—105
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
61वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Sixty-first Report adopted	105
संविधान में परिवर्तन के बारे में संकल्प—	Resolution *Re.* Changes in the Constitution—	
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	106—107
श्री डी० के० पण्डा	Shri D. K. Panda	107
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	107—108
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	108
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	108—109
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	109
श्री के० एम० 'मधुकर'	Shri K. M. 'Madhukar'	109
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	109—10
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	110—11
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	111—13
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey	113
श्री गिरिधर गोमांगो	Shri Giridhar Gomango	113—14
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	114
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	114—15
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	115—16
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	116
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	116
श्री आर० पी० यादव	Shri R. P. Yadav	117
श्री था किरुत्तिनन	Shri Tha Kiruttinan	117—18
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	118
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	119
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द	Shri Swami Brahmanand	119
डा० रुद्र प्रताप सिंह	Dr. Rudra Pratap Singh	119—20
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	120—21
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	Shri K. P. Unnikrishnan	121—22
बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में संकल्प—	Resolution *Re.* Multinational Corporations—	
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	122—23

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 2 अप्रैल, 1976/13 चैत्र, 1898 (शक)

Friday, April 2, 1976/Chaitra 13, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Export of Carpets

*362. **Sh. K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether India's share in the world trade in carpets is almost negligible ;

(b) whether Government have taken any steps to maximise export of Carpets ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) It is estimated that the volume of world trade in hand-knitted oriental carpets is of the order of Rs. 400 crores. India's share of this market is about 10%.

(b) & (c). Usual package of export incentives are available to exporters.

Sales-cum-study teams are being sent to make promotional efforts in selected markets and display of carpets abroad in exhibitions is being arranged. The production base for exports is being strengthened by a massive training programme.

Shri K. M. Madhukar : Our carpets had earned world wide fame. During the British regime carpets of Mirzapur were exported to West Germany, France and so many other Countries. At that time it was a famous industry of the Country. But afterwards it started declining. The hon. Minister has just stated that the volume of world trade in hand-knitted Oriental Carpets is of the Order of Rs. 400 crores. India's share of this market is about 10 percent. I would therefore like to know what action has been taken by the Government to raise substantially the production of Carpets in the Country so that we can find international market for them and are able to earn foreign exchange through export of Carpets to Britain, Newzeland, Canada, Australia, West Germany etc. More than three lakhs people are engaged in Carpet industry. What concrete steps Government propose to take to employ more and more persons in this industry so that the production of Carpet also goes up.

Shri Vishwanath Pratap Singh : As I have stated that India's share of this market is about 10 percent. Our export is increasing. In 1972-73 this export was to the tune of 21·44 crores and I hope in 1975-76 the export will be of the order of Rs. 40 crores. In these four years the export has almost doubled. The increase has been about hundred percent.

1016 LS—10

We have earmarked more money, in the present budget, for the development of this Industry. Last year only Rs. 40 crores were allocated to this industry but this amount has been raised to 192 lakhs in the current budget. Besides following steps have been taken for the development of this industry.

(i) 46 weaving Centres have already been established in the Country and we intend to set up such 120 centres more in the year 1976-77.

(ii) 12 Marketing and Servicing Extention Centres are already running in the Country and we intend to increase their number also.

(iii) we are thinking of opening an institute for Carpet technology.

(iv) A special plan is being formulated for the development of blanket industry in J&K and Himachal Pradesh.

Shri K. M. Madhukar : Mr. Speaker, Sir, there is a carpet knitting Centre in Bhadohi and it has helped in increasing the Carpet trade. The hon. Minister has just stated that 46 training centres have already been opened and they wanted to set up some more also. I would like to know whether they will set up such a Centre in the Mahesi Village of Bihar where in the long past Carpet knitting work was being done.

Mr. Speaker : You are digressing. From export you have gone to the question of training centres.

Shri K. M. Madhukar : How is export possible in absence of production. I want to know whether any plan has been formulated to open a training Centre at Mahesi in East Champaran of Bihar, where Carpet knitting work was done in the past.

Shri Vishwanath Pratap Singh : There is already one training Centre working at Orera in Bihar. As far the location of these 120 new training Centres is concerned our endeavour will be to open these Centres nearby only those places where Carpet knitting work is already being carried so that these industries could take advantage of them.

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मंत्री महोदय ने बताया है कि कालीनों के विश्वव्यापार की मात्रा 400 करोड़ रुपये है इसमें से 300 करोड़ रुपये के कालीन ईरान द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और 100 करोड़ रुपये के कालीन भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों से सप्लाई किए जाते हैं। ईरानी कालीनों के मूल्य बहुत अधिक हैं। विश्व मंडी और कालीनों की मांग के बीच काफ़ी अन्तर और इस अन्तर को पाकिस्तान भरने की कोशिश कर रहा है उन्होंने अपना निर्यात 100 करोड़ रुपये तक बढ़ा लिया है लेकिन भारत का निर्यात केवल 40 करोड़ रुपये तक ही पहुंचा है अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कालीन उद्योग की समस्याओं, जैसे धागे का उत्पादन और आयात तथा कालीनों के निर्यात इत्यादि को देखने हेतु क्या वह एक कालीन निगम की स्थापना करेंगे। क्या वे कालीन निगम की स्थापना के बारे में विचार करने के लिए तैयार हैं। इस संबंध में कुछ समय पहले प्रस्ताव किया गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कालीनों के विकास कार्य की देखभाल हथकरघा उद्योग द्वारा की जाती है। एच० एच० ई० सी० निर्यात के विभिन्न पहलुओं को भी देखता है अत: इस समय सरकार पृथक से कालीन निगम स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं समझती।

जहां तक विश्व मंडी में प्रतिस्पर्द्धा का संबंध है सरकार इस दिशा में सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं यद्यपि पाकिस्तान के कालीन निर्यात में वृद्धि अवश्य हुई है पर साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि पाकिस्तान

अपने कालीनों के निर्यात हेतु आयातित ऊन पर निर्भर करता है लेकिन हम अपनी स्वदेशी ऊन पर निर्भर हैं। हम ईरानी डिजाइन ले रहे हैं। एच० एच० ई० सी० ने 220 डिजाइन प्राप्त किये हैं और वह हमारे डिजाइनरों को दिये जा रहे हैं।

पोलैंड में होने वाले पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेना

363. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोलैंड में होने वाले पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस में अनुमानित कितना व्यय होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अनुमानित व्यय 4.25 लाख रुपये है।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पहले भी पोलैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया था और क्या भारत ने भी उस में भाग लिया था; यदि हां, तो भारत की ओर से मेले का संयोजक कौन था और उस से क्या गलतियां हुईं। क्या सरकार ने अब इस बारे में पर्याप्त पूर्वोपाय किये हैं ताकि इन गलतियों की पुनरावृति न हो साथ ही इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मेले से भारत को कितना लाभ अथवा हानि हुई।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रश्न आगामी मेले के संबंध में है पिछले मेले में भी हमने भाग लिया था लेकिन पिछले मेले के ब्यौरों को बताने के लिये मुझे पहले नोटिस दिया जाये।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि पोलैंड में इस मेले का आयोजन कब किया जा रहा है और भारत की ओर से इसका संयोजक कौन है तथा क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस बार कुछ गलती नहीं होगी तथा प्रस्तावित मेले के द्वारा भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मेलों में और बढ़ेगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मेला 6 जून से 17 जून 1976 के बीच लगेगा। निश्चय ही इस मेले के द्वारा भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

नियंत्रित कपड़े के डिपो खोलना

+

*364. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री नारायण चन्द पराशर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने निर्धन व्यक्तियों को नियंत्रित कपड़ा सप्लाई करने के लिये ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में डिपो खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में विशेषकर बिहार और मध्य प्रदेश राज्यो में अब तक कितने डिपो खोले गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख). राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने केवल कन्ट्रोल के कपड़े की सप्लाई के लिये कोई डिपो नहीं खोले हैं। हां, इसने 9 गोदाम और 46 खुदरा प्रदर्शन कक्ष खोले हैं जहां इस के उत्पाद बिक्री के लिये रखे जाते हैं, जिन में कुछ मात्रा में कन्ट्रोल का कपड़ा भी होता है। ये गोदाम और प्रदर्शन कक्ष उन 250 से अधिक एकल मिल दुकानों के अलावा हैं जो राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक निगमों द्वारा चलायी जाती हैं। एक गोदाम मध्य प्रदेश में है और तीन प्रदर्शन कक्ष बिहार में हैं। राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने सामान्य कीमतों पर जनता क्लाथ बेचना भी आरम्भ कर दिया है जिसका उद्देश्य जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों को लाभ पहुंचाना है।

श्री एन० ई० होरो : ग्रामीण लोगों को नियंत्रित मूल्यों पर कपड़ा प्राप्त नहीं हो रहा है और न ही उन्हें सस्ता कपड़ा सप्लाई किया जा रहा है क्योंकि जिस कार्यक्रम द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को कपड़े की दुकानों में लगाने की योजना थी वह प्राय: असफ़ल हो गई है क्योंकि ग्रामीण बैंकों ने उन्हें ऋण देने से इन्कार कर दिया है। बैंक अपने नियमों के अनुसार उन व्यक्तियों को ऋण नहीं देते जो कि बैंक से पांच मील से अधिक दूरी पर रहते हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक निश्चित अवधि के भीतर सभी पंचायतों में विशेषकर बिहार में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की वितरण दुकानें खोलेगी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम की 250 एकल मिल दुकानें तथा निगम के सहायक निगमों की भी 268 एकल मिल दुकानें हैं इस के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनीयों जैसे तेल निगम, डिफ़ेंस कैंटिन, राज्य सिविल सप्लाई निगम इत्यादि की भी अपनी 500 एकल मिल दुकानें हैं जिन के माध्यम से वे राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बनाये जाने वाले कपड़े को बेचते हैं। अत: एकल मिल दुकानों की संख्या एक हजार के लगभग है। लेकिन अब जब कि हम कार्य-क्रम के कार्यन्वयन की प्रारम्भिक अवस्था में ही हैं, मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि सभी पंचायतों को इस के अंतर्गत ले लिया जायेगा। इस कार्य को थोड़ा समय अवश्य लगेगा। हमारी कुछ दुकानें पंचायतों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।

श्री एन० ई० होरो : मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं और जो चित्र प्रस्तुत किया है वह सही नहीं है क्योंकि वितरण दुकानें केवल शहरी क्षेत्रों में हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में चिन्तित हूं। आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीणों को सस्ता कपड़ा तथा नियंत्रित दरों पर कपड़ा उपलब्ध हो ताकि उन्हें सस्ता कपड़ा खरीदने के लिये शहरों तक न आना पड़े। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यदि वह राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से गांवों में सस्ता कपड़ा उपलब्ध नहीं करा सकती तो वह अन्य कौन से उपाय करेगी जिन के द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर ग्रामों में तथा पंचायतों में सस्ता कपड़ा मिलने लगेगा। यह 20-सूत्री कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलु है। यदि सरकार ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो क्या वह 20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित न कर पाने में अपनी असफ़लता को स्वीकार करती है।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण फ़िलहाल राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन बंद किया हुआ है अत: राष्ट्रीय कपड़ा निगम इस समय कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन नही कर रहा है अतः कंट्रौल के कपड़े के वितरण का प्रश्न ही नही उठता तथापि मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी एकल मिल दुकानें नहीं हैं क्योंकि यह नया कार्यक्रम है अर्थात् केवल राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कपड़ों को बेचने की नई प्रस्तावित योजना है। लेकिन पहले राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बनाया जाने वाला कपड़ा राज्य सरकारों की मंजूरशुदा दुकानों तथा सहकारी दुकानों के माध्यम से भी बेचा जाता था अत: राष्ट्रीय कपड़ा निगम जबकि वह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कंट्रोल का कपड़ा उत्पादित कर रहा था, तो वह कपड़ा ग्रामों तक पहुंचता था। मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक एकल मिल दुकानों के खोले जाने की आवश्यकता है। हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

श्री एन० ई० होरो : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं यदि आप ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा विकल्प क्या है।

श्री बी० वी० नायक: यदि आज महात्मा गांधी जिन्दा होते तो वह महंगे खद्दर की बजाय ग्राम लोगों के लिए जनता कपड़े के प्रयोग पर बल देते। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरी इस बात को सुझाव के रूप में अस्वीकार नहीं करेंगे। हमारे देश में खादी भण्डार काफी संख्या में हैं लेकिन ये खादी भण्डार सम्भवतः आदर्शवादी तथा अन्य पारस्परिक कारणों के कारण मिल का कपड़ा नहीं बेचते। यदि यह ऐसे करने लगे तो श्री होरो के प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। सरकार को चाहिए कि वह सारे देश में फैले हुए खादी वितरण केन्द्रों का उपयोग इस उद्देश्य हेतु छोटे तथा बड़े शहरों तथा गांवों में करें। देश की ग्राम जनता के लिए नियन्त्रित दर पर जनता कपड़े के वितरण के लिए सरकार इस संगठन को विशेष सहायता दी जाती।

प्रो० डी० ी० चट्टोपाध्याय : यह एक रचनात्मक सुझाव है हम इस पर विचार करेंगे लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि कण्ट्रोल के कपड़े और जनता कपड़े में अन्तर है। राष्ट्रीय कपड़ा निगम की जनता कपड़ा बनाने की अपनी एक परियोजना है जो कि कण्ट्रोल के कपड़े से भिन्न है यद्यपि राष्ट्रीय कपड़ा निगम आजकल कण्ट्रोल का कपड़ा नहीं बना रहा फिर भी उसने जनता फैब्रिक्स उत्पादित करने की परियोजना चालू की है जिसे कि वह सस्ती दरों पर बेचेगा। यह कपड़ा वह अपनी दुकानों के माध्यम से प्रत्यक्ष बेचेगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं को यह कपड़ा अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर प्राप्त होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मन्त्री ने सुझाव स्वीकार कर लिया है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हुं मैं यह जानना चाहता हुं कि क्या आधुनिकीकरण के लिए कोई राशि दी गई है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हुं क्योंकि कुछ मिलें बहुत पुरानी हैं और उनके आधुनिकीकरण के लिए राशि नहीं है.

अध्यक्ष महोदय : आधुनिकीकरण एक पृथक् प्रश्न है। प्रश्न डिपो खोलने के सम्बन्ध में है। आप वितरण के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आधुनिकीकरण के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आम जनता में बांटा जाने वाला कपड़ा क्या उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। क्या जनता कपड़े के उत्पादन के मामले में आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता दी जाएगी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : [जैसा कि मैंने पहले कहा कि खराब वित्तीय स्थिति के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम इसे अपने हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है। आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में राशि का आवंटन किया गया है। इस राशि का कुछ भाग राष्ट्रीय कपड़ा निगम को भी दिया जाएगा ताकि इसके कुछ पुराने एककों का आधुनिकीकरण किया जा सके और इस प्रकार न केवल वह कण्ट्रोल का कपड़ा उत्पादित करने में ही अपितु जनता कपड़ा उत्पादित करने में भी समर्थ होंगे।

जीवन बीमा निगम द्वारा योजनाओं के लिए ऋण दिया जाना

*366. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने जनवरी, 1976 के दौरान अनेक आवास योजनाओं के लिए ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की कुल राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) इस अवधि में जीवन बीमा निगम ने 15.08 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये हैं।

श्री पी० गंगादेव : जीवन बीमा निगम, आवास वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण से अधिक ब्याज पर ऋण देता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार ब्याज दर में कमी करने का विचार है। ताकि गृह निर्माता जीवन बीमा निगम से ऋण लेने के लिये प्रोत्साहित हों। यदि नहीं तो ब्याज की दर में कमी न करने के क्या कारण हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री पी० गंगादेव : निम्न, मध्य और उच्च वर्गों की आय को ध्यान में रखते हुये किस अनुपात में ऋण दिया जाता है। इन वर्गों को किस दर तथा किन-किन शर्तों पर ऋण दिया जाता है जिससे कि कम आय वाले लोग गांवों में मकान बनाने के लिये प्रेरित हो सकें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जीवन बीमा निगम ने अब तक विभिन्न आवास योजनाओं के लिये 580 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। राज्य सरकारों और आवास तथा नगरीय विकास निगम को दिये गये ऋणों से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा है। सुगठित सहकारी समितियों तथा शिखरीय निकायों को अधिक ऋण देने का प्रश्न आवास मन्त्रालय के विचाराधीन है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या आवास योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक आवास भी शामिल है ? यदि हां तो क्या सरकार योजना के अन्तर्गत उद्योगों को सीधी सहायता देती है अथवा राज्य सरकारों के द्वारा उन्हें सहायता देती है, यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं कह चुकी हूं कि ये विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या औद्योगिक विकास भी उन श्रेणियों में से एक है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां, यह उनमें से एक है । गैर सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश का केवल 10 प्रतिशत भाग उस योजना के अन्तर्गत आ सकता है । यह भाग 10 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ सकता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऋणों को राज्य सरकारों के द्वारा दे रहे हैं अथवा सीधे दे रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ये ऋण राज्य सरकारों अथवा आवास तथा नगरीय विकास निगम के द्वारा दिये जाते हैं ।

Shri B.S. Bhaura : Housing loan by the LIC is restricted to a few states only. It is not given to the regions having less populaion. People of the urban areas take loans from various resources including Bank. Will you issue some instructions to the LIC that the loan should be given in most of the cases to the small cities of villages so that this loan could be utilised for agriculture labour and rural housing. I want to know wheher you are going to extend it to such places and regions ?

Shrimati Sushila Rohatagi : The hon. member is very correct. It could not be extended to such areas. LIC i s considering this issue. I have already pointed out that LIC gives loan to the Cooperative Societies and Public Limited companies.

बाढ़ और तुफानों की अग्रिम चेतावनी देने वाले केन्द्र

*367. श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) बाढ़ और तूफान के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए देश के विभिन्न स्थानों में कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं और वे कहां कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या ये केन्द्र सम्पूर्ण देश के लिये काम करते हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर एक विवरण रखा है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय जल आयोग ने बाढ़, चेतावनियां तैयार करने तथा जारी करने के लिए दिल्ली, लखनउ पटना, भुवनेश्वर, गौहाटी, जलपाइगुडी, सूरत तथा हैदराबाद में 8 केंद्र स्थापित किए हैं। केन्द्रीय जल आयोग को मौसम सम्बन्धी सहायता भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा गोहाटी, पटना भुवनेश्वर, जलपाइगुडी, लखनऊ, दिल्ली तथा अहमदाबाद में कार्य कर रहे अपने सात बाढ़ मौसम केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग भारी वर्षा तथा तीव्र हवाओं के लिए चेतावनियां केवल उस समय देता है जब वे चक्रवात् तूफानों तथा स्थानीय अधोवायु (कन्वैक्टिव) तूफानों के साथ सम्बद्ध हों। कलकत्ता, (अलीपुर), भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, मद्रास तथा बम्बई स्थित पांच केन्द्र चक्रवात तूफानों की चेतावनियाँ जारी करते हैं। इनके अतिरिक्त मोहनबाड़ी, गौहाटी, अगरतला, कलकत्ता (दमदम), पटना, भुवनेश्वर, लखनऊ, दिल्ली (पालम), दिल्ली (सफदरजंग), जयपुर, श्रीनगर बम्बई, (साँताकूज), अहमदाबाद, नासिक, नागपुर, मद्रास, (मीनम्बक्कम), हैदराबाद, बंगलौर, विशाखापत्तनम तथा त्रिवेन्द्रम विमान क्षेत्रों पर स्थित 20 केन्द्र भी तड़ित झंझा, ओलों, काल वैसाखियों (नारवैस्टर्सर) आंधियों तथा बवडंरों जैसी स्थानीय अधोवायु गतिविधियों के विरुद्ध चेतावनियां देने का कार्य कर रहे हैं।

(ख). मुख्य बाढ़ शील नदियां केन्द्रीय जल आयोग के बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों के क्षेत्र में आ जाती हैं। देश का समूचा तटवर्ती क्षेत्र (बेल्ट) चक्रवात चेतावनियों के सम्बन्ध में भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्र में आता है। मुख्य विमान क्षेत्रों पर भी स्थानीय मौसम को चेतावनियों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : वक्तव्य में कहा गया है कि केन्द्रीय जल आयोग ने बाढ़, चेतावानियां तैयार करने तथा जारी करने के लिये दिल्ली, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर, गौहाटी, जलपाईगुड़ी, सूरत तथा हैदराबाद में 8 केन्द्र स्थापित किये हैं। केन्द्रीय जल आयोग के मौसम सम्बन्धी सहायता भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रदान करता है।

इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान विभाग किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है और ये केन्द्र क्या अपने ज्ञान तथा मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सहायता द्वारा लोगों को बाढ़ तथा आंधी की चेतावनी देता है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मौसम विज्ञान विभाग के अधीन काम करने वाले इन केन्द्रों की जिम्मेदारी वर्षा, वायु दिशा और वायु मात्रा के बारे में बुनियादी सूचना देना है और इसी सूचना के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग अपना विचार बनाता है और बाढ़ की चेतावानियां तैयार करता है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मौसम विज्ञान विभाग किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : बुनियादी सूचना मौसम विज्ञान विभाग के नियंत्रण में यही केन्द्र देते हैं ।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : मेरा अगला प्रश्न यह है गत वर्ष बिहार तथा 2 वर्ष पहले आसाम में अभूतपूर्व बाढ़ आयी थी । मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित ये केन्द्र उन बाढ़ों के बारे में चेतावनी जारी करने में सक्षम थे ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : तीन वर्ष पहले क्या हुआ, यह कहना मेरे लिये मुश्किल है क्योंकि ये 8 केन्द्र सिचाई मंत्रालय के नियंत्रण में हैं और हम इनसे उसी सीमा तक सम्बन्धित है जहां हमें वह बुनियादी सूचना उपलब्ध करनी पड़ती है जिसके आधार पर बाढ़ के बारे में चेतावनी जारी की जाती है ।

Shri Ramavatar Shastri : There was a devastating flood in Patna in August, 1975 and your centres are also located there. It is fact that your Deparment did not issue warnings to the people about this flood which caused damages worth crores of Rupees ; if so, what action was taken in this behalf ?

Shri Surendra Pal Singh: We had performed our responsibility conveying the warnings about rains to these 8 centres. Now it is difficult to say whether the C.W.C. Centres issued the warning in time.

Mr. Speaker : They issued it but it could not reach further.

श्री दिनेश चन्द्र (गोस्वामी) : सभी जिम्मेदारी वाली व्यवस्था में जिम्मेवारी को एक मंत्रालय द्वारा दूसरे मंत्रालय पर थोंपना ठीक नहीं है । हम बाढ़ की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मंत्री महोदय को यदि पूरी जानकारी नहीं है तो वे दूसरे मंत्रालय को पूछ सकते हैं । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमें कोई चेतावनी नहीं दी गयी क्या मंत्री महोदय इस बात का पता लगायेंगे कि क्या इस प्रकार की सूचना दी गयी थी और इसका उपयोग नहीं किया गया और किस विभाग ने इसका उपयोग नहीं किया ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जिम्मेवारी थोंपने वाली किसी भी बात का प्रयास नहीं किया गया है : दोनों मंत्रालय निकट सहयोग द्वारा काम कर रहे हैं लेकिन इनके कार्य पृथक तथा भिन्न हैं । एक ओर तो बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाली संस्थायें आठ खंडों द्वारा काम करती हैं जबकि दूसरी ओर भारी वर्षा तथा तूफान की भविष्यवाणी की जाती है । दोनों के निकट सहयोग से काम करना पड़ता है : जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम तूफानों और मौसम के बारे में चेतावनी देने के लिये रेडियों तथा दूर संचार व्यवस्था द्वारा काम कर रहे हैं । जहां तक भविष्यवाणी की सत्यता का सम्बन्ध है, मैं आपको बता सकता हूं कि गत 75 दिनों के दौरान 80 प्रतिशत चेतावनियां सच; पांच प्रतिशत गलत और शेष आधी सच्ची निकली हैं ।

कर अपवंचन तथा अघोषित आस्थियों के मामले

+

*368. **श्री एस० एम० बनर्जी** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अघोषित आस्तियों को अपने कब्जे में लेने और सम्बन्धित रईस व्यक्तियों द्वारा आय-कर अपवंचन का निर्धारण करने के लिये कोई अनुवर्ती कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने गत तीन महीनों में इन उपायों के परिणामस्वरूप कुल कितनी राशि अघोषित सम्पत्ति के रूप में निर्धारित की और उस पर कितना कर वसूल किया ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) अघोषित परिसम्पत्तियों का पता लगाने और कर-अपवंचन का मुकाबला करने के लिए, सरकार, समय समय पर, दण्डात्मक तथा निवारणात्मक दोनों प्रकार के आवश्यक उपाय करती रही है ।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) आयकर अधिकारियों द्वारा ली जा रही तलाशी और माल पकड़ने की कार्यवाहियों की गति को और तेज कर दिया गया है । हाल ही में अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1975द्वारा संविधि में ऐसे संशोधन किए गए हैं जिनका उद्देश्य काले धन का पता लगाने और उसकी संवृद्धि को रोकने तथा कर अपवंचन का मुकाबला करने आदि के लिए उपाय निकालना है । तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 में, तस्करों और विदेशी मुद्रा छलसाधकों की गैर कानूनी ढंग से हासिल की गई सम्पत्तियों को जब्त करने की व्यवस्था है ।

(ग) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है और उसे देश भर के धन कर आयुक्तों से एकत्र करना पड़ेगा। इसमें काफी समय और श्रम लगेगा जो उससे प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले/मामलों अथवा क्षेत्र के बारे में कोई विशेष सूचना प्राप्त करना चाहें तो वह एकत्र कर के प्रस्तुत की जा सकती है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आपका ध्यान वक्तव्य की आखारी पंक्ति की ओर दिलाना चाहता हूं :—

> फिर भी, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले/मामलों अथवा क्षेत्र के बारे में कोई विशेष सूचना प्राप्त करना चाहें तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है" ।

मैंने प्रश्न को एक महीने पहले भेजा था । अतः मेरी इच्छा थी कि कोई सूचना एकत्र की जाये। तीन महीने की प्रयोग की अवधि, जिसमें 1500 करोड़ प्राप्त हुये हैं; उससे सरकार को कुल कितना शुद्ध लाभ है ? क्या यह सच है कि शुद्ध लाभ केवल 250 करोड़ रुपये है ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हम इस प्रश्न का उत्तर अनेक बार दे चुके हैं कि आय तथा सम्पत्ति सम्बन्धी स्वैच्छिक प्रकटन योजना द्वारा 248 से 249 करोड़ रुपये प्राप्त हुये हैं जिसमें से 160 करोड़ रुपये जमा किये गये और शेष राशि अगले वर्ष जमा की जायेगी इससे पहले हम अन्य लाभों के बारे में भी विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल चुके हैं। माननीय सदस्य की पहली बात के बारे में कहना चाहूंगा

कि देश में सम्पत्ति कर निर्धारितियों की कुल संख्या 23 लाख है । माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि गत तीन महीनों के दौरान सरकार ने कितनी अघोषित सम्पत्ति का निर्धारण किया है और उससे कर की कितनी राशि एकत्र की गयी। जब तक माननीय सदस्य विशिष्ट जानकारी न दें, तब तक मैं 2.3 लाख करदाताओं की जांच कैसे कर सकता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, मैं केवल राम रतन गुप्त के मामले में जांच पड़ताल चाहता हूं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अभियान से यह सिद्ध हो गया है कि करोड़ रुपये का काला धन है। यह राशि केवल चार हजार छः हजार अथवा आठ हजार करोड़ नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से इस से कहीं ज्यादा है । ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल विमुद्रीकरण ही इस समस्या का एकमात्र हल है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमें पता है कि काला धन प्रचलित है। हमने कभी दावा नहीं किया कि स्वच्छया प्रकटन अथवा तलाशियों और छापों के अभियान को तेज करने से काले धन का प्रचलन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है । हम ने किसी सीमा तक इसे रोका जरूर है।

जहां तक विमुद्रीकरण का प्रश्न है सरकार का विमुद्रीकरण करने का अभी कोई इरादा नहीं है ॥

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : गत सत्र में तकस्तक तथा विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 के पारित किये जाने के बाद क्या सरकार ने इस अधिनियम के आधार पर अभी तक किन्हीं तस्करों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हैं, तो हमें जब्त की गई सम्पत्ति अथवा सम्पहरण का ब्यौरा दिया जा सकता है ? मंत्री महोदय ने वक्तव्य के अन्त में यह वचन दिया था कि यदि हम कोई विशिष्ट जानकारी चाहते हैं तो वह आवश्यक जानकारी देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे ऐसी फर्मों तथा व्यक्तियों के बारे में जानकारी दें, जिन की ओर बकाया राशि 10 लाख रुपये से अधिक है ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का प्रश्न है, हम ने 46 पार्टियों को नोटिस जारी किये हैं तथा इस में चल तथा अचल दोनों तरह की 165 लाख रुपये की सम्पत्ति अन्तग्रहस्त है । कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। नोटिस जारी कर दिये गये हैं। यथा समय मैं माननीय सदस्य को बता सकूंगा कि कितनी राशि वसूल की गई है । इस बात का ध्यान में रखा जाना चाहिये कि प्राधिकरण जनवरी के अन्त में स्थापित किया गया था तथा तब से ही उस ने कार्य करना आरम्भ किया है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्य कि विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जानकारी एकत्र जा सकती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं 10 लाख से अधिक की बकाया राशि के बारे में जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि यह जानकारी उनके पास इस समय उपलब्ध न हो। वह इसे एकत्र कर लेंगे।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने काले धन के पता लगाने के बारे में वाचू सिमित की विभिन्न बकाया सिफारिशों पर भी विचार किया है?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : हमने वाचू समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कर विधि में संशोधन किया है इसमें उसकी अधिकांश सिफारिशें शामिल कर ली गई हैं।

श्री रामसहाय पाण्डेय : वाचू समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने उन मामलों के निबटारे के लिये जिन में मुकदमे चल रहे हैं, एक निदेशालय स्थापित किया है। इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह निदेशालय नहीं है, समझौता आयोग है। यह 1 अप्रैल से कार्य करने लगा है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा प्रकृतिक रबड़ का निर्यात

†369. **श्री आर० एन० वर्मन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने को अनुमति दी गई है;

(ख) क्या निर्यात की जानेवाली किस्म के रबड़ का उपयोग देश के भीतर रबड़ की वस्तुएं बनाने के लिए किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उस की ऐसी कितनी क्षमता उपलब्ध है और इसमें से कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) 1975 के दौरान रबड़ की वस्तुएं बनाने के लिए इस उद्योग को स्थापित क्षमता इतनी थी कि लगभग 2 लाख मीटरी टन प्राकृतिक रबड़ और संश्लिष्ट रबड़ को खपत कर सकें। वर्ष के दौरान इस उद्योग द्वारा रबड़ का जितना वास्तविक उपयोग किया गया है, उसकी मात्रा लगभग 1,60,000 मीटरी टन है।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या यह सच है कि रबड़ के मूल्य गिर गये हैं और देश में उत्पादकों के पास प्राकृतिक रबड़ का भारी भंडार जमा हो गया है तथा फालतू रबड़ का निर्यात किया जा सकता है और इस से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है? यदि हां, तो सरकार सारी फालतू रबड़ का, जो लगभग 12,000 मीटरी टन हैं, निर्यात क्यों नहीं कर रही है? सरकार इस रबड़ का निर्यात क्यों नहीं करती ताकि रबड़ उत्पादकों को, जिन की संख्या 1,50,000 वाहन टायर उद्योगपतियों की हेराफेरी से बचाया जा सके? निर्यात से राज्य व्यापार निगम को प्रति मीटरी टन कितना लाभ होगा ?

विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सच है कि रबड़ के मूल्य गिरे हैं और देश में उत्पादकों के फालतू रबड़ पड़ा है। हम ने रबड़ का निर्यात करनेका निर्णय किया है और राज्य व्यापार निगम ने कुछ खरीद भी की है तथा वह उसके विक्रय के लिये विदेशी कम्पनियों से सम्पर्क कर रहा है। कुछ रुकावटें हैं। पहली रुकाट यह है कि रबड़ का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भारतीय रबड़ के उत्पादक मूल्य से बहुत कम है तथा इस लिये रबड़ के विक्रय से हानि होगी। इस में वित्तीय कठिनाई है। राज्य व्यापार निगम को लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रति एक हजार मीटरी टन रबड़ के निर्यात पर लगभग 11 लाख रुपये की हानि होगी।

श्री आर० एन० बर्मन: क्या यह सच है कि वाहनटायरकम्पनियोंकी मासिक आवश्यकता लगभग 7000 मीटरी टन है, परन्तु वे इतनी रबड़ नहीं उठा रही हैं। वे अपनी आवश्यकता की लगभग 50 प्रतिशत रबड़ ही उठा रहे हैं। सरकार रबड़ कम्पनियो को अपना खरीद दायित्व पूरा करने के लिये बाध्य करने हेतु तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि वे तीन महीने का स्टाक जमा रखें, क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस बात को ध्यान मेंजरख कर कि रबड़ को बहुत कम मात्रा में खरीद की जा रही है सरकार ने अक्तूबर में टायर निर्माताओं तथा रबड़ बोर्ड के चैअरमैन की बैठक बुलाई थी। उस समय रबड़ की खरीद 3928 मीटरी टन थी। इस बैठक के बाद रबड़ की खरीद में वृद्धि होकर 6652 मीटरी टन हो गई थी तथा यह वृद्धि दिसम्बर तक जारी रही जो बढ़ते बढ़ते 8427 मीटरी टन हो गई थी। इस के बाद फिर एक दम गिरावट आ गई और रबड़ की खरीद घट कर 7000 मीटरी टन हो गई, जो कि फरवरी में घट कर केवल 3000 मीटरी टन रह गई तथा मार्च में भी इतनी ही रही। निर्माताओं का कहना है कि उन के तैयार माल की बिक्री नहीं होती।

श्री राजा कुलकर्णी : मंत्री महोदय ने बताया है कि भारत में रबड़ का रियायती मूल्य भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि सरकार हानि उठा कर निर्यात करने की बजाय यह उपाय क्यों नहीं करती कि निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर रबड़ दी जाये और उत्पादकों को राज सहायता दी जाये ? इस बात को देखते हुए कि सरकार की वर्तमान नीति कच्चे माल के निर्यात की बजाय निर्मित अथवा अर्द्ध निर्मित माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की है, क्या यह देश के हित में नहीं है कि रबड़ वस्तुओं के निर्माताओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर रबड दी जाये ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: सरकार ने यह उपाय भी किया है। वह आयातित रबड़ तथा भारतीय रबड़ के मूल्य का अन्तर को निर्यातित रबड़ वस्तुओं के रुप में देती थी। परन्तु इस उपाय से भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री वसंत साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या टायर उद्योग ने अपने माल का मूल्य निर्धारित करते समय प्राकृतिक रबड़ का मूल्य एक हजार रुपये प्रति क्विंटल माना है और यदि हां तो यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता कि रबड़ उत्पादकों को वास्तव में इस मूल्य पर भुगतान किया जाये ? माननीय मंत्री ने बताया है कि इस समय उत्पादक तीन हजार मीटरी टन रबड़ भी नहीं उठा रहे हैं तथा इसके परिणाम स्वरूप स्वभाविक है कि उत्पादकों

के पास जमा रबड़ के भंडार बढ़ते जा रहे हैं । क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि रबड़ उत्पादक रबड़ का जो मूल्य दिखाते हैं अर्थात् एक हजार रुपये प्रति क्विटल, उसका भुगतान उत्पादकों को किया जाये ? क्या इस संद सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा सकती है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जबकि सरकार उद्योग तथा उत्पादकों की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाये रखने के लिये सभी प्रकार के प्रयास करती है, रबड़ के मूल्य पर अभी तक कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है । माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है ।

श्री वसंत साठे : यह सुझाव नहीं है । प्रश्न यह है कि निर्माता रबड़ की लागत एक हजार रुपये प्रति क्विटल हिसाब में लगाते हैं और इसी आधार पर वे अपने मूल्य निर्धारित करते हैं । आप ने उन्हें मूल्य निर्धारण की अनुमति दी है । परन्तु उत्पादकों को यह मूल्य नहीं दिये जाते । आप का कहना है कि आप इस बारे में कुछ करने में असमर्थ हैं । इसका अर्थ यह है कि वे आपको धोखा दे रहे हैं । अन्यथा आप लागत 600 रुपये के आधार पर लगाइये तथा फिर कीमत कम कर दिये दीजिये ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : टायरों के मूल्य में कमी के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं । वस्तुतः यह मामला उद्योग और सिविल आपूर्ति से सम्बन्धित है । इस समय मेरे पास टायरों की लागत सम्बन्धी आंकड़े नहीं हैं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: वह इस सारी स्थिति के लिये जिम्मेदारी हैं । टायर उद्योग उनके मंत्रालय के अधीन है ।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि इस मामले में कुछ समन्वय होना चाहिये ।

श्री वयालार रवि : राज्य व्यापार निगम को बाजार से फालतू रबड़ खरीदने को कहा गया है अभी तक उन्होंने केवल एक हजार मीटरी टन ही खरीदी है । मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया कि लगभग 11,000 मीटरी टन रबड़ फालतू है । फालतू रबड का देश में चायर निर्माताओं द्वारा उपयोग नहीं किया गया है और उत्पादक अधिक समय तक उसका भंडार जमा नहीं रख सकते । देश में लगभग 15 लाख उत्पादक हैं जो इस कारण से कठिनाई में हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस फालतू रबड़ के बारे में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ? इसका निर्यात क्यों नही किया जा रहा है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: जिस समय यह निर्णय किया गया था कि राज्य व्यापार निगम को बाजार से रबड़ खरीदने के लिये कहा जाये उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि फालतू रबड़ की मात्रा केवल लगभग 5000 मीटरी टन है । कुछ पहले इस पुनः अनुमान लगाया गया तथा यह ज्ञात हुआ कि फालतू रबड़ की मात्रा 11000 मीटरी टन से अधिक है। हम इस समस्या के प्रति सजग हैं तथा हम यह विचार कर रहे हैं कि इस बारे में क्या किया जाये ।

भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव

*372. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उनके क्या उद्देश्य हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति के विचारणीय विषयों को दिखानें वाली एक टिप्पणी सभा पटल पर रख दी गयी है । समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

विवरण

भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठन के बारे में नियुक्त समिति के विचारणीय विषय

"संसद की सरकारी उद्यम समिति की 51 वीं रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुये भारत पर्यटन विकास निगम और इसके मुख्य घटक यूनिटों के कार्यचालन का पुनरीक्षण करना ; भारत पर्यटन विकास निगम के संगठनात्मक एवं प्रशासनिक ढांचे की विशेषतथा पांचवीं योजनावधि में इसकी वर्तमान एवं प्रस्तावित कार्यवाहियों के संदर्भ में जांच करना ; तथा निगम के उद्देश्यों के और अधिक कुशलतापूर्वक पालन तथा इसके कार्यक्रमों के शीध्र कार्यान्वियन के लिये वांछनीय परिवर्तनों के लिये सुझाव देना ।"

उपर्युक्त समान्य रूपरेखा के अन्तर्गत, समिति द्वारा निम्न बातों की भी जांच की जानी थी :—

(क) भारत पर्यटन विकास निगम की वर्तमान गतिविधियों और पांचवीं योजना के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त क्रियाकलापों का कार्यक्षेत्र ;

(ख) वर्तमान संगठनात्मक संरचना, जिसमें अधिकारियों का पदानुक्रम (लाइन आफ कमांड) तथा विभिन्न स्तरों पर अधिकारों का प्रतिनियोजन भी शामिल है ;

(ग) पांचवीं योजना में विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित उच्चतर प्रबन्धक कार्मिकों की संख्या में वृद्धि जिसमें तीसरे वेतन आयोग के परिणामस्वरूप वेतन मानों में संशोधन भी शामिल है ;

(घ) संशोधित संगठनात्मक संचरना, जिसकी रचना प्रभागीय रुप में हो अथवा सहायक यूनिटो के रूप में, वह स्तर जिस पर प्रभागीय/अथवा सहायक यूनिटों में प्रबंधकों को अधिकारों का प्रतिनियोजन किया जायेगा ; आन्तरित रिपोर्टिग तथा नियंत्रण प्रणाली ।

समिति को परिवहन प्रभाग के मामले में भी जांच का काम सौंपा गया था ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : भारत पर्यटन विकास निगम को लगातार घाटा हो रहा है। उद्योग को लाभ हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : इस निगम को 1973–74 से लाभ हो रहा है । इसने 68 लाख रुपये का लाभ कमाया है ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : निगम के होटलों के विकास के लिए 1976–77 की वार्षिक योजना में कितने व्यय की व्यवस्था की गई है ? इस वर्ष में कौन सी नई परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इस निगम की प्राधिकृत पूंजी 30 करोड़ रुपये है। 1974–75 में प्रदत्त पूंजी 11,19 000 रुपये स थोड़ी अधिक है। इसके अलावा 1975 के अन्त में लगभग 633.91 लाख रुपये का ऋण भी है।

श्री पी० जी० मावलंकर: मन्त्री महोदय ने समिति के विचारणीय विषय तथा कुछ अन्य बातें बताई हैं । क्या यह निगम अपनी वर्तमान और विस्तृत गतिविधियों और व्यवस्था के साथ एक सरकारी निगम के तौर पर काम कर सकेगा और जहां सम्भव हो लाभ कमा सकेगा और देश में और बाहर भी पर्यटन का विकास कर सकेगा ?

श्री राज बहादुर: इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों के लिये होटलो में स्थान, परिवहन, मनोरंजन आदि जैसी सुविधाओं की कमी को दूर करना है । यह कार्य हम कर रहे हैं । यह सारा व्यापार स्वयं नहीं सम्भाल सकता । इसका लाभ पिछले वर्ष 38.16 लाख रुपये था जो कि इस वर्ष बढ़कर 73.44 लाख रुपये हो गया है । यह पहली बार इक्विटी पर 25 रुपये प्रति शेयर पर लाभांश भी दे सका है ?

Shri Sarjoo Pandey : Development of tourism in our country falls short of our expectations. There are several places of tourist interests in districts like Basti, Gorakhpur, Lumbini etc. in eastern U.P. But there are no hotels etc. for tourists there. Is there any scheme for the development of tourism at these places in the fifth five year Plan ?

Shri Raj Bahadur : Government is doing its best to provide facilities to the tourists. We are negotiating with a Japanese organisation and is proposed to construct hotels at three or four places in collaboration with this organisation.

श्री एस० एम० बनर्जी: दिल्ली में रणजीत होटल को छोड़कर इस निगम के सभी होटल लाभ कमा रहे हैं और अन्य होटलों से होड़ कर रहे हैं । सरकार को इन होटलो को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये था । निगम के कुछ होटलों के प्रभारी लोगो के स्थान पर तकनीकी लोगो को होटलों का काम सौंपने तथा उनमें सुधार करने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : निगम की व्यवस्था चलाने के लिये हम आवश्यक विशेष ज्ञान रखने वाले लोगो को लाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

रबड़ उत्पादकों के पास जमा रबड़ के स्टाक का निपटान

+
*373. **श्री के० लकप्पा** :
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : . .

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने रबड़ उत्पादकों के पास जमा रबड़ के स्टाक का निपटान करने के लिये केन्द्र की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) सरकार ने राज्य व्यापार निगम को निर्यात के लिए उपजकर्त्ताओं से कुछ रबड़ खरीदने की अनुमति दी है।

श्री के० लकप्पा : केरल सरकार ने उत्पादकों के पास रबड़ का स्टाक इतनी भारी मात्रा में जमा होने के क्या क्या कारण बताये हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि प्राकृतिक रबड़ की खपत पिछले वर्ष की तुलना में कम हो गई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1975 में खपत 94,681 टन थी और पिछले वर्ष 98,147 टन थी। इसी अवधि में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन पिछले वर्ष 1,01,122 टन से बढ़कर इस वर्ष 1,06,998 टन हो गया है। दूसरे विभिन्न राज्यों, व्यापारियों और निर्माताओं को वितरित किया जाने वाले स्टाक में भी अन्तर आ गया है। हमारा विचार था कि निर्माताओं के पास $2\frac{1}{2}$ महीने का स्टाक रहना चाहिये। उनके पास इस समय बहुत कम स्टाक है।

श्री के० लकप्पा : रबड़ के उत्पादकों के पास स्टाक के जमा होने के लिये चार विदेशी टायर कम्पनियां मुख्यत: जिम्मेदार हैं और आप इन कम्पनियों के आदेशों पर चल रहे हैं। केरल में और अन्यत्र भी यही हो रहा है। आप इन विदेशी कम्पनियों के इशारे पर चलेंगे या केरल के और अन्य स्थानों के गरीब उत्पादकों की मदद करेंगे ? ये विदेशी कम्पनियां यातायात व्यय में भी हेरा फेरी करती हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न को अनावश्यक रूप से लम्बा कर दिया है। मन्त्री केवल यह बता सकते हैं कि वह रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसीलिये राज्य व्यापार निगम रबड़ खरीद रहा है और इसका निर्यात कर रहा है।

श्री एन० के० साँघी : स्पष्ट है कि प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। क्या आपके मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय से उत्पादन शुल्क, जो कि बहुत अधिक है, को कम करने के लिये बातचीत की है ताकि रबड़ उत्पादों की बिक्री बढ़ सके ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उत्पादन-शुल्क में कुछ रियायतें दी गई हैं।

बैंकों द्वारा धन प्राप्त करने के लिये अनैतिक तरीके अपनाना

+

***364. श्रीमती पार्वती कृष्णन :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **रिजर्व बैंक** आफ इण्डिया को पता चला है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य बैंकों ने धन प्राप्त करने के लिये अनैतिक तरीके अपनाये हैं; और

(ख) सरकार ने उन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में कुछ ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें बैंक ऐसी संस्थाओं के बचत बैंक खातों पर ब्याज देते हैं, जो अन्यथा बचत खातो पर ब्याज पाने की हकदार नहीं हैं, अथवा जमाएं जुटाने की अपनी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत अनुचित रूप से बड़े उपहार अथवा इनाम अथवा अन्य प्रोत्साहन देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को सलाह दी है कि वे ऐसी योजनाएं न चलाएं जिनमें इनाम अथवा उपहार की मात्रा अनुचित रूप से बड़ी हो और जिनमें इनाम तथा ब्याज की मात्रा का सम्बन्ध वास्तविक इकट्ठी की गई जमाओं की मात्रा से न हो कर जमा के लक्ष्यों को पूरा करने से होता है। बैंकों द्वारा संस्थाओ के बचत खातों पर ब्याज देने की घटनाएं जब भी रिजर्व बैंक के ध्यान में आती हैं, सम्बन्धित बैंक को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाता है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : विवरण में यह नहीं बताया गया है कि जो बैंक संस्थाओ आदि के बचत बैंक खातों पर ब्याज दे रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : ब्याज दरों और अन्य मामलों में रिजर्व बैंक की सलाह अन्य वाणिज्यिक बैंकों को निदेश ही है। हमें समस्या का पता है और हम उस पर विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात

*361. श्री डी० डी० देसाई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् ने सरकार को सुझाव दिया है कि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 करोड़ रुपये के माल का स्टाक बनाने की अनुमति दी जाये ताकि उस देश को किये जाने वाला निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् का जो प्रतिनिधिमण्डल हाल ही **सं० रा०** अमेरिका गया था उसने सुझाव दिया है कि सं० रा० अमेरिका में कुछ इंजीनियरी मदों के लिए गोदाम सुविधाएं जरूरी हैं। तथापि, सरकार की कोई ठोस प्रस्तावना प्राप्त नहीं हुई है।

हथकरघा उद्योग के बारे में शिवरामन समिति का प्रतिवेदन

*370. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग पर शिवरामन समिति के प्रतिवेदन के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है: और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डो० पी० चट्टोपाध्याय) :

(क) जी हां।

(ख) शिवरामन समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार के विनिश्चय भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 24 अक्तूबर, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प सं० 4/59/74–टैक्स–4 में घोषित किये जा चुके हैं, जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

सार्डाइंस और मैकरेल का निर्यात

***371. श्री बरके जार्ज** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या उनके मंत्रालय ने फारस की खाड़ी के देशों को सार्डाइन्स और मैक्रेल के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित एक बिक्री-दल इस समय बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक तथा सऊदी अरब में सार्डीन और मैक्रेल के लिए बाजार का पता लगा रहा है।

आर्थिक दृष्टि से कमजोर कपड़ा मिलों का आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कपड़ा मिलों के साथ विलय

***375. श्री एम० कतामुतु** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर कपड़ा मिलों का आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ कपड़ा मिलों के साथ विलय करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख). ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि कमजोर सूती वस्त्र मिलों को अपेक्षाकृत बेहतर मिलों के साथ मिला दिया जाये ताकि उद्योग की स्थिति में सुधार हो सके। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

डलास में हुए खरीदार विक्रेता सम्मेलन में बुक किए गए निर्यात-आदेश

***376. श्री रघुनंदन लाल भाटिया** : **क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या डलास में फरवरी, 1976 में समाप्त हुए खरीदार विक्रेता सम्मेलन में भारतीय फर्मों ने निर्यात आदेश बुक किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल कीमत सहित मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या डलास सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमरीका के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में अपने अनेक उत्पादों के लिए नये बाजारों का पता लगाने के लिए भारतीय निर्यातकों को अवसर प्रदान किये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) औद्योगिक फास्टनरों, ढलाई तथा गढाई की वस्तुएं, घर सजाने का सामान, सिले-सिलाए परिधानों, पहनने के जवाहारत, हस्तशिल्प की वस्तुएं, चमड़े का सामान, हार्डवेयर तथा दस्ती औजारों की सप्लाई के लिए 0.88 करोड़ रु० मूल्य के क्रयादेश बुक किए गए।

(ग) जी हां।

थाइलैंड से अपरिष्कृत पटसन का आयात

***377. श्री रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में थाई निर्यातकर्ताओं के साथ अपरिष्कृत पटसन के आयात के लिए करार किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) :(क) जी हां।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने 23 जनवरी, 1976 को, थाईलैंड से 7750 मे० टन केनाफ (मेस्टा) आयात करने के लिए संविदाएं कीं।

पटसल मिल मालिकों द्वारा मुनाफा कमाने का तरीका

***378. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : **क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार मिल मालिकों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के तरीके का प्रतिरोध करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ख) क्या पटसन उत्पादकों से लिये जाने वाले कच्चे पटसन के वसूली मूल्य में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) 1970–71 से 1973–74 तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 44 पटसन मिलों की वित्तीय स्थिति के अध्ययन से यह पता चलता है कि इन कम्पनियों द्वारा 1973–74 में कर पूर्व 476 लाख रु० का घाटा उठाया गया था। प्रयोग में लाई गई कुल निवल परिसम्पत्तियों का कुल जितने प्रतिशत लाभ हुआ वह भी अन्य उद्योगों से तुलना करने पर जोकि अध्ययन के विषय थे, कम पाया गया।

(ख) कच्चे पटसन की वसूली कीमत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हालांकि हर साल कानूनी न्यूनतम कीमत कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निश्चित की जाती है। इन वर्षों में निर्धारित की गई कच्चे पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत में निरन्तर वृद्धि हुई है।

भारतीय खिलौनों का निर्यात

*379. **श्री सरजु पांडे :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का भारतीय खिलौनों का विदेशों में निर्यात करने की सम्भावनाओं का ब्यौरा देने वाला एक प्रतिवेदन लगभग तीन वर्ष पहले उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था ; और

(ख) विदेशों में भारतीय खिलौनों का निर्यात करने लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र, नई दिल्ली ने "खिलौनों और सजावटी चीजों का निर्यात करने की भारत की क्षमता के सर्वेक्षणों के बारे में 1973 में भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

भारतीय खिलौनों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं:—

(1) जो कच्चा माल स्वदेश में उपलब्ध नहीं होता, उसे सभी प्रकार के खिलौनों के पंजीयत निर्यातकों द्वारा आयात किये जाने की अनुमति दी जाती है ।

(2) जो खिलौने हस्तशिल्प की वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं उनके निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रोत्साहन दिए जाते हैं ।

(3) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का डिजाइन केन्द्र भारतीय विशेषताओं वाली गुड़ियों और लकड़ी के लेकर खिलौनों के लिए डिजाइन तैयार करने का कार्य करता रहा है ।

मिलों के पास नियंत्रित कपड़े का भंडार जमा होना

*380. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मिलों के पास नियंत्रित कपड़े का भण्डार जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). मिलों के पास बिनाबि के और साथ ही बिकने के बाद बिना उठायें गये कंट्रोल के कपड़ का स्टाक, जो जुलाई, 1975 के अन्त में लगभग 96,000 गांठें था उस से गिरकर फरवरी, 1976 के अन्त में पहले ही 48,000 गांठें रह गया है ।

Chit Fund Companies

1837. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the **Minister of fiinance** be pleased to state :

(a) whether many Chit Fund Companies have closed their offices after collecting huge amount ;

(b) whether thousands of people have thus been cheated by these companies by collecting large sums from them; and

(c) if so, the action taken by Government against such companies ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c). Reserve Bank of India has reported that there have been complaints that certain mushroom companies conducting prize chits and benefit schemes, after coming into existence, have ceased to function or have closed certain branches without repaying the dues of the subscribers.

Transations of deposits being in the nature of contract between the companies and the indvidual deposiors, the affected parties may have to pursue the normal legal remedies open to them in cases of breach of contract.

Reserve Bank of India has, in this connection reported that directions issued by it to miscellaneous non-banking comapanies merely stipulate the extent to which deposits can be accepted by them in relation to their net owned funds. These dirctions exempt the subscripions received by conventional type of chit fund companies, control over which is exercised by State Governments; legilation to regulate conventional chits has however been enacted only in a few states.

Government have, accepted the recommendation of the Study Group on non-banking companies that the conduct of prize chits, benefit scheme etc. should be totally banned and have taken in hand suitable legislation in this regard.

As regards chit fund companies of the conventionl type, Banking Commission had recommended that a model law should be formulated to regulate such business and pendirg its enactment the States which do not have chit fund legislation may adopt the laws of other State Governments wherever possible. Reserve Bank had written to the State Governments accordingly. The Study Group on non-banking companies, to which a model chit fund bill prepared by the Reserve Bank was referred, has recommended its enactment as a central legislation and to leave its administration to the States/Union territories. This recommendation has also been accepted by the Government and action to implement it has also been taken in hand.

जीवन बीमा निगम द्वारा नये कार्यालयों की स्थापना

1938. श्री डी० के० डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्य में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा सामान्य रूप से नये कार्यालयों की ओर विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उन की स्थापना में भी संगत वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले साल जीवन बीमा निगम ने ऐसे कितने सेवा-कार्यालय खोले ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी). (क) भारत में ज़ीवन बीमा निगम का नया कारोबार (व्यक्तिगत बीमा) वर्ष 1970-71 में 1216 करोड़ रुपये का था जो बढ़कर वष 1974-75 में 1761 करोड़ रुपये का हो गया। 31 मार्च, 1971 की स्थिति के अनुसार निगम के सर्विसिंग कार्यालयों की संख्या 539 थी जो बढ़कर 31 मार्च, 1975 तक 680 हो गयी।

(ख) वर्ष 1974–75 में 21 नए सर्विसिंग कार्यालय खोले गये थे। परन्तु, खर्च पर नियन्त्रण रखने की दृष्टि से, वर्ष 1975–76 में कोई नया सर्विसिंग कार्यालय नहीं खोला गया है।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को यात्रा भत्ता

1839. **श्री वसंत साठे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कमचारियों को दिए जाने वाले यात्रा भत्ते से सम्बन्धित अनुपूरक नियमों (मूल नियमों) में संशोधन करने का है जिससे अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा की नगदी-रसीद प्रस्तुत करें ; और

(ख) अधिकारियों द्वारा किए जाने वाल झूठे दावों को रोकने के लिए क्या कायवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) नियमो के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं। ऐसे मामलों में नियंत्रक अधिकारियों को अपनी तसल्ली करनी होती है और जहां उनको संदेह होता है वहां उनको, जैसा वे आवश्यक समझें, अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री मांगने की छूट होती है।

Demand of Yarn from Madhya Pradesh

1840. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the figures of recent demand of yarn of various counts in Madhya Pradesh ;

(b) whether a numer of small weavers and factories in Madhya Pradesh were not supplied with adequate quantity of yarn during the last one year ;

(c) the extent to which the total demand was met during the last two years ; and

(d) the steps taken to meet the demand in full ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (d): There is no control on the production/distribution of cotton yarn in the country.

भारत में अमरीकी फर्मों द्वारा अर्जित लाभ

1841. **श्री नूरुल हुडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि भारत में अमरीकी निर्माता उद्योगों के लाभ की दर 1967 में 7.5 प्रतिशत थी जो 1972 में बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गई है, जो कनाडा, यूरोप, लैटिन अमरीका, फ़िलीपीन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अमरीकी पूंजी निवेषकों को होने वाले लाभ की दर से अधिक है ;

(ख) क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि भारत में विदेशी पूंजी-निवेषकों को असामान्य रूप से अधिक लाभ न हो ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कोई ऐसे उपाय करने का विचार है जिससे यह स्थिति ठीक हो जाए ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यह पता चला है कि विश्व बैंक ने भारत और अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु–निर्माण उद्योगों के लाभ की दर के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । लेकिन, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित "सर्वे आफ करेंट बिजनस" के अनुसार भारत में वस्तु-निर्माण उद्योगों में लगी अमरीकी पूंजी से होने वाले लाभ की दर, जो 1967 में 9.6 प्रतिशत थी, 1972 में बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गई हैं । हालांकि यह दर, कुछ देशों में लगी अमरीकी पूंजी से होने वाले लाभ की दर की तुलना में ऊंची है, लेकिन कुछ अन्य देशो में अमरीकी निवेशकर्ताओं ने इससे भी ऊंची दर से लाभ कमाया है ।

(ख) और (ग). सरकार की नीति यह नहीं है कि विदेशियो द्वारा भारत में लगाई गई अपनी पूंजी से अर्जित मुनाफ़ों और लाभांशों की रकमों को बाहर न जाने दिया जाए बशर्ते कि भारतीय करों की अदायगी कर दी गई हो ।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास जमा स्टाक

1842. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1975 को राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पड़ी 5 लाख रुपयों से अधिक मूल्य की सभी वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके पास कितना माल (एक) 6 महीने और (दो) एक वर्ष से अधिक समय तक रहा ;

(ग) ब्याज, भण्डारण और बीमा के कारण इन पर कितना ऊपरी खर्च हुआ ;

(घ) अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिये कितने माल को अत्यन्त आवश्यक समझा जाता है ; और

(ङ) शेष माल को न बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है ।

(ग) भण्डारण, ब्याज तथा बीमा आदि पर हुए ऊपरी खर्चों का मदवार नहीं बांटा जा सकता ।

(घ) रोके गये स्टाक सामान्यत: उन सामान्य सीमा के भीतर हैं जो वास्तविक प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को तुरन्त पूरा करने के लिये आवश्यक हैं ।

(ङ) मंद प्रवृत्तियों के कारण उपभोक्ताओं द्वारा कम माल उठाये जाने के कारण 1975 में कुछ स्टाक इकट्ठा हो गया था ।

विवरण

मात्रा मे० टन में
मूल्य लाख रु० में.

मद	31-12-75 को रोका हुआ कुछ स्टाक		6 तथा 12 महीनों के बीच स्टाक		स्टाक एक वर्ष से अधिक का	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
राज्य व्यापार निगम						
1. तेल तथा रसायन	36,385	2097,23	4008	326.23	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. रसायन	7,836.81	913.11	1107.12	101.77	2936.34	321.16
3. औषधियां तथा भेषज	607.51	436.85	131.70	29.80	91.65	26.61
4. अखबारी कागज	26,641	1065.64	14378	575.12	4086	163.44
5. ग्रीसयुक्त ऊन तथा एक्रिलिटिक धागा/रेशा	—	250.30	—	—	—	259.30
6. विविध मदें	—	63.36	—	0.58	—	33.20
खनिज तथा धातु व्यापार निगम						
1. उर्वरक	15,800	102.42	11800	72.42	—	—
2. इस्पात	4,000	1200.50	2600	780.33	—	—
3. अलौह धातुएं	23,693	3854.72	4624	763.80	—	—
4. बिना तराशे हुए हीरे	—	213.00	—	—	—	—
5. प्लाटिनम	—	30.21	—	—	—	—
6. पैलेडियम	—	112.97	—	—	—	—

*मात्राएं विभिन्न इकाइयों में हैं और इसलिये उन्हें दिखाया नहीं गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु

1853. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज़ तथा अन्य ऐसे ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है जब कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सभी उपक्रमों के नाम क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि जो अधिकारी सेवा निवृत्ति से पूर्व किसी प्रकार इन उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर चले जाते हैं वे इन उपक्रमों में 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रह सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की सेवा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति की आयु में पाये जाने वाले इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). उरकारी उद्यम कार्यालय ने अभी हाल ही में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न उद्यमों को उनके यहां अपनाई हुई अधिवर्षता की आयु का पता लगाने के लिए लिखा था। लगभग सभी सरकारी उद्यमों को सूचना प्राप्त हो गई है और कुल 119 सरकारी उद्यमों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है केवल लगभग आधा दर्जन सरकारी उद्यम ही ऐसे हैं जिनके यहां कर्मचारियों, जिनमें अधिकारी भी शामिल हैं, की अधिवर्षता की आयु सामान्यतः 60 वर्ष है। उन उद्यमों के नाम इस प्रकार हैं :

1. कोचीन शिपयार्ड लि०
2. इण्डियन रेअर अर्थस लि०
3. ल्यूब्रिजोल इण्डिया लि०
4. मुगल लाइन्स लि०
5. नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०
6. हिन्दुस्तान शिपयाड लि०
7. भारतीय नौवहन नगम ।

इण्डियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज, जिसका सदस्य महानुभाव ने विशेष रूप से उल्लेख किया है; में अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष है लेकिन कम्पनी यदि चाहे तो वह किसी भी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु होने पर तीन महीने का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए सेवा निवृत्त कर सकती है और इसके साथ-साथ वह किसी कर्मचारी को 58 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु तक अपनी सेवा में रख भी सकती है, बशर्ते कि वह हर वर्ष डाक्टरी जांच में इसके सुयोग्य पाया जाए।

(ग) जो सरकारी अधिकारी, सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनके मामले में अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष ही है जैसा कि उनके सरकारी सेवा में रहते हुए होती है। किन्तु जो सरकारी

अधिकारी शुरू में सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति पर गए थे और बाद में उसी उद्यम में स्थायी रूप से शामिल हो गए, उनके मामले में अधिवर्षता की आयु, सम्बन्धित उद्यम के अन्य अधिकारियों के समान ही होती है। दूसरे शब्दों में जिस उद्यम में अधिकारियों की अधिवर्षता की आयु 60 वर्ष रखी गई है वह उस उद्यम के अन्य नियमित अधिकारियो की भांति उन अधिकारियों पर भी लागू होती है जो प्रतिनियुक्ति पर आए हों और बाद में उस उद्यम में स्थायी रूप से सम्मिलित कर लिए गए हों।

ऐसे सभी अधिकारियों के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाली अधिवर्षता की आयु के बाद उनकी सेवा-अवधि बढ़ाने/उन्हें दोबारा रोजगार देने के मामलों पर सम्बन्धित उद्यमों द्वारा ही निर्णय लिया जाता है किन्तु जिन व्यक्तियों के 58 वर्ष के हो जाने से उनकी सेवा-अवधि बढ़ाने/उन्हें दोबारा रोजगार देने के लिए उन्हें दिया जाने वाला वेतन (जिसमें पेंशन और उस पर पेंशनी सेवा - निवृत्ति लाभ भी शामिल हैं) 2500 रुपए प्रति मास से अधिक हो, उनके मामले में उद्यमों को सरकार की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

(घ) अधिवर्षता की आयु जिन उद्यमों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अभिन्न हैं उनमें इसे संशोधित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जा रहा है, ताकि इस विषय में उद्यमों द्वारा अपनाई गई नीति को युक्तिसंगत बनाया जा सके।

पोर्ट ब्लेयर में निर्बाध पत्तन (फ्री पोर्ट) की स्थापना

1844. **श्री श्याम सुन्दर महपात्र :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर को निर्बाध पत्तन बनाने के बारे में व्यापार विकास प्राधिकरण की योजना ब्लू प्रिंट पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) क्या सरकार ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): व्यापार विकास प्राधिकरण ने, निकोबार द्वीप समूह पर मुक्त पत्तन के प्रस्ताव पर सम्भाव्यता अध्ययन किया है। सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम पाकिस्तान में रह गई सम्पत्तियों के लिए मुआवजा देने हेतु बकाया पड़े आवेदन पत्र

1845. **श्री समर गुहा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975–76 के दौरान भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम पाकिस्तान में रह गई सम्पत्तियों के लिये मुआवजा देने हेतु बकाया पड़े आवेदनपत्रों पर कार्यवाही करने के लिये कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान में रह गई सम्पत्तियों के सम्बन्ध में ऐसे आवेदनपत्रों सम्बन्धी क्षेत्रीय समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशो को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) दोनों क्षेत्रों के बकाया पड़े आवेदनपत्रों के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े क्या हैं जिन पर फ़ैसला होना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) तथा (ख). अप्रैल, 1971 में सरकार द्वारा बनाई गई अनुग्रहपूर्वक योजना लागू है। बकाया दावों को यथासम्भव जल्दी से जल्दी निबटाने के लिये सभी प्रयत्न किये जाते हैं।

(ग) तथा (घ). इस सम्बन्ध में कोई क्षेत्रीय समिति नहीं बनाई गई है। तथापि, पैनल की सिफ़ारिशों को महत्व दिया जाता है जिसकी स्थापना भूमि तथा भवन से सम्बन्धित दावों का सत्यापन करने के लिए की गई है।

(ङ) 29 फ़रवरी, 1976 को बकाया आवेदनों की कुल संख्या 2695 हैं।

वर्ष 1975 के दौरान व्यापार समझौते

1846. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान किन-किन देशों के साथ व्यापार समझौते किये गये हैं ; और

(ख) इन देशों को किन वस्तुओं का निर्यात किये जाने की संभावना है तथा इन देशों को निर्यात किये जाने के लिये समझौतों में वस्तुत: किन वस्तुओं को शामिल किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रोमानिया।

(ख) वे वस्तुएं जिन्हें भारत से निर्यात करने के लिये वास्तव में करारों में शामिल किया गया है।

चाय, बीड़ी के पत्ते, सिगार तथा सिगरटें, तम्बाकू, (अपरिष्कृत तथा निर्मित), इलायची (बड़ी तथा छोटी), काली मिर्च, सूती वस्त्र, लोहा तथा इस्पात उत्पाद, इंजीनियरी माल, पटसन से बनी वस्तुए कोयला, चावल, रेल उपस्कर तथा ट्रेक सम्बन्धी सामग्री, कपड़े से बनी चीजें, कपड़ा, कमाई हुई तथा अर्ध-कमाई हुई चमड़ियां तथा खालें, मूंगफली की खली, हाथ से चुनी हुई तथा छटी हुई मूंगफली आदि।

वे वस्तुए जिनकी भारत से निर्यात की गुंजाइश है।

लौह अयस्क, ढलवां लोहा, पटसन की वस्तुएं तथा हैसियन, अभ्रक तथा अभ्रक उत्पाद, मशीनी औजार, फल तथा सब्जियां, मास तथा मांस उत्पाद, चाय, काफी, वस्त्रादि, रासायनिक औषधियां तथा भेषजीय पदार्थ, कोयला, रेल उपस्कर तथा कट्रै सम्बन्धी सामग्री, कयर तथा कयर उत्पाद, कृषि सम्बन्धी उत्पाद, फैब्रिक्स, रस्सियां, पोर्सिलेन के नकली दांत, सश्लिष्ट रत्न, डाक टिकट, परिष्कृत खनिज तेल, वाइक्रोमेट, ताप सह ईंटें और ताप सह मिट्टी आदि।

Construction of Cottages/Bungalows at places of Pilgrimage

1847. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the places of Hindu pilgrimage in the country where Tourism Department has constructed low rent cottages or bungalows;

(b) whether a survey has also been conducted to identify the places needing such cottages or bungalows; and

(c) the nature of facilities provided by his Ministry at important places of pilgrimage in the country?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c). While the emphasis in the Tourism Plan in the Central Sector is on promoting international tourism, the responsibility for developing facilities for domestic tourists would be that of the State Governments. The development of facilities for the domestic pilgrim traffic would thus fall within the purview of the State Government. As such no survey has been conducted by the Department of Tourism to identify places of Hindu pilgrimage and the accommodation required at these places. Feasibility studies for providing accommodation, however, had been undertaken at Pandharpur and Shirdi. The results did not justify taking up the construction of tourist bungalows at these places in the Central Sector.

The facilities by way of accommodation, however, have been provided in the Central Sector during the Fourth Plan and the current Plan at some important places of pilgrimage which are also attracting international tourists. These places are Amritsar, Mantralaya, Puri, Rameshwaram and Varanasi.

Construction of Hotels at various places in Madhya Pradesh by I.T.D.C.

1848. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 423 on the 9th January 1976. regarding declaration of important towns as tourist centres in Madhya Pradesh and state:

(a) whether in view of Khajuraho, Sanchi and Mandu in Madhya Pradesh having been declared as tourist centres, the India Tourism Development Corporation proposes to construct any hotels for the tourists in public sector during Fifth Plan;

(b) the number of hotels being run by India Tourism Development Corporation at the places referred to in Part (a) above at present;

(c) whether Government have finalised the proposal to open a big hotel in Bhopal; and

(d) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a). As already mentioned in reply to Unstarred Question No. 423 on the 9th January 1976, there is no system by which the places are declared as tourist Centres. The development of tourist centres in the Central Sector is determined on the basis of whether they are popular with international tourism or hold the potential for attracting international tourists. The Fifth Five Year Plan of the India Tourism Development Corporation does not include any provision for the construction of new hotel projects at Khajuraho, Sanchi and Mandu in Madhya Pradesh.

(b) The India Tourism Development Corporation is at present operating a hotel at Khajuraho and a travellers' lodge each at Sanchi and Mandu.

(c) and (d). The Fifth Five Year Plan of the India Tourism Development Corporation includes a provision of Rs. 15 lakhs for the construction of a Motal at Bhopal. The motel project is estimated to cost Rs. 45 lakhs and the work on preparation of the feasibility study in respect of this project has been initiated.

त्रिवेन्द्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भवन का निर्माण

1849. श्री वायालर रवि : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने त्रिवेन्द्रम में भवन निर्माण के लिए एक भूखंड खरीदा है ; और

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने अपने प्रस्तावित भवन के प्रथम चरण के निर्माण कार्य के लिए टेंडर मंगाये हैं।

गैर-वित्तीय संस्थाओं के पास जमा राशि पर प्रतिबंध

1850. श्री राम सहाय पांडे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल ही में गैर-वित्तीय संस्थाओं के पास जमा राशि पर कोई नये प्रतिबन्ध लगाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). 3 फरवरी 1975 से कम्पनी (जमा-स्वीकार) नियम, 1975 द्वारा गैर-बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों के जमाएं स्वीकार करने के कार्यकलाप का विनियमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा इन कम्पनियों को पहिले जारी किये गये निदेशों को जून 1975 से वापिस ले लिया गया है। इसलिए गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा जमाएं स्वीकार करने पर रिजर्व बैंक द्वारा कोई नये प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को दिया गया ऋण

1851. चौधरी राम प्रकाश : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा वर्ष-वार कितने बेरोजगार इंजीनियरों को ऋण दिया गया और इस समय कितने आवेदन-पत्र उनके विचाराधीन पड़े हैं।

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): "बेरोजगार इंजीनियरो" जैसे व्यापक वर्गों को दिये गये अग्रिमों सम्बन्धी आंकड़े बैंकों द्वारा पृथक रुप से रखे नहीं जाते। छोटे पैमाने के उद्योग छोटे कारोबार और व्यावसायिक तथा स्वयं नियोजक उद्यमों जैसे क्षेत्रों में स्वयं नियोजन उद्यमों के लिए बेरोजगार इंजीनियर आमतौर से बैंक सहायता मांगते हैं। हरयाणा में इन क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों के आंकड़ों की जून, 1973 जून 1974 और जून 1975 की स्थिति अनुबन्ध में दी गई है।

आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में बैंकों के पास बकाया अनिर्णीत आवेदन पत्रों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन करने की व्यवस्था नहीं है। किन्तु सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे 10,000 रुपये से कम की ऋण सीमाओं के छोटे ऋणों के आवेदन पत्रों को उन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करें।

विवरण'

(राशि लाख रुपयों में)

क्षेत्र	जून 1973		जून 1974		जून 1975	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
छोटे पैमाने के उद्योग*	3166	1926,06	4185	2586.47	4426	2671.96
व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्ति	606	29.65	1408	27.87	2640	41.61
छोटे कारोबार	1087	12.49	1732	29.29	2449	55.78
जोड़ :	4859	1968.20	7325	2643.63	9515	2769.35

बेल्लारी पश्चिम तटपर मिश्रित लोह अयस्क का निर्यात

1852. **श्री बालकृष्ण वेकन्ना नायक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी अयस्क को कर्नाटक राज्य में उत्तरी कनारा की पश्चिम तटीय लौह अयस्क से मिलाकर उस मिश्रित लौह अयस्क का निर्यात करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां। खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न लौह तत्वो वाले अयस्कों का मिश्रण पहले ही किया जा रहा है।

*एककों की संख्या

'आंकड़े अनन्तिम हैं।

संकटग्रस्त औद्योगिक एककों का अप्राप्त ऋण

1853. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रारम्भिक रूप से संकटग्रस्त और अस्थायी संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई ऋण की कितनी राशि अप्राप्य ऋण हो चुकी है और कितने प्रतिशत ऋण का भुगतान रुक गया है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक और ऋण गारंटी गम संकट ग्रस्त औद्योगिक एकको को वितपोषित करने के कारण उनके अप्राप्य ऋणों के लिये बैंकों की क्षतिपूर्ति करता है ;

(ग) यदि हां, तो क्षतिपूर्ति के रूप में निगम ने बैंकों को अब तक कितनी राशि दी है; और

(घ) बैंक पूजी का भुगतान रुकने को कम करने और अप्राप्य ऋणों को घटाने के लिये सरकार की नीति, यदि कोई है, तो क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभार राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किये जाने वाले वाणिज्यिक बैंकिंग कारोबार का यह एक स्वाभाविक अंग है कि ऋणकर्ता एककों की बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और इन कठिनाइयों की वजह से ये एकक रूग्ण हो जायें । उन मामलों में जहां रुग्णता प्रारम्भिक है अथवा अस्थायी है, बैंक इस प्रकार के ऋणकर्ता एककों को कठिनाइयों से उबारने का पूरा प्रयास करते हैं । जब कोई एकक पूरी तरह रुग्ण हो जाता है तथा बन्द हो जाता है और दूसरे प्रबन्धकों द्वारा उसे सम्भाल लेने या उसके राष्ट्रीयकरण के बाद भी उसके पुनः कार्य करने की कोई सम्भावना नहीं रहती, तभी बैंकों द्वारा उस प्रकार के एककों को दी गई रकम के डूबने की आशंका पैदा होती है । ऐसे ही मामलों में, यह सम्भव होता है कि बैंक द्वारा अपने पास रखी गयी जमानत पर अपना कानूनी दावा लागू करने के बावजूद डूबी हुई रकम (बैड डैट) को बट्टे खाते डालने का प्रश्न पैदा हो । विवेकपूर्ण बैंकिंग की सामान्य प्रथा के अनुसार, बैंक, अपने या सांविधिक लेखा परीक्षकों की सलाह से, अपने द्वारा साल-दर-साल अर्जित लाभों का विनियोजन करते समय, डूबने वाले (बैड डैट) तथा सन्देहास्पद ऋणों के वास्ते आरक्षित कोष की व्यवस्था कर देते हैं । डूबने वाले जिन ऋणों को अन्त में बट्टे खाते डालना पड़ता है वे बैंकों द्वारा डूबने वाले और संदेहास्पद ऋणों के लिये बनाये गये आरक्षित कोष से पूरे किये जाते हैं ।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत निर्धारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते के प्रोफर्मा के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 29 के उपबन्ध के अनुसार, डूबते और सन्देहास्पद ऋणों के लिये बनाये गये किसी बैंक के आरक्षित कोष को प्रकाशित खातों में प्रकट नहीं किया जाता है । अतः यह प्रकट करना सम्भव नहीं है कि एककों को दिये गये अग्रिमों में से ऐसे अग्रिमों की प्रतिशतता क्या है जिनके लिए डूबते और संदिग्ध ऋणों के वास्ते आरक्षित कोष के रूप में व्यवस्था की गयी है अथवा जिन्हें वास्तव में बट्टे खाते डाला गया है ।

(ख) और (ग) भारतीय ऋण गारण्टी निगम लिमिटेड द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत वे अग्रिम आते हैं जिन्हें ऋण संस्थाओं द्वारा परिवहन संचालकों, खुदरा व्यापारियों, व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्तियों, छोटे व्यावाहयिक उद्यमो किसानों और कृषकों तथा सेवा सहकारी समितियों को दिया गया है ।

उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार निगम द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ऋण सुविधायें कुल मिलाकर जून, 1975 के अंतिम शुक्रवार को 636.13 करोड़ रुपये थीं। मार्च, 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार निगम ने 10.60 करोड़ रुपये के 402 दावे निपटाये हैं।

केन्द्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित गारण्टी संगठन की ऋण योजना के अन्तर्गत वह सहायता पृथक रूप से आती है जिसे ऋण संस्थाओं द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिया गया है । जनवरी, 1976 के अन्त की स्थिति के अनुसार बकाया गारिण्टियों की कूल राशि 1808.08 करोड़ रुपये थी। उस तारीख तक गारण्टी संगठन द्वारा 1259 खातों में विस्तृत 146.33 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा दीर्घावधिक ऋण प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की वितीय संस्थाओं के परामर्श से सरकार उन मार्गोपयों पर निरन्तर विचार कर रही है जिनसे प्रबन्धकों और उद्योगों की ऋण-सूचना प्रणाली की मदद से, आरम्भिक रुग्णता का ज्ञान और उपचार संभव हो सके ।

पटसन का न्यूनतम मूल्य

1854. **श्री दशरथ देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बंगला देश सरकार ने पटसन का मूल्य 90 रुपये प्रति मन निर्धारित किया है जो जुलाई, 1976 से लागू होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का भी पसटन का न्यूनतम प्रति मन मूल्य इसी दर पर निर्धारित करने का विचार है ;

(ग) भारतीय पटसन निगम ने इस समय कच्चे पटसन का प्रति मन न्यूनतम मूल्य क्या निर्धारित कर खा है ; और

(घ) भारतीय पटसन निगम द्वारा देश में कुल पटसन उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रति वर्ष खरीदा जाता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिं) : (क) बताया जाता है कि 1976-77 के मौसम के लिये बंगला देश सरकार ने एक्स-बाटम किस्म के पटसन की कानूनी न्यूनतम कीमत 90 टका प्रति मन निर्धारित की है ।

(ख) भारत में कच्चे पठसन की कानूनी न्यूनतम कीमत कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं जो संगत बातों को ध्यान में रखता है ।

(ग) 1975–76 मौसम के लिये आसाम बाटम तथा उससे मिलती जुलती किस्मों के कच्चे पटसन की सभी देहाती बाजारों में 135 रु० प्रति क्विंटल की कानूनी न्यूनतम कीमत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, भारतीय पटसन निगम द्वारा नहीं।

(घ) भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के आयात का निर्यात सहित उसकी खरीद तथा बिक्री का कार्य करता है, पटसन उत्पादों का नहीं।

रबड़ उत्पादकों के लिए ऋण की योजना

1855. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के रबड़ उत्पादकों के लिये पुन: रोपण ऋण योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :(क) रबड़ के पुन: रोपण के लिये कोई ऋण योजना नहीं है। किन्तु एक पुन: रोपण उपदान योजना है जिसके अन्तर्गत रबड़ बोर्ड द्वारा रबड़ उपजकर्ताओं को उपदान दिया जाता है। यह योजना 1 अप्रैल, 1975 से संशोधित की जा चुकी है।

(ख) 31–3–1975 तक 2471 रुपये प्रति हैक्टर को जो उपदान दर लागू थी, उसे बढ़ाकर सरकार ने 1–4–1975 से निम्नलिखित रूप में कर दिया है :

(1)	2 हैक्टर तक की जोतें	7500 रु० प्रति हैक्टर
(2)	2 हैक्टर से अधिक और 20 हैक्टर तक की जोतें	5000 रु० प्रति हैक्टर
(3)	20 हैक्टर से ऊपर के एस्टेट	3000 रु० प्रति हैक्टर

उपदान की ऊपर बताई गई बढ़ी हुई दरे उपजकर्ता को 1975–76 में या उसके बाद देय उपदानों की शेष किस्तों के सम्बन्ध मे भी लागू कर दी गई हैं जो 1969 से लेकर 1974 तक उनके द्वारा किये गये पुन: रोपण सम्बन्धी कार्यों के लिये हैं।

Voluntary Disclosure of Wealth

1856. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of Finance be pleased to state the number of persons who have voluntarily disclosed their wealth in the Country, Commissioner of Income-Tax charge-wise?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): Declarations in respect of net wealth or value of assets not disclosed or understated could be made under section 15(1) of the Voluntary Disclosure of Income and Wealth Ordinance, 1975 (The Voluntary Disclosure of Income and Wealth Act, 1976.) On the basis of information presently available, a statement giving the number of such declarations, Commissioner of Income-tax Charge-wise, is annexed.

Information in respect of voluntary disclosures made under section 18(2A)/18B of the Wealth-tax Act, 1957 is not readily available and will have to be collected from the Commissioners of Wealth-tax all over the country. If the Hon'ble Member desires information in respect of any particular Commissioner's charge, the same will be collected and furnished.

Statement

Charge of Commissioner of Income-tax	No. of declarations U/s 15(1) of the Voluntary Disclosure of Income & Wealth Ordinance, 1975 (The Voluntary Disclosure of Income & Wealth Act, 1976).
Amritsar	333
Andhra Pradesh	719
Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram	194
Bihar	377
Bombay City	2266
Delhi	1038
Gujarat	741
Kanpur	312
Karnataka	610
Kerala	325
Lucknow	367
Madhya Pradesh	395
Meerut	267
Nagpur	258
Orissa	175
Patiala	560
Poona	718
Rajasthan	231
Tamil Nadu	1634
West Bengal	1634
Bombay (Central)	89
Calcutta	43
Delhi (Central)	52
Madras (Central)	111
TOTAL	13,449

भारतीय सूती कपड़ा मिल महासंघ द्वारा ज्ञापन

1857. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा मिल महासंघ ने प्रधान मंत्री को प्रस्तुत एक ज्ञापन में कपड़ा उद्योग पूनरोद्धार करने के बारे में सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) ज्ञापन में दी गई कुछ मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) यह उद्योग, कन्ट्रोल का कपड़ा तैयार करने में भारी घाटे उठाता रहा है और जब तक सरकार कन्ट्रोल के कपड़े की कीमतों का संशोधन करने का विनिश्चय न करे तब तक कुछ समय के लिए कन्ट्रोल के कपड़े की बाध्यता का निलम्बन उचित दिखाई पड़ता है ;

(2) विशेषतः कताई मिलों को गम्भीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा रहा है ;

(3) नकद सहायता योजना जो 31–3–1976 को समाप्त होनी है उसे ऐसी तरह जारी रखा जाना चाहिए जिससे कि वह वस्त्रों के निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सहायक हो सके ।

2. उपरोक्त मुद्दों पर सरकार विचार कर रही है ।

पांचवीं योजना में इलेक्ट्रानिकल वस्तुओं का निर्यात

1858. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने मूल्य की इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का निर्यात करने का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अबतक क्या उपलब्धि है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये कुल 131 करोड़ रुपये मूल्य की इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) अब तक जितने मूल्य की इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं का निर्यात किया गया है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1974–75	12.58 करोड़ रु०
1975–76	6.56 करोड़ रु०
(अप्रैल से नवम्बर)	

पक्षी बिहार

1859. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित विभिन्न पक्षी विहार कहां-कहां स्थित हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी पक्षी विहार का संधारण नहीं किया जा रहा है ।

Pay Scale for Inspectors cum Field Officers under G.I.C.

1860. Shri Ramavatar Shastri: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether no sale of pay has been prescribed for Inspector-cum-Field Cfficers working under General Insurance Corporation; and

(b) whether Government propose to prescribe a scale of pay for them?

The Deputy Minister in the Ministry Of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) and (b). A Scheme of rationalisation of pay scales and other serice conditions of the Field Workers of the General Insurance Corporation of India was recently finalized and will be notified shortly.

देहरादून में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव

1861. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में देहरादून में हवाई अड्डा बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) निकट भविष्य में देहरादून को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजनाएं नहीं हैं ।

आयकर तथा अन्य विभागों कार्यरत व्यक्तियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन के लिए अर्हक सेवा

1862. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आयकर विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियो द्वारा किये गये सराहनीय कार्य की प्रशंसा में उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक महीने का वेतन देने के लिए तीन महीने की अर्हक सेवा निर्धारित की है जबकि ऐसे पुरस्कार के लिये उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सीमा-शुल्क, राजस्व, खुफिया तथा अन्य विभागों के मामले में यह अर्हक सेवा दस महीने की रखी गई हैं,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे व्यक्तियो द्वारा किये गये सराहनीय कार्य के लिये अलग-अलग मानदण्ड निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) ऐसे व्यक्तियो के मामले में जिनकी सेवावधि दस महीने से कम है, विसंगतियों दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आय-कर विभाग से सम्बन्धित आदेशों में यह शर्त रखी गई थी कि पुरस्कार केवल उन्हीं अधिकारियों को देय होगा जो 1–10–75 से 31–12–75 तक की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सेवा में रहे हों और यह अवधि मोटे तौर पर स्वेच्छा आय प्रकटन योजना की अवधि के अनुरूप है। जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क विभागों का सम्बन्ध है, चूंकि यह पुरस्कार 17 सितम्बर, 1974 को आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के प्रख्यापित किये जाने की तारीख से फरवरी, 1976 में स्वीकृति-आदेश जारी किये जाने तक कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रशंसनीय कार्य के लिये मंजूर किया गया था, इसलिये इस सम्बन्ध में यह शर्त रखी गई थी कि यह पुरस्कार केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जिन्होंने 17 सितम्बर, 1974 से 31 जनवरी, 1976 तक की अधिकांश अवधि के दौरान कार्य किया हो। यह अवधि 10 महीने नियत की गई थी।

क्योंकि उक्त दो विभागों के कर्मचारियों को पुरस्कार भिन्न-भिन्न तर्कों के आधार पर मंजूर किया गया है इसलिये अर्हक सेवा की एक समान अवधि निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

कर-अपवंचन और अघोषित आस्तियों के मामले

1863. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान सरकार ने कर अपवंचन और अघोषित आस्तियों के कितने मामलों का पता लगाया,

(ख) क्या कलकत्ता में एक जूट मिल मालिक के मकान पर हाल ही में मारे गये एक छापे के दौरान भारी मात्रा में अघोषित आस्तियों का पता चला है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आय कर प्राधिकारी, लेखाबाह्य परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही करते हैं। दिसम्बर, 1975 से फरवरी 1976 तक की अवधि में ऐसी 985 कार्यवाहियां की गयी थीं जिनके परिणामतः 621 लाख रुपये से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं। इसके अलावा, आय-कर प्राधिकारी कर निर्धारण के सामान्य कार्य के दौरान, कर-अपवंचन/अघोषित परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल करते हैं। इस प्रकार पता लगाये गये मामलों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे देश भर के सभी आय कर आयुक्तों से एकत्र करना पड़ेगा और इसमें लगने वाला समय एवं श्रम प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशेष क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई खास जानकारी लेना चाहें तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जायगा।

(ख) तथा (ग) हाल ही में, आय कर प्राधिकारियों ने (हुगली जूट मिल्स लिमिटेड से सम्बद्ध) श्री राधेश्याम बाजोरिया के निम्नलिखित परिसरों पर अथवा उन प्रतिष्ठानों पर जिनमें उनका हित है, तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाहियां की हैं :—

(i) 76, गार्डन रीच रोड, कलकत्ता।

(ii) 9, गार्डन रीच रोड, कलकत्ता।

(iii) 10, क्लाइव रोड, कलकत्ता।

(iv) 49, एम० एम० बर्मन स्ट्रीट, कलकत्ता।

इन परिसरों से तथा कलकत्ता सैफ डिपाज़िट वाल्ट में श्री राधेश्याम बाजोरिया के नाम एक लाकर से पकड़े गये जेवर-जवाहरात का मूल्य 22 लाख रुपये आंका गया है। बहीखाते तथा दस्तावेज भी पकड़े गये हैं। 9-गार्डन रीच रोड से पाये गये पटसन के कुछ भण्डार का मूल्य लगाया जा रहा है।

कोरिया जनवादी गणतंत्र के साथ व्यापारिक वार्ता

1864. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 के लिये व्यापार प्रोटोकोल को अन्तिम रूप देने के लिये भारत और कोरिया जनवादी गणतन्त्र के बीच वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 20 मार्च, 1976 को हस्ताक्षरित व्यापार संलेख में 1976 के दौरान भारत तथा कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य के बीच कुल 30 करोड़ रु० के व्यापारिक कारोबार की व्यवस्था है। संलेख के अन्तर्गत कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य भारत को यूरिया, जस्ता, नरम इस्पात प्लेटें, विभिन्न प्रकार की तापसह सामग्री तथा पहली बार सीसा भी सप्लाई करेगा। कोरिया लोकतन्त्रीय जनवादी गणराज्य भारत से सूती वस्त्र, पटसन की बोरियां, तैयार चमड़ा, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक तथा अभ्रक उत्पाद, स्टील बिलेट्स, बीयरिंग, तार रस्से, आदि इंजीनियरी माल तथा विभिन्न प्रकार के रसायनों का आयात करेगा।

केरल में भारतीय रिज़र्व बैंक की शाखा

1865 **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**

श्री एन० श्रीकान्तन नायर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई पूर्ण शाखा नहीं है, और

(ख) इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आजकल केरल राज्य में उसके बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग तथा कृषि ऋण विभाग का शाखा कार्यालय तथा औद्योगिक वित्त विभाग और विदेशी मुद्रा नियन्त्रण विभाग का एक-एक एकक है। अपने अन्य विभागों की शाखाएं खोलने के बारे में रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि आवश्यकता प्रतीत होने पर उन्हें खोला जायेगा।

इंडियन एयर लाइंस द्वारा 'एयरबस की खरीद

1866. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने फ्रान्स और पश्चिमी जर्मनी के बैंको के साथ 73 करोड़ रुपये के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो तीन "एयरबस" विमानों और उनके पुर्जों की खरीद के लिए आंशिक रूप से खर्च किए जायेंगे, जो राशि कुल 98 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है,

(ख) क्या एयरबस' 278 यात्री तथी बफो मात्रा में माल ले जा सकती है और वह इस वर्ष के अन्त तक चलने लग जायेगी,

(ग) क्या यह धनत्व मार्गों पर चलाई जायेगी जिनमें से कलकत्ता दिल्ली भी एक है और

(घ) क्या इसके उतरने और उड़ान भरने के लिए वाराणसी हवाई अड्डे के आकार का धावन पथ पर्याप्त है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री श्री राज बहादुर (क) : तीन ए 300ब2 टायर बस विमानों फालतू इंजनो, फालतू पुर्जों तथा उपकरणों की पूरी प्रायोजना की लागत 94.19 करोड़ रुपये हैं, जिसमें लगभग 1040 लाख डालर का विदेशी मुद्रा का भी अंश सम्मिलित है। ईडियन एयरलाइंस ने प्रायोजना की विदेशी मुद्रा की लागत की आंशिक वित्तिय व्यवस्था करने के लिए जोकि कुल मिलाकर 930.2 लाख डालर होती है जर्मनी तथा फ्रान्स के बैंको और एयर बस इंटस्ट्री के साथ दो ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं

(ख) : तीन ए 300–बी 2 प्रकार के विमान (एयर बस) 1976 की अन्तिमतिमाही में प्राप्त होने हैं और उन्हें 1–12–1976 से क्रमशः परिचालित कर देने की आशा है। इन विमानों में शुरू में 278 यात्रियो के बिठाने की क्षमता और यात्री भार के अतिरिक्त 10 से 15 मीट्रिक टन की वास्तविक माल बहन क्षमता (कार्गो कपैसिटी) होगी।

(ग) : जी, हां।

(घ) : जी, नहीं

World Bank Assistance for Development of Rajasthan

1867. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether World Bank has provided funds for the development of Rajasthan; and

(b) the amount spent so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) and (b). Details of assistance secured by Government of India from World Bank group for the various projects connected with the development of Rajasthan and the amount utilised so far are indicated below:—

$ Million

Purpose	Amount of Credit	Amount utilised so far
1. Rajasthan Canal Command area	83	21
2. Chambal Command area, Rajasthan	52	8
3. Drought Prone area programme	4·30	Nil
4. Rajasthan Dairy development	27·70	Nil
5. Power transmission II	5.45	3
TOTAL:—	172·45	32

विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम

1868. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में कुल कितने भारतीय संयुक्त औद्योगिक उपक्रम कार्य कर रहे हैं, और

(ख) उनमें कितनी पूंजी लगी है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विभिन्न देशों में 135 भारतीय औद्योगिक संयुक्त उपक्रम कार्यान्वियन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) इन उपक्रमों में निवेश के लिए मंजूर की गई कुल भारतीय इक्विटी पूंजी 34.08 करोड़ रु० है।

जीवन बीमा निगम द्वारा बंगलौर डिवीजनल कार्यालय में उम्मीदवारों का उप-कर्मचारियों के रूप में चयन

1869. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 (1 मार्च, 1976 तक) में भारतीय जीवन बीमा निगम के बंगलौर डिवीजनल कार्यालय में कितने उम्मीदवार उप-कर्मचारियों के रूप में चुने गये थे, और कितने उम्मीदवार प्रतिवर्ष प्रतीक्षा सूची में रखे गये थे,

(ख) इनमें से कितने उम्मीदवार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में प्रतिवर्ष प्रतीक्षा सूची में रखे गये उम्मीदवारों में से कितने उम्मीदवार स्थायी रिक्त पदों पर खपा लिये गये थे और इनमें से कितने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के थे ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन-पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर होटल और मोटल

1870. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पर्यटक होटलों और मोटलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पर्यटन विभाग ने उन्हें बनाया था अथवा उन्हें निजी पार्टियों से खरीदा गया था ;

(ग) किन-किन निजी पार्टियों से इन्हें खरीदा गया और इनके लिये कितना कितना मूल्य अदा किया गया ; और

(घ) यदि सरकार ने उन्हें बनाया तो उन पर कितनी राशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ): सरकारी क्षेत्रीय उद्यम भारत पर्यटन विकास निगम के ऐसे होटलों तथा मोटलों का, जोकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित हैं, ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यूनिट का नाम	स्थान	स्थापना/चालू होने की तारीख	क्षमता कमरे/शय्याएं	टिप्पणी
जम्मू तथा काश्मीर				
जम्मू मोटल	राष्ट्रीय राजमार्ग-1 ए	9–9–1972	50/100	इस मोटल का निर्माण भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 42 लाख रुपए की अनुमानित लागत से किया गया था।
कर्णाटक				
हस्सन मोटल	राष्ट्रीय राजमार्ग-48	27–7–1972	28/56	इस मोटल की स्थापना भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा 10.28 लाख रुपये की अनुमानित लागत से हस्सन के यात्री लोज का विस्तार करके की गयी थी।

Development of Mount Abu and Ranakpur in Rajasthan as Tourist Centres

1871. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Mount Abu and Ranakpur are two famous historical places in Rajasthan;

(b) whether Government propose to declare and develop them as tourist spots; and

(c) if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) to (c). Mt. Abu and Ranakpur are noted for their exquisite Jain temples built of marble in 11th, 13th and 15th centuries. In the previous Plan periods the Department of Tourism contributed 50 per cent of the cost for the construction of a Tourist Bungalow at Mt. Abu, and also met the expenditure on bringing electricity to Ranakpur. There is no proposal for the present to develop tourist facilities at Mt. Abu and Ranakpur in the Central Sector. It is, however, understood that the State Government proposes to construct tourist bungalows at Mt. Abu and Ranakpur during the Fifth Plan period.

कश्मीर की हस्तशिल्प की वस्तुओं से विदेशी मुद्रा की आय

1872. **श्री सैयद अहमद आगा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कश्मीर की हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात से वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) हस्तशिल्प की ये वस्तुएं किन देशों में लोकप्रिय हैं तथा इन की मांग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कश्मीर की हस्तशिल्प की वस्तुओं (कालीनों सहित) का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु० में)
1973—74	4.5
1974—75	7.0
1975—76	8.5

(ख) कश्मीर की हस्तशिल्प की वस्तुएं लोकप्रिय हैं तथा सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, प० जर्मनी, जापान, इटली, मध्य पूर्व तथा स्केण्डीनेवियन देशों में इनकी मांग है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई सहायता

1873. **श्री एन० आर० वैकारिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान विभिन्न सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों को कितनी सहायता दी;

(ख) वर्ष 1975, के दौरान छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को पृथक-पृथक कितनी सहायता दी गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : (क) और (ख) : अखिल भारतीय दीर्घकालीन सरकारी वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निजी क्षेत्र के छोटे पैमाने, मध्यम पैमाने और बड़े पैमाने के औद्योगिक एककों की, उनमें से प्रत्येक के सामने दी गई अवधि के दौरान मंजुर की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि निम्नलिखित थी :—

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय संस्थाएं	निजी क्षेत्र के औद्योगिक एककों को मंजूर की गई वित्तीय सहायता				
	निम्नलिखित वर्ष के दौरान	छोटे पैमाने के	मध्यम पैमाने के	बड़े पैमाने के	जोड़
1. भा० औ० वि० बैं०	1974–75 (जुलाई*–जून)	73.10	39.10%	17.90	130.10
2. भा० औ० वि० नि०	1975 (जनवरी–दिसम्बर)	--	13.08	19.75	32.83
3. भा० औ० नि० नि०	1975 (जनवरी–दिसम्बर)	--	0.52	51.21	51.73
4. भा० यू० ट्र०	1975 (जनवरी–दिसम्बर)	--	0.05	7.18	7.28

*पुनर्वित्त सहायता ।

%पुनर्वित्त सहायता के 31.90 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

जीवन बीमा निगम के बारे में इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

टिप्पणी : (1) राज्य वित्तीय निगम निगमित और सहकारिता क्षेत्रों की ऐसी कंसर्नों को रुपया ऋणों के रूप में अधिकतम 30 लाख रुपये की प्रत्यक्ष सहायता मंजूर करते हैं, जिनकी शेयर पूंजी और प्रारक्षित निधि एक करोड़ पये से अधिक नहीं है । सामान्यतः, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं रुपया ऋण के रूप में प्रत्यक्ष सहायता की मंजूरी के लिए औद्योगिक कंसर्नों की मांग पर तभी विचार करती हैं जबकि वह मांग 30 लाख रुपये से अधिक के लिए हो । इस प्रकार छोटे पैमाने के उद्योग, प्रत्यक्ष रुपया ऋण सहायता के लिए, सामान्यतः उक्त संस्थाओं के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते ।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता में प्रत्यक्ष ऋण (निर्यात ऋणों के अलावा), हामीदारियां और औद्योगिक ऋणों का पुनर्वित्त शामिल है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त की अपनी योजनाओं के माध्यम से छोटे पैमाने के उद्योग की सहायता करता है । ये योजनाएं मुख्य रूप से छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए होती हैं । ऊपर दिये गये सहायता के आंकड़ों के अलावा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, निजी क्षेत्र के औद्योगिक कंसर्नों को, अपनी पुनर्भुगतान योजना और निर्यात वित्त योजना के अधीन क्रमशः 89·40 करोड़ पये और 24·70 करोड़ रुपये की सहायता मंजूरी की है जिसका उपयोग मध्यम दर्जे के उद्योगों द्वारा किया गया है । इन योजनाओं के अधीन दी गयी सहायता का आकार वार वर्गीकरण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास सुलभ नहीं है ।

(3) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की सहायता में ऋण, हामीदारियां/प्रत्यक्ष अंशदान और गारण्टियां शामिल हैं ।

(4) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सहायता में हामीदारियां/शिकमी हामीदारियों और नये निर्गमों तथा शेयरों और ऋणपत्रों के अधिकार निर्गमों (राइट इश्यूज) में प्रत्यक्ष अंशदान शामिल हैं ।

बिड़ला उद्योग ग्रुप द्वारा आय-कर, सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

1874. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री बिड़ला उद्योग ग्रुप द्वारा आय-कर, सीमाशुल्क तथा उत्पादन-शुल्क का अपवंचन करने के बारे में 16 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या

2550 के उत्तर के संबंध में दिये गये आश्वासन को कार्यरूप देते हुए 11 मार्च, 1976 को सभा-पटल पर रखे गए अनुपूरक विवरण संख्या 14 की मद संख्या दो के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 36 मामलों में लगाया गया जुर्माना, 5 मामलों में विमोचन दंड और 31 मामलों में 29 26 लाख रुपये का शुल्क इस बीच बिड़ला उद्योग ग्रुप से अब वसूल कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) 86 मामलों में विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) क्या उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क नियमों का इतने बड़े पैमाने पर उल्लघंन करने के लिये 'बिड़ला ग्रुप' पर कोई बड़ा दण्ड देने का प्रस्ताव है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मोटरगाड़ियों के टायरों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन

1875. **श्री सी० एच० मुहम्मद कोया :**
श्री वयालार रवि :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरगाड़ियों के टायरों के निर्यात के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ख) गत तीन वर्षों में कुल कितने टायर निर्यात किये गये और इससे कितनी धनराशि की आय हुई ; और

(ग) प्रोत्साहन देने के कारण क्या हैं ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) प्रोत्साहन वे हैं जो सभी निर्यातों के लिए दिये जाते हैं । इसके अलावा, चूंकि प्राकृतिक रबड़ की स्वदेशी कीमतें अतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक हैं, अतः टायरों के निर्यातकों को भी मुआवजा दिया जाता है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रोत्साहन इस लिए दिये जाते हैं ताकि निर्यातक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता कर सकें ।

विवरण

वस्तुएं	इकाई	1972–73		1973–74		(मूल्य लाख रु० में) 1974–75	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
हवाई जहाज के टायर केस	संख्या	—	—	—	—	375	3
मोटर कार से टायर केस	000 संख्या	37.8	21	61.1	40	46.2	46
मोटर साईकिल के टायर केस	संख्या	2411	1	1167	0.4	11218	3
'आफ दि रोड' गाड़ियों के टायर केस	000 सं०	7.0	47	6.0	90	9.3	114
ट्रैक्टरों के टायर केस	000 सं०	11.5	12	6.1	8	9.1	20
ट्रकों तथा वसों के टायर केस	000 सं०	137.9	358	122.5	360	106.3	444
अन्य गाड़ियों के टायर केस	000 सं०	40.4	23	113.5	81	105.5	225

Enquiry by C.B.I. into Drug Manufacturing Firms in Indore

1876. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether the C.B.I. has examined 19 drug manufacturing firms in Indore, Madhya Pradesh having licences and capital worth Rs. 1 lakh and more and if so, the findings thereof;

(b) the value and quantity of raw material for which licences were granted to these 19 firms during 1973-74, 1974-75 and 1975-76 upto the end of February; and

(c) when did the Central Government come to know about the misuse of licences given to these firms and sale of raw material in the black market and the date on which this case was entrusted to C.B.I.?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a). In November, 1975, CBI registred 19 cases for investigation against several firms of Indore, Madhya Pradesh. These firms had obtained A.U. import licences valued at Rs. 1 lakh and above. The investigation has not yet been completed.

(b) Details of the licences issued are printed in the Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences, a copy of which is available in the Lok Sabha Library.

(c) The question whether there is any misuse of import licences in these cases will be known after CBI completes its investigation.

उड़ीसा की ओर बकाया राहत ऋणों की राशि

1877. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा सरकार की ओर आज तक राहत ऋणों की कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उड़ीसा सरकार ने 1974-75 और 1975-76 में इसके लिए केन्द्रीय सरकार को कितना ब्याज दिया है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) : उड़ीसा के नाम दैवी विपत्तियों के कारण राहत के लेखे 31 मार्च, 1974 को केन्द्रीय ऋणों की 33.39 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। छठे वित्त आयोग ने ऋण राहत के बारे में जिस स्कीम की सिफारिश की थी उसके अनुसार इन ऋणों को कुल मिलाकर एक ऋण में बदल दिया गया है। यह ऋण 1974-75 से 4.75 प्रतिशत के ब्याज के साथ 25 वर्षों में वसूल किया जा रहा है।

पहली अप्रैल, 1974 से राज्यों को दैवी विपत्तियों के कारण दी जाने वाली आयोजना-भिन्न केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था किए जाने की पुरानी नीति समाप्त कर दी गई है। मौजूदा नीति के अनुसार केन्द्र आवश्यकता पड़ने पर, केवल आयोजना सहायता पेशगी देता है जो पांचवीं आयोजना के लिए राज्य के नाम निर्धारित कुल आयोजना-सहायता की राशि में से घटा दी जाती है।

कम्पनियों द्वारा अनिवार्य जमा के रूप में एकत्र की गई धनराशि

1878. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों से पूछा गया है कि उन्होंने अनिवार्य जमा के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की है और कितनी राशि सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) कम्पनियों के कर्मचारियों पर भी अनिवार्य जमा की वही स्कीम लागू होती है जो सरकारी और स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों से भिन्न सभी कर्मचारियों के लिए है। इस स्कीम के अन्तर्गत एक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होता है जो चाहे कम्पनी हो अथवा मालिक। इस प्राधिकारी को प्रत्येक महीने के समाप्त होने के बाद दसवें दिन तक कर्मचारियों के वेतनों में से अनिवार्य जमा की काटी गई सभी रकमें महीना समाप्त होने के 15 दिन के अन्दर अन्दर सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करवानी होती है जो इस स्कीम के अन्तर्गत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी होता है। इस स्कीम के अन्तर्गत कम्पनी को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास अनिवार्य जमा खाते में जमा के लिए भेजी गई रकमों का एक विवरण भी देना होता है।

(ख) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जो सरकारी और स्थानीय प्राधिकारियों कर्मचारियो से भिन्न कर्मचारियों के लिए बनाई गई स्कीम के अन्तर्गत नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी होते हैं, केवल मालिकों के अनुसार खाते रखते हैं, किन्तु कम्पनियों के लिए कोई अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता। इस स्कीम के अन्तर्गत 19 मार्च, 1976 तक, जमा के रूप में अतिरिक्त मजदूर की कुल 48.50 करोड़ रुपये की और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की कुल 352.84 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के पास प्रवर्तन कर्मचारी होते हैं जो कम्पनियों के बही खातों और अन्य पुस्तकों तथा कागज पत्रों की जांच करते हैं। यदि जांच के बाद अथवा वैसे ही यह पता चले कि कर्मचारियों के वेतन में से अनिवार्य जमा की काटी गई कोई रकमें नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को नहीं भेजी गई है और उनका ठीक से हिसाब नहीं रखा गया है तो इस प्रकार जमा न कराई गई रकम को दण्ड स्वरूप ब्याज सहित वसूल करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। और जहां आवश्यक समझा जाता है वहां कम्पनियों के विरुद्ध अदालती कार्रवाही भी की जाती है। कर्मचारियों के वेतनों में से अनिवार्य जमा की काटी गई रकमों के भेजने में किसी भी तरह की देरी होने की सूरत में कम्पनी को दण्डस्वरूप उस दर से दुगनी दर पर ब्याज अदा करना पड़ता है जो कर्मचारी को उसकी जमा राशि पर मिलता है। चुकाई न गई रकम दण्डात्मक ब्याज सहित भू-राजस्व की तरह वसूल की जाएगी और इसके अलावा अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1975 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

Arrest of Smugglers in Madhya Pradesh

1879. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of smugglers against whom detention orders have been issued in Madhya Pradesh and the number thereof actually arrested?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : Upto 25-3-1976, the Government of Madhya Pradesh had

ordered the detention of 19 smugglers and their associates under section 3(1) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974. All of them had also been actually detained.

Lead Banks in Madhya Pradesh

***1880. Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the names of banks in various districts in Madhya Pradesh which have been declared as lead banks?

Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): The names of the banks which have been designated as lead banks together with the names of the Districts allotted to them in Madhya Pradesh are set out below:—

Name of Lead Bank	District allotted
1. *State Bank Group* . .	1. Shivpuri 2. Guna 3. Vidisha, 4. Tikamgarh 5. Chhatarpur, 6. Panna 7. Dameh 8. Raigarh 9. Bilaspur 10. Bastar.
2. *Central Bank of India*	1. Mandsaur 2. Ratlam 3. Bhind 4. Gwalior 5. Morena 6. Sagar 7. Raisen 8. Hoshangabad 9. Betul 10. Chhindwara 11. Narasimhapur 12. Seoni 13. Balaghat 14. Mandla 15. Jabalpur 16. Shahadol 17. Surguja.
3. *Bank of India*	1. Dhar 2. West Nimar 3. East Nimar 4. Dewas 5. Indore 6. Ujjain 7. Shajapur 8. Rajgarh 9. Sehore 10. Bhopal.
4. *Punjab National Bank* . .	Datia.
5. *Bank of Baroda* . . .	Jhabua
6. *Dena Bank* . . .	1. Durg 2. Rajnandgaon 3. Raipur.
7. *Allahakab Bank* . .	Satna.
8. *Union Bank of India* . . .	1. Rewa 2. Sidhi.

पर्यटक केन्द्रों के रुप में अंदमान तथा निकोबार द्वीप-समूहों का विकास

1881. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटक स्थलों के रूप में अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूहों का विकास करने के लिए सरकार की क्या योजनायें हैं ;

(ख) वर्ष 1975–76 में कितने विदेशी पर्यटकों ने इन द्वीपसमूहों की यात्रा की; और

(ग) क्या वहां विदेशी पर्यटकों के जाने पर कोई प्रतिबन्ध है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) विदेशी पर्यटकों को इन द्वीपों के केवल उत्तरी समूह में (आरक्षित क्षेत्रों को छोड़ कर) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है बशर्ते कि वे प्रवेश औपचारिकताओं का अनुपालन करें। इन द्वीपों में जाने के लिये विदेशियों के प्रार्थनापत्र प्रस्तावित यात्रा की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व गृह मन्त्रालय में प्राप्त होने चाहियें। 1975–76 में कुल 71 विदेशी पर्यटक पोर्ट ब्लेयर (अण्डेमान द्वीपसमूह) गये बताये जाते हैं।

फिलहाल केन्द्रीय क्षेत्र में अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन विकास की कोई योजना नहीं है क्योंकि इन द्वीपों में विशाल पैमाने पर पर्यटन सुविधाओं के विकास का प्रश्न अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों के प्रवश पर लगे प्रतिबन्धों के हटाये जाने तथा अधिक अच्छी संचार सुविधाओं की व्यवस्था पर निर्भर है। तथापि, द्वीप प्रशासन ने पोर्ट ब्लेयर में एक 16 शय्याओं वाले पर्यटक बंगले की व्यवस्था की है तथा उक्त प्रशासन का पांचवीं योजना के दौरान पोर्ट ब्लेयर में और अधिक आवास के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोला जाना

1883. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1976 को हिमाचल प्रदेश के 12 जिलो में से प्रत्येक में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखायें थीं ; और

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन के पास इन प्रत्येक जिलो में नई शाखायें खोलने का प्रस्ताव है अथवा जिन्होंने इस की स्वीकृति दी है तथा ये कहां कहां खोली जायेंगी ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अपेक्षित सूचना अनुबंध 1 **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10609/76]** में प्रस्तुत है।

(ख) बैंकों द्वारा शाखा खोलने का कार्य 'तीन' वर्षीय योजनाओं के ढांचे के भीतर किया जाता है। 1976–78 वर्षों की योजनाओं पर रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जा रहा है। अलबत्ता अनुबंध 11 **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10609/76]** में हिमाचल प्रदेश में उन स्थानों के नाम दिये जा रहे हैं जहां शाखा खोलने के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास 31 दिसम्बर, 1975 को अनुज्ञप्तियां (लाइसेंस)/आबंटन मौजूद थे।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि-ऋण दिया जाना

1884. **श्री नारायण चन्द पराशरः** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेंडर वर्ष 1975 में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से प्रत्येक जिले में कितने व्यक्तियों ने कृषि कार्यो के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण के लिये आवेदन पत्र दिये ; और

(ख) प्रत्येक जिले के कितने व्यक्तियों को कृषि ऋण दिये गये और कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को अस्वीकृत किया गया और कितने आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा अस्वीकृत/अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे जिस रूप में मांगे गये हैं, उस रूप में एकत्र नहीं किये जाते हैं । फिर भी राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों के अंतर्गत ऋणकर्ता खातों के संबंध में जिलेवार आंकडे इकटठे किये जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु कुटीर उद्योगों के लिए दिये गये ऋण

1885. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेंडर वर्ष 1975 में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में से प्रत्येक जिले में लघु और कुटीर उद्योगों के लिए कितने व्यक्तियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के लिए आवेदन पत्र दिये; और

(ख) प्रत्येक जिले में कितने व्यक्तियों को ये ऋण दिये गये तथा कितने आवेदनपत्रों को अस्वीकार किया गया और कितनों पर अभी विचार किया जा रहा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). आंकड़े सूचित करने की वर्तमान प्रणाली में लघु और कुटीर उद्योगों के लिये आवेदन पत्र देने वालों की संख्या और बैंकों द्वारा मंजूर, नामंजूर किये गये अथवा उनके पास अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की संख्या के आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था नहीं है । अलबत्ता, जून, 1975 के अन्त की स्थिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऋणकर्ता खातों की संख्या तथा छोटे पैमाने के उद्योगो को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की कुल बकाया राशि सम्बन्धी उपलब्ध जिलेवार आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं ।

विवरण

हिमाचल प्रदेश में खातों की संख्या तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि को जून, 1974 के अन्त की जिलेवार स्थिति ।

(रकम हजार रूपये)

क्रम संख्या	जिला	ऋणकर्ता खातों की संख्या	बकाया रकम
1.	बिलासपुर . .	5	62
2.	चम्बा .	3	73
3.	हमीरपुर .	18	59
4.	कांगड़ा .	60	3592
5.	कुल्लू . .	32	341
6.	मण्डी .	18	141
7.	शिमला . .	177	5253
8.	सिरमौर .	14	1556
9.	सोलन . .	86	2909
10.	ऊना	12	1056
	सम्पूर्ण राज्य	425	15042

टिप्पणी :—किन्नौर व लाहौल-स्पीति के सम्बन्ध में प्रगति उन जिलों में प्रदर्शित है जिनमें से काटकर ये जिले बनाये गये हैं ।

Production and Export of Opium

1886. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:—

(a) the quantity of opium being produced in the country and State-wise area under its cultivation;

(b) the names of the places where opium factories are located and the number of employees working in each factory; and

(c) the names of the countries to which opium is exported and the annual foreign exchange earnings from it ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a). The total quantity of opium produced in India during 1975 was 1033 tonnes

at 90° Consistence. The State-wise area licensed for opium poppy cultivation during the current crop year (1975-76) is as follows:—

Name of State	*Area licenced for opium poppy cultivation*
	(Hectares)
Uttar Pradesh	13,347
Madhya Pradesh	21,315
Rajasthan	15,856

(b) There are two Government Opium Factories, one at Ghazipur (Uttar Pradesh) and the other at Neemuch (Madhya Pradesh). The number of Regular workers currently employed in those factories (excluding alkaloids manufacturing units) is 496 and 306 respectively.

(c) India earned during 1975-76, approximately Rs. 33 crores in foreign exchange by exporting opium to the following countries:—

"United Kingdom, United States of America, U.S.S.R., France, Italy, West Germany Japan, Bulgaria, Switzerland, Taiwan, Argentina, Belgium, Holland, Spain, Yugoslavia, Norway, Portugal, Poland and Denmark."

Smuggling of Gold

1887. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:—

(a) whether Government have formulated any scheme to unearth concealed gold all over the country;

(b) State-wise quantity of gold seized after the proclamation of emergency;

(c) whether gold is still being smuggled and cases of gold smuggling have been detected after the proclamation of emergency; and

(d) if so, the number thereof and the places where the cases were detected?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a). The recent Voluntary Disclosure Scheme had provided *inter alia* for the voluntary disclosure of concealed income and/or wealth in the form of gold and immunity of such gold from penal actions under Customs Act and Gold Control Act subject to certain conditions.

(b) The Income Tax authorities have conducted 2214 search and seizure operations under the provisions of Income Tax and Wealth Tax Acts for unearthing unaccounted income/wealth, during the period from 1-7-75 to 29-2-76. As a result of these operations, on the basis of information presently available, seizures of cash, bullion, jewellery and other assets as under were made:—

	(Rs. in lakhs)
Cash	281
Bullion	11
Jewellery	731
Other assets	336

A statement showing the statewise value of gold seizures under Customs Act during the period from July, 1975 to January, 1976 is enclosed as Annexure-I. Particulars of seizures of gold under the Gold Control Act are being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). Intelligence reports suggest that barring stray cases, there is no smuggling of gold on any substantial scale. The total number of seizures of foreign marked gold during the period from July, 1975 to January, 1976 was 237. It cannot, however, be said whether this gold was smuggled before or after the proclamation of emergency. Information regarding the places where major seizures of a value of Rs. 1 lakh or more were made are being collected and will be laid on the Table of the House.

Statement

Statewise values of Gold Seizures during the period from July, 1975 to January, 1976 under Customs Act

State	Market value of gold seized
	(Rs. 000)
Assam	1,07
Meghalay	25
Tripura	9
Kerala	69
Tamilnadu	8,62
Orissa	3
Delhi	2,01
Rajasthan	6
Gujarat	16
Diu	7
Haryana	24
Maharashtra	53
Madhya Pradesh	92
West Bengal	13,40
Uttar Pradesh	5,57
Bihar	3,66
Pondicherry	13
TOTAL	37,50

Profit made by S.T.C. and M.M.T.C.

1888. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:—

(a) the profit accrued to State Trading Corporation and Minerals and Metals Trading Corporation in the past two years from import of different items, item-wise; and

(b) the percentage by which the profit exceeds the cost of these items?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a) and (b). It is not possible to indicate item-wise the profits from import of different items, since the overhead expenses of the Corporations and interest charges in respect of carrying stocks cannot be apportioned between individual commodities. However, the total profits earned by the two Corporations during the years 1973-74 and 1974-75 are indicated in their respective Annual Reports for these years, copies of which are available in the Parliament Library.

Payment of Interst by Nationalised Banks and United Commercial Bank at Jaora, Ratlam District, Madhya Pradesh

1889 Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:—

(a) whether various nationalised banks including United Commercial Bank at Jaora in Ratlam District of Madhya Pradesh, have not been paying interest on the amount in the Depositors' accounts and recurring accounts at enhaned rates of interest since last year;

(b) whether all the banks were issued clear directives in this regard; and

(c) the reasons for these banks not working according to the directives?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (c). Interest rates on deposits were enhanced in terms of Reserve Bank directive dated 22nd July, 1974 and all the banks were directed by the RBI to extend the benefit of enhanced rates of interest also to deposits which had not matured for repayment as on 23-7-1974, for the remaining period of deposit from that date. Reserve Bank of India has reported that whenever instances of contravention of the provisions of its directive are brought to their notice, the concerned banks are directed to take immediate corrective action. Reserve Bank has, however, reported that they have not received any specific complaint about non-payment of interest by nationalised banks at Jaora at Ratlam. United Commericial Bank has reported that on some deposits accepted by their Jaora Branch before Reserve Bank of India directive, the advantage of enhanced rates had not been given with retrospective effect and it has since advised the branch to pay the difference in the amount of interest to the concerned depositors.

धन कर का निर्धारण

1890. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनके पास 31 मार्च, 1975 को 25 लाख रु० से अधिक कर योग्य धन था; और

(ख) स्वैच्छिक प्रकटन योजना के अन्तर्गत पता लगे धन के परिणामस्वरूप करदाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

फारस की खाड़ी में बन्दरगाहों पर भीड़भाड़ के कारण भारत के निर्यात में रुकावट

1891. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों में भीड़-भाड़ की समस्या इतनी गम्भीर है कि जहाजों को 6 मास तक के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिसके कारण भारत के निर्यात व्यापार पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या भारतीय निर्यातक डिलीवरी की समय सारणी पर चलने में असमर्थ है और इस कारण यूरोपीय प्रतिद्वन्दियों के मुकाबले में पीछे रह रहे हैं जो कि वास्तव में उनके मुकाबले के नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). पश्चिम एशिया खाड़ी के कुछ बन्दरगाहों पर विशेष रूप से खुर्रम शहर, बसरा, दम्मन और दोहा बहुत भीड़-भाड़ वाले पत्तन हैं जिसके कारण जहाजों को स्थल मिलने में देरी होती है जो दोहा में 70 दिन से लेकर खुर्रम शहर के पत्तन पर 150 दिन तक होती है। पत्तनों की इस भीड़भाड़ से सभी देशों के जहाजों पर असर पड़ रहा है, जिसमें भारत के जहाज भी शामिल हैं और निर्यातक सुपुर्दगी कार्यक्रम पूरा नहीं कर पाते हैं। तथापि, ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है कि भारतीय निर्यातक अपने यूरोपीय प्रतिद्वन्दियों के मुकाबले पीछे रह रहे हों।

(ग) सरकार तथा भारत से पश्चिम एशिया खाड़ी पत्तनों को होने वाले व्यापार की व्यवस्था करने वाली जहाजरानी कान्फ्रेंस इस प्रस्थापना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है कि जहाज से माल उतार कर उसे पत्तन पर छोड़ने के लिए नौकाएं तथा यन्त्रीकृत जलयान काम में लाये जाय ताकि भीड़भाड़ वाले पत्तनों पर भारतीय जहाजों को रुके रहना न पड़े।

2. भारत के पूर्वी तट/पश्चिम एशिया खाड़ी कान्फ्रेंस, ईस्टर्न इण्डिया शिपर्स एसोसिएशन और सरकार के प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधि मण्डल समस्या का अध्ययन करने के लिए खाड़ी के महत्वपूर्ण पत्तनों को भेजा गया है ताकि वह स्थिति को सुलझाने के मार्गोपाय निकाल सके।

3. भारतीय जहाजरानी कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे इन भीड़भाड़ वाले पत्तनों को अपने जहाज भजने के कार्यक्रमों को ऐसी तरह सुव्यवस्थित करें कि इन पत्तनों को कम से कम भारतीय जहाज अधिक से अधिक माल लेकर जायें।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संकटग्रस्त औद्योगिक एककों को दिये गये ऋण

1892. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

श्री वसन्त साठे :

श्री के० एम० मधुकर :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आरम्भिक संकटग्रस्तता के लक्षण दर्शाने वाले एकको सहित देश में बड़ी संख्या में संकटग्रस्त औद्योगिक एकक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मुनाफ़ा कम करने के लिये मुख्य [illegible] जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यवार इस संकट-ग्रस्त औद्योगिक एककों को कितनी राशि के ऋण दिये गये ;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस समस्या पर विचार किया है और स्थिति का सामना करने तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये एकमुश्त उपाय तैयार किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किये जाने वाले बैंकिंग कारोबार का यह एक स्वाभाविक अंग है कि ऋणकर्ता एकको को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़े और इन कठिनाइयों की वजह से ये एकक रुग्ण हो जायें। उन मामलों में जहां रुग्णता आरम्भिक है अथवा अस्थायी है, बैंक इस प्रकार के ऋणकर्ता एकको को कठिनाइयों से उबारने का पूरा प्रयास करते हैं। जब कोई एकक पूरी तरह रुग्ण हो जाता है तथा बन्द हो जाता है और दूसरे प्रबन्धकों द्वारा उसे सम्भाल लेने या उसका राष्ट्रीय करण के बाद भी उसके पुनः कार्य करने की कोई सम्भावना नहीं रहती, तभी बैंकों द्वारा उस प्रकार के एककों को दी गई रकम के डूबने की आशंका पैदा होती है। ऐसे ही मामलों में, यह सम्भव होता है कि बैंक द्वारा अपने पास रखी गई जमानत पर अपना कानूनी दावा लागू करने के बावजूद डूबी हुई रकम (बैड डेट) को बट्टे खाते डालने का प्रश्न पैदा हो। विवेकपूर्ण बैंकिंग की सामान्य प्रथा के अनुसार, बैंक, अपने सांविधिक लेखापरीक्षको की सलाह से, अपने द्वारा साल-दर-साल अर्जित लाभों का विनियोजन करते समय, डूबने वाले (बैड डेट) तथा सन्देहास्पद ऋणों के वास्ते आरक्षित कोष की व्यवस्था कर देते हैं। डूबने वाले जिन ऋणों को अन्त में बट्टे खाते डालना पड़ता है वे बैंको द्वारा डूबने वाले और संदेहास्पद ऋणों के लिये बनाये गये आरक्षित कोष से पूरे किये जाते हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत निर्धारित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाते के प्रोफ़ार्मा के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार, डूबते और

सन्देहास्पद ऋणों के लिये बनाये गये किसी बैंक के आरक्षित कोष को प्रकाशित खातों में प्रकट नहीं किया जाता है। अतः बैंको के ऐसे अग्रिमों के बारे में कोई सूचना प्रकट करना कठिन है जिनके लिये लेखे में डूबते और संदिग्ध ऋणों के आरक्षित कोष की व्यवस्था करनी पड़ी हो अथवा जो डूबते ऋण वास्तव में बट्टे खाते डालने पड़े हों।

(ग) और (घ). भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा दीर्घविधिक ऋण प्रदान करने वाली सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के परामर्श से सरकार उन मार्गोपायो पर निरन्तर विचार कर रही है जिनसे प्रबन्धकों और उद्योगों की ऋण-सूचना प्रणाली की मदद से, आरम्भिक रुग्णता का ज्ञान और उपचार संभव हो सके।

कपास एकाधिकार वसूली योजना के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार की मांग

1893. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 1974–75 के मौसम में कपास की अपनी बकाया राशि के परिसमापन के लिये केन्द्र से 40 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कपास एकाधिकार वसूली योजना के क्रियान्वयन में आ रही वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने हेतु अन्य क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार के इस अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा धनराशि का दुर्विनियोग

1894. **श्री नाथूराम सिंह चौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा कितनी राशि का दुर्विनियोग या गोलमाल किया गया ; और

(ख) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बारे में अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

कर्मचारियों द्वारा दुर्विनियोजित अथवा गबन की गई राशि :

एयर इंडिया

1973–74	3,20,000 रुपये
1974–75	9,328 रुपये
1975–76	1,12,770 रुपये

की गई कार्यवाही :

सेवा समाप्त की गई . .	1 मामला
फ़ौजदारी (क्रिमिनल) मामला दर्ज किया गया, कर्मचारी को सजा हुई और उसे नौकरी से निकाला गया	1 मामला
कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी परन्तु फ़ौजदारी मामला चल रहा है।	1 मामला
विभागीय जांच प्रारम्भ की जा रही है	1 मामला
जिन मामलों में जांच-पड़ताल की जा रही है।	2 मामले

इंडियन एयरलाइन्स

1973 .	14,919.47 रुपये + 1.30 पौण्ड + 6.25 डालर
1974 . . .	28,919.95 रुपये
1975 . . .	8,447.00 रुपये

की गई कार्यवाही :

नौकरी से निकालना . .	7 मामले
पदावनति . . .	2 मामले
वेतन में कमी	8 मामले
जांच शेष	3 मामले

Setting up of Powerloom Complex at Kunnathara by Unemployed Youths

1895. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :—

(a) whether 600 unemployed youths with their joint effort have set up a powerloom complex at a place named Kunnathara in Kerala which is a unique enterprise in the country and which he himself has admired;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for encouraging unemployed youths of other States for starting such enterprises; and

(c) if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh): (a). Kerala Government had formulated a scheme to establish a powerloom complex with 400 looms providing. employment to about 600 youngmen. The requisite permits have already been issued for about 144 looms and more were under issue against the allotment of powerlooms made to the State during the 4th Plan period.

(b) and (c). Central Government has not formulated any schemes for powerloom complexes.

केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रणाधीन कपड़ा मिलें

1896. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नियंत्रण में कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं ;

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इन मिलो को अपने अधिकार में ले लिये जाने के बाद उक्त मिलों की वित्तीय स्थिति क्या है ;

(ग) क्या इन में से कोई मिल बाद में फ़िर बन्द हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उक्त मिलों को चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मिलो के नाम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(क) मिलों के नाम निम्नांकित प्रकार हैं :—

(1) केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर

(2) अलागप्पा टैक्सटाइल्स (कोचीन) मिल्स, अलागप्पा नगर

(3) विजयमोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम

(4) पार्वती मिल्स, क्विलोन

(5) कन्नानूर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कन्नानूर

(ख) 1976 के जनवरी महीने में 11.79 लाख रु० का घाटा हुआ जब कि जुलाई, 1975 में 20.86 लाख रु० का हुआ था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

युगोस्लाविया को वस्तुओं का निर्यात

1897. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाविया में अतिरिक्त जमा रुपयों के निपटान के लिये उस देश को कुछ वस्तुओं का निर्यात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां। जनवरी, 1973 से यूगोस्लाविया के साथ मुक्त विदेश विनिमय आधार पर भुगतान आरम्भ होने के परिणामस्वरूप यूगोस्लाविया के पक्ष में कुछ बकाया रुपया निकला ।

इस बकाया रुपये का भुगतान करने के लिये तार, रस्सों, बलदार तारों, रेल-डिब्बा संघटकों, वाणिज्यिक गाड़ियों, डीजल के इंजिनों तथा हिस्सों, लिनोलियम, ट्रेक्टर संघटकों, मोटरगाड़ियों के हिस्सों, कच्चे लोहे, खींचने तथा उठाने की मशीनों, टायरों, वस्त्रों, मूंगफली, चमड़े, चाय तथा काली मिर्च जैसे कुछ उत्पादों को निर्यात करने का निश्चय किया गया है ।

Air Service to Kota

1898. Shri Lalji Bhai:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Kota city in Rajasthan is not linked with any major city of India by air service;

(b) whether the people and the State Government have approached the Central Government several times in this regard; and

(c) if so, the action taken in the matter?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). There have been demands for operation of air services to Kota. Kota is included in the list of 20 towns drawn up by Indian Airlines for possible extension of their network during the Fifth Plan period. However, due to steep increase in the price of aviation fuel, and the decision of the Corporation to phase out Viscounts and Dakotas from their fleet, it has not been found possible for the Corporation to airlink Kota for the present.

Udaipur Aerodrome

1899. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether work on expansion of Udaipur aerodrome has not been completed so far; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which it will be completed?

The Minister of Tourism and Civil Aviation: (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). One of the contractors entrusted with the works at Udaipur aerodrome abondoned the work after completing about 30% of the job. The tenders had to be reinvited and the balance work entrusted to another contractor. The works relating to extension and stengthening of the runway are proceeding satisfactorily now. Limited operations by Boeing-737 are now permitted as two layers of the strengthening on the existing runway and extention of runway by 300 ft. to make it 5700' have already been completed. The entire works are expected to be completed by end of this year making it fit for regular Boeing operations.

Income Tax Assessees

1900. **Shri Lalji Bhai** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state the number of income tax assessees under the minimum rate of income tax during the years 1973-1974 and 1975, year-wise and the amount of inomce-tax realised from them ?

The Minister of State in-Charge of Deptt of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : The information called for is not available from the records maintained in the Department of Revenue and Banking. The amount of labour invloved in collecting and compiling the required information would be considerable.

2. The Director of Inspection (Research and Statistics) prepares All India Income-tax Statistics on the basis of the tax calculation sheets in respect of income-tax assessments completed during a particular financial year-giving various classified information. The break-up is available only in regard to the cases which result in demand. The number of assessments completed during the financial year include even-assessments completed for an earlier assessment year. The latest published statistics available is for the financial year 1972-73, on the basis of which the following information is furnished for the financial year 1972-73.

	No. of Income-tax assessees	Income-tax including Surcharge assessed
Individuals with Income up to Rs. 10000.	1289932	307634000
Hindu Undivided Families with income up to 10000.	32874	8168000
Unregistered Firms with income upto Rs. 10000.	7502	2378000
Association of Persons with income upto Rs. 10000.	3895	2285000
Registered Firms with income from Rs. 10000 to 25000.	86948	31681000
Total	1411151	352146000

3. In the case of Corporate Tax payers, the tax rate is uniform and in view of this they have not been included in the above information.

4. Minimum rate of tax is not only applicable in these cases but is also applied in the case of assessees being taxed at the highest rate-of tax in respect of that part of income which falls in the lower bracket.

Raids to unearth Black Money

1901. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state : the number of raids conducted by Inomce Tax Authorities from 1973 to 1975, and the amount seized as a result thereof, year-wise ?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : The Number of search and seizure operations conducted by the

Income-tax authorities during the calender years 1973, 1974 and 1975 and the value of assets seized as a result thereof are :—

Calendar Year.	No. pf searches conducted.	Value of assets seized (Rs. in Lakh)
1973	488	449
1974	1758	1478
1975	2475	2108

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अलाभकारी मार्गों पर विमान सेवाएं चलाना

1902. **श्री जगनाथ मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया एयरलाइन्स किन्हीं अलाभकारी मार्गों पर विमान सेवाएं चला रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 1974–75 के दौरान परिचालित 93 मार्गों में से 72 मार्ग अलाभप्रद थे । इन मार्गों को देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०–10610/76]

श्री लंका के साथ विमान सेवा समझौता

1903. **श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में श्रीलंका के साथ विमान सेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). भारत सरकार तथा श्रीलंका सरकार के शिष्टमण्डलों के बीच 12 तथा 13 फरवरी, 1976 को नई दिल्ली में विचार विनिमय हुए थे । दोनों शिष्टमंडल निम्नलिखित बातों पर सहमत हुए :

(i) श्रीलंका सरकार की नामित विमान कम्पनी को प्रति सप्ताह कुल मिलाकर 14 सेवाओं के अधिकार के अन्तर्गत रहते हुए बम्बई के मार्ग से कराची तथा शारजाह के लिए परिचालन करने का अधिकार होगा । बम्बई से कराची के मार्ग से होते हुए शारजाह तक इस प्रकार परिचालित की जाने वाली सेवाओं की संख्या प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह दो से अधिक नहीं होगी ।

(ii) श्रीलंका सरकार द्वारा नामित विमान कम्पनी को उक्त दो विनिर्दिष्ट सेवाओं पर बम्बई तथा शारजाह के बीच प्रति सप्ताह बम्बई में अधिक से अधिक 30 (तीस) पंचम् विशेषाधिकार-प्राप्त (फिफ्थ फ्रीडम) यात्रियों को चढ़ाने/उतारने का अधिकार होगा। इस परिसीमा को पाक्षिक (द्विसप्ताह) आधार पर संगणित किया जा सकेगा। ऊपर विनिर्दिष्ट सेवाओं पर बम्बई तथा करांची के बीच पंचम विशेषाधिकार-प्राप्त यात्रियां के वहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iii) श्रीलंका की नामित विमान कम्पनी को इन सेवाओं में से किसी एक सेवा पर करांची को छोड़ने का अधिकार होगा।

कोलम्बो से आगे के स्थानां के लिए बिना किन्हीं प्रतिबन्धों के परिचालन करने के अपने अधिकार के संदर्भ में, भारतीय शिष्टमंडल ने भारत सरकार की नामित विमान कम्पनी की कोलम्बो तथा माले के बीच सेवाएं परिचालित करने की इच्छा को व्यक्त किया। श्रीलंका के शिष्टमंडल ने इसे नोट कर लिया।

यह सहमति हुई कि पत्रों का आदान-प्रदान होने तक, ऊपर निर्दिष्ट व्यवस्थाएं 13–2–76 से लागू कर दी जाएंगीं।

बढ़िया और मध्यम किस्मों के कपड़े का उत्पादन

1904. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 से 1975 तक वर्षवार देश में बढ़िया और माध्यम किस्मां के कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वर्ष 1973 से 1975 तक के दौरान मध्यम 'ब', मध्यम 'अ' और बढ़िया किस्मां के कपड़े के उत्पादन के वर्षवार आंकड़े निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(आंकड़े करोड़ मीटर में)

वर्ष	मध्यम 'ब'	मध्यम 'अ'	बढ़िया
1973	127.87	155.89	36.83
1974	127.24	195.76	27.66
1975 (अन्तिम नहीं)	115.11	185.89	24.77

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लाभ में वृद्धि

1905. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लाभ के बारे में 9 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 72 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 के दौरान पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लाभ में और वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या लाभ की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए सरकार की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय पर 1974-75 से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है ।

(ग) भारत सरकार के विचाराधीन ऐसी अभी कोई स्कीम नहीं है ।

(घ) सवाल पैदा ही नहीं होता ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का काम

1906. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों को 1975-76 में कितना लाभ हुआ :

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने गत तीन वर्षों में अपने काम में सुधार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 1975-76 के लेखे अभी संकलित किए जा रहे हैं । तथापि, अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 तक की अवधि में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित किए गए लाभ के अनंतिम रूप से की गयी गणना के अनुसार 15.65 लाख रुपये होने का अनुमान है । इन आंकड़ों की लेखा-परीक्षा एवं समंजन अभी किया जाना है ।

(ख) और (ग). जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के पिछले तीन वर्षों में अर्जित किए गए लाभ का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रुपयों में)
1972–73	32.01
1973–74	19.93
1974–75	68.23

चण्डीगढ़ में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता

1907. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पंजाब और हरियाणा सरकार के उसी स्थान पर नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में नगर प्रतिपूर्ति भत्ता बहुत कम मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसा समझा जाता है कि पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने चण्डीगढ़ में अपने कर्मचारियों को वेतन के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति दी है। चंडीगढ़ में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन के 5 प्रतिशत पर विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते के हकदार हैं।

(ख) अपने कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता देने के मामले में केन्द्रीय सरकार के अपने स्वयं के अलग मानदंड हैं जो तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं और जिन को देश भर में समान रूप से लागू किया जाता है। इस मामले में राज्य सरकारों के अपने स्वयं के मानदंड हैं जो केन्द्र और राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि स्वयं राज्यों में भी भिन्न-भिन्न हैं।

केरल में जाली नोट बनाने वाला गिरोह

1908. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केरल में जाली नोट बनाने वाले एक गिरोह को पकड़ा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). केरल सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चाय का उत्पादन और निर्यात

1909. **श्री मती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चाय का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसी अवधि में कुल कितनी चाय निर्यात की गई ;

(ग) उक्त अवधि में सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(घ) रुपयों में भुगतान करने वाले देशों को कुल कितनी चाय निर्यात की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ). 1972–73 से 1974–75 के दौरान चाय के उत्पादन तथा निर्यातों का ब्योरा निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन	निर्यात		रुपयों में भुगतान करने वाले देशों को निर्यात
		मात्रा	मूल्य	
	(करोड़ किग्रा में)	(करोड़ किग्रा में)	(करोड़ रु० में)	(करोड़ किग्रा में)
1972–73	45.60	19.32	147.29	8.48
1973–74	47.20	19.03	144.85	7.25
1974–75	48.95	22.08	219.93	8.58

रुई की खरीद

1910. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उधार खरीदी रुई तथा अन्य सामान के लिये व्यापारियों को कोई पैसा देना है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और ये खरीदारियां कब की गई थीं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेंगी ।

भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त समिति

1911. **श्री रानेन सेन :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूगोस्लाविया संयुक्त समिति का दसवां सत्र फरवरी, 1976 में बैलग्रेड में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां। भारत-यूगोस्लाविया संयुक्त समिति के दसवें सत्र में, जो फरवरी 1976 में बेलग्रेड में हुआ था, व्यापार, औद्योगिक सहयोग, बैंकिंग, वित्त और जहाजरानी में सहयोग तथा तृतीय देशो में सहयोग के क्षेत्र में परस्पर हित के विभिन्न मामलों पर यूगोस्लाविया के प्रतिनिधियो से विचार विमर्श किया गया। आगामी अंकटाड–4 की पृष्ठभूमि में बहुपक्षीय प्रश्नों पर विचारो का आदान-प्रदान हुआ। दोनों पक्षो ने परस्पर व्यापार की सम्भावनाओं पर विचार किया और उसके विविधकरण के क्षेत्रों का पता लगाया। यूगोस्लाविया पक्ष ने हाई ग्रेड लौह अयस्क के आयात में और भारत से वैगनों की सप्लाई में अपनी रूचि दिखाई। तृतीय देशो में भारत-यूगोस्लाविया सहयोग के सम्भाव्य क्षेत्रों का भी पता लगाया गया।

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में दोनो पक्षों ने यूगोस्लाविया के व्यवसायिक बैंकों तथा विदेशो में भारतीय बैंकों की शाखाओं के बीच प्रथम सम्पर्क स्थापित हो जाने पर अपना सन्तोष व्यक्त किया।

नौवहन के क्षेत्र में यूगोस्लाविया पक्ष इस वर्ष के दौरान भारत के साथ नौवहन करार करने के बारे में वार्ता करने के लिये सहमत हुआ।

कछार में चाय अनुसन्धान केन्द्र

1912. श्री डी० के० पण्डा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय एसोसिएशन ने कछार में एक पूर्ण विकसित चाय अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखा है।

(ख) चाय बोर्ड अथवा सरकार को अभी तक कोई औपचारिक प्रस्थापना नहीं मिली है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अडडा प्राधिकरण द्वारा लीबिया में हवाई-अड्डे का निर्माण

1913. श्री राजदेव सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीबिया सरकार ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा बनाये जाने वाले हवाई अड्डे के लिये स्थल औपचारिक रूप से सौंप दिया है।

(ख) क्या 36 करोड़ रुपये की लागत की यह परियोजना सबसे बड़ी सिविल इंजीनियरी कार्यों में से एक है जो कभी किसी देश ने भारतीय डीजाइन तथा निर्माण एजेंसियो को दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या हवाई अड्डा प्राधिकरण ने हवाई अड्डों और टर्मिनलों की आयोजना, निर्माण और विकास के लिये अपनी परामर्शदात्री सेवाएं गठित की हैं अथवा वह देश के किसी अन्य संगठन से सहायता लेगा; और

(घ) क्या यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर में प्रतियोगिता से प्राप्त किया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां। लीबिया सरकार ने यह स्थान 1 मार्च, 1976 को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को औपचारिक रूप से सौंप दिया था।

(ख) यह विदेशों में किसी भारतीय एजेंसी को दिये गये सबसे बड़े सिविल इंजीनियरी ठेकों में से एक है।

(ग) और (घ). भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास विमान क्षेत्रों के निर्माण कार्यों की योजना बनाने, डीज़ाइन करने तथा प्रायोजना प्रबन्ध में निसुण विशेषज्ञ हैं। परन्तु, वास्तविक निर्माण कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा, जो कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के "निर्माण सहयोगी" के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह ठेका विश्व भर से मंगाये गये टेंडरों में से मुकाबला करके प्राप्त किया गया है।

इंजीनियरी का भारतीय सामान

1914. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय इंजीनियरी के भारतीय सामान का सबसे अधिक आयात करने वाले देश का नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1974-75 वर्ष के दौरान ईराक भारतीय इंजीनियरी के सामान का सबसे बड़ा आयातक देश था।

बैंकों के 'लाकरों' में से जेवरात तथा अन्य आस्तियों का गायब हो जाना

1915. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों के लाकरों में से जेवरात तथा अन्य आस्तियों के गायब हो जाने के बारे में जनता की शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विचार क्या है; और

(ग) इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग). जनवरी-फरवरी, 1976 में सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं, जिनमें दिल्ली के एक बैंक की शाखा के लाकरों से नकदी और/अथवा आभूषण गुम होने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी यह सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में पुलिस में की गई शिकायत पर जनवरी, 1976 में एक मामला

दर्ज किया गया है। इन शिकायतों के बारे में पुलिस की जांच जारी है और पुलिस की जांच पूरी हो जाने पर ही यह पता लगेगा कि क्या किसी लाकर की चीजें गुम हुई हैं। जिन शाखाओं में लाकरों की व्यवस्था होती है उनमें लाकरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिये भी बैंकों का सामान्य प्रबन्ध होता है।

त्रिपुरा और बंगलादेश के बीच व्यापार

1916. **श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच सामान्य व्यापार सम्बन्ध फिर से स्थापित हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा और बंगला देश के बीच कछुआ तथा मछली का सामान्य व्यापार हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) भारत और बंगला देश के सामान्य व्यापार सम्बन्ध हैं।

(ख) 1976 के दौरान बंगला देश से 3.5 करोड़ रु० मूल्य की मछली आयात करने का विचार है। इस में से कुछ भाग का आयात त्रिपुरा में जो प्रवेश स्थल है उनके जरिए किया जाएगा।

बंगला देश से कछुये आयात करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्थापना नहीं है।

Raids on Premises of Former Rulers

1917. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Finance** be plased to state the names of the former rulers whose premises were raided during the last one year and value of assets seized?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : As a result of the searches conducted by Income Tax and Gold Control authorities at various premises of erstwhile ruling family of Jaipur, seizure of cash, jewellery, silver articles and valuable totally valued at about Rs. 9.9 crores were made during the period from February to June, 1975. Out of this primary gold, gold coins, articles and ornaments valued at about Rs. 4.9 crores were seized by the Gold Control authorities. The Income Tax authorities seized valuables and other assets amounting to Rs. 5 crores.

Searches conducted by Income-tax and Gold Control authorities at the premises of the former ruling family of Gwalior during October and November, 1975 had resulted in the seizure of primary gold, articles and ornaments and silverwares totally valued at Rs. 1.65 crores. Seizure of primary gold, articles and ornaments totally valued at Rs. 72 lakhs were effected by Gold Control authorities. This includes round gold bars in the shape of bangles weighing 50 Kg. valued at Rs. 25 lakhs seized under Customs Act. Total value of assets and valuables seized by Income Tax authorities was Rs. 93 lakhs. Assets and valuables worth Rs. 107 lakhs were also sealed by the Income Tax authorities under Section 132 (3) of the Income Tax Act pending further verifications.

As a result of the searches of the premises and bank lockers of former ruler of Daspalla at Bhubaneshwar by Gold Control authorities, seizures of primary gold, articles and ornaments worth Rs. 1.81 lakhs were made under Gold Control Act during the year 1975.

Searches of the premises of the former Raja of Bhor in Maharashtra by Gold Control authorities had resulted in the seizure of gold articles and ornaments totally valued at Rs. 2.25 lakhs during the year 1975.

Particulars of raids and value of assets seized in respect of other former rulers if any, are being collected and will be laid on the Table of the House.

साँताकुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन

1918. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सांताक्रुज इलैक्ट्रानिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जौन में कितने एककों की स्थापना की गई है तथा इन एककों में अब तक कुल कितना निर्यात किया है; और

(ख) क्या देश के बन्दरगाह को सुविधा वाले अन्य स्थानों में ऐसे एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) बारह। जौन के आरम्भ होने के समय से अर्थात् 1–9–74 से 24 मार्च, 1976 तक जौन से किए गये निर्यातों का मूल्य 58.78 लाख रु० है।

(ख) कुछ पत्तन नगरों में अन्य निर्बाध व्यापार जौन की स्थापना करने के कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी तक उसमें से किसी पर भी निर्णय नहीं लिया गया है।

बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों में जीवन बीमा निगम द्वारा लगाई गई धनराशि

1919. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों में वर्ष 1975 में, उद्योगवार कुल कितनी धनराशि लगाई; और

(ख) इसी अवधि में राज्यों तथा अन्य प्रतिभूतियों में, राज्यवार कुल कितनी राशि लगाई गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) दो विवरण-पत्र संलग्न हैं, जिनमें अपेक्षित सूचना दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—10611/76]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती

1920. **श्री पी० रंगानाथ शिनाय :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे

(क) वर्ष 1975 में राष्ट्रीयकृत बैंकों में विभिन्न ग्रेडों में कुल कितने व्यक्ति भर्ती किये गये;

(ख) उनमें से प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कुल कितने व्यक्ति हैं।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1975 के दौरान अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में भेजी गयी सूचना, नीचे दी जा रही है :—

वर्ग	भर्ती किये गये कुल व्यक्ति	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की भर्ती
अधिकारी .	1418	215
लिपिक . . .	10257	2237
अधीनस्थ कर्मचारी . . .	4081	1272

विदेशी पर्यटकों पर प्रभाव

21. **श्री राजदेव सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगे अर्ध-नग्न अवस्थाओं में कार्य कर रही महिलाओं के कला-चित्रों का विदेशी पर्यटकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सब चित्रों को हटाने अथवा बदलने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार को रेलवे स्टेशनों तथा विमानक्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लगे ऐसे चित्रों की कोई जानकारी नहीं है, जिन से विदेशी पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

भारतीय रूई निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति

1922. **श्री वसन्त साठे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके निर्देशपद क्या हैं ; और

(ख) क्या अध्ययन समिति में कपास-उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

जी हां।

'विवरण'

(क) समिति का गठन

1. श्री एन० एस० कुलकर्णी, अध्यक्ष
प्रबन्ध निदेशक,
भारतीय रुई निगम, बम्बई।

2. सलाहकार (रूई),
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
बम्बई।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त,
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय,

4. कृषि अनुसंधान की भारतीय परिषद् के
प्रतिनिधि।

5. प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय वस्त्र निगम।

6. श्री सी० एस० रामाचार,
मैसर्स सीतालक्ष्मी मिल्स, मदुरै।

7. श्री के० सुन्दराज,
प्रबंध निदेशक,
टफलिट प्लास्टिक्स, कोयम्बटूर।

8. श्री बी० सी० काकाठेर,
महासचिव, भारतीय सूती मिल संघ,
बम्बई।

9. अध्यक्ष,
ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन, बम्बई।

10. श्री एम० जी० बोकारे, नागपुर।

विचारार्थ विषय :

इस समिति को उपजकर्ताओं को दी गई कपास की कीमत, लिंट की मिल-गेट कीमतों तथा धागे। कपड़े के लिए निर्धारित की गई कीमतों के बीच वर्तमान सम्बन्ध की जांच करके यह सिफारिश करती है कि क्या एक ओर तो उपजकर्ताओं और दूसरी ओर उपभोक्ताओं के हितों में रूई तथा धागा/।कपड़ा दोनों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए सुव्यवस्थीकरण में कोई परिवर्तन किया जा सकता है।

तथापि, मैसर्स सीतालक्ष्मी मिल्स, मदुराई के श्री सी० एस० रामाचार ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से समिति के साथ स्वयं को सम्बद्ध रखने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी।

डा० एम० जी० बोकारे, महाराष्ट्रकाटन ग्रावर्स संघ के सचिव और इंडियन कपास बुलेटिन के सम्पदाक भी हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के प्रतिनिधि भी उपजकर्ताओं के हितों का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं।

पांचवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में नागर विमानन का विकास

1923. **श्री वसन्त साठे**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में नागर विमानन के विकस के बारे में प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) किन प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है तथा पांचवीं योजना में सम्मिलित कर दिया गया है और किन प्रस्तावों की केन्द्रीय सरकार अभी जांच कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नागर विमानन के महानिदेशक को महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

कालीन बुनकरों को होने वाली कठिनाइयाँ

1925. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कालीन बुनकरों को होने वाली कठिनाइयों के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या तथ्य हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जहां तक सरकार को मालूम है, सारे देश में और विशेषतया उत्तर प्रदेश में, जहां से अधिकांश निर्यात होते हैं, कालीन बुनकरों की सेवाओं की अच्छी मांग है। कालीनों की मांग में वृद्धि होने के साथ-साथ उनकी मजदूरी/आय सामान्यतः बढ़ती रही है।

Deposits Under Small Savings Schemes

1926. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finanace** be pleased to state :

(a) the amount collected under the Small Savings Schemes during the last three years year-wise; and

(b) whether less amount has been deposited under these Schemes during 1975-76 and if so, the reasons therefore?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The net collections under the small savings schemes during the last 3 years were as follows :

(In rupees crores)

Period	Amount (Departmental figures)
1973-74	473
1974-75	326
1975-76 (upto December, 1975)	184

(b) The figures of collections for the full year 1975-76 are not yet available; from the trend of actual collections upto December, 1975, it is expected that the collections in 1975-76 would be better than those in 1974-75.

डाल्टनगंज (बिहार) को विमान सेवा से जोड़ने सम्बन्धी प्रस्ताव

1927. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेतला राष्ट्रीय पार्क पर्यटन आकर्षण को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए डाल्टनगंज (बिहार) को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): फिलहाल डाल्टनगंज को विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बैंक आफ बिहार के अंशधारियों को मुआवजे की अदायगी

1928. **श्री हरि किशोर सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बिाहर को अपने अधिकार में लिए जाने के बाद से इसके अंशधारियों को मुआवजा नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) अभी तक 'द बैंक आफ बिहार लि०' के शैयर धारकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग): 'द बैंक आफ बिहार लि०' की तुरना उगाही जा सकने वाली परिसम्पत्तियां इसकी जमा विषयक और अन्य देनदारियों को पूरा करने के लिये काफी नहीं थी । फिर भी, जमाकर्ताओं को देय रकम का पूरा भुगतान करने के लिए, इसमें पड़ने वाली कमी जमा बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक (जिसमें कि उक्त बैंक को मिला दिया गया है) द्वारा पूरी कर दी गयी । एकीकरण की

योजना में शेयरधारकों को यथानुपात मुआवजा देने की व्यवस्था है। किन्तु ऐसा केवल तभी किया जाना है, जब कि 'द बैंक आफ बिहार लि०' की तुरन्त न उगाही जाने वाली परिसम्पत्तियों में से जमा-बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की देनदारियों की अदायगी हो जाय।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 26 सितम्बर, 1975 की स्थिति के अनुसार उक्त बैंक की उगाहने के लिये शेष रकम 118.13 लाख रुपये थी जबकि इसकी ओर से जमा बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक को क्रमशः 34.15 लाख रुपये और 16.70 लाख रुपये की रकमें देय थीं। चूंकि, बिना उगाही गयी परिसम्पत्तियों का उगाहा जाना कई बातों पर निर्भर है और जमा बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक की देनदारियां पहले चुकता की जानी हैं, अतः इस वक्त यह बताना संभव नहीं है कि शेयरधारकों को अदायगी किस समय तक हो सकेगी।

कंकार्ड विमानों की खरीद

1929. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के लिये कंकार्ड विमान खरीदने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). एयर इंण्डिया तथा इंडियन एयरलाइन्स की कंकार्ड विमान लेने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

कपड़े की वस्तुओं के मूल्य अधिक होना

1930. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपड़े की वस्तुओं के अधिक मूल्य बने रहने के क्या कारण हैं, विशेषकर जबकि कच्चे माल के मूल्यों में स्पष्टतया एकदम गिरावट आई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मिल के कपड़े की थोक कीमतों के सूचकांक के अनुसार कीमत स्तर फरवरी, 1975 के मुकाबले फरवरी, 1976 में 1.61 प्रतिशत कम था।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान मार्ग में श्रीनगर हवाई अड्डा सम्मिलित करने का प्रस्ताव

1931. **श्री सैयद अहमद आगा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार श्रीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय विमान मार्ग में सम्मिलित करने का है ताकि विदेशी पर्यटक सुविधा से काशमीर की यात्रा कर सकें ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्रीनगर विमानक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय विमानमार्ग पर लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस श्रीनगर के लिए पर्याप्त जेट तथा अन्य विमान सेवाएं चला रही है ।

विदेशी बैंकों के व्यापार पर अधिकतम सीमा लागू करना

1932. **श्री बेकारिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में कार्यशील विदेशी बैंकों के कारोबार की कुल राशि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): विदेशी बैंकों सहित, सभी वाणिज्यिक बैंकों का कार्यचालन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, विदेशी-मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 और अन्य संविधियों के उपबंधों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशनों और तथा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाता हैं । विदेशी बैंकों द्वारा किये जा सकने वाले कारोबार की मात्रा के बारे में कोई विशिष्ट उच्चतम-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है ।

विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्यात

1933. **श्री एन० आर० कारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां अपने कुल उत्पादन का लगभग पचास प्रतिशत निर्यात कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं; और

(ग) ये कम्पनियां किन उत्पादों का निर्यात कर रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): (क) से (ग). निर्यात आंकड़े फर्मवार नहीं रखे जाते ।

कच्चे काजू का आयात

1934. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे काजू के आयात के लिये अफ्रीकी देशों के साथ कोई व्यापारिक समझौते हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं। परन्तु भारतीय काजू निगम, जिसके माध्यम से कच्चे काजू का आयात किया जाता है, समय-समय पर अफ्रीकी देशों से कच्चे काजू के आयात के लिए खरीद संविदायें करता है।

1975-76 की फसल के कच्चे काजू के आयात के लिए, निगम ने केन्या से लगभग 10,000 से 15,000 मे० टन कच्चा काजू खरीदने के लिए केन्या स्थित अपने एजेंट की मार्फत दिसम्बर, 1975 में अब तक एक संविदा की है।

जस्ते और तांबे का आयात

1935. **श्री पी० गंगादेव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में जस्ते और तांबे के आयात में कोई कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1974-75 और 1975-76 में कुल कितने जस्ते का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसके कारण ये हैं कि देश में उत्पादन में वृद्धि हुई है और उपभोक्ताओं द्वारा माल धीरे उठाने के कारण पिछले वर्ष का बचा हुआ आयातित स्टाक भी शेष था।

(ग) 1974-75 . . . . 70,000 मे० टन

1975-76 . . 33,000 मे० टन
(अनंतिम)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के वर्ष 1974 के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंककारी विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निक्षेप बीमा निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे पुनः सभा पटल पर रखता हूं।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10042/76]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 441 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 27 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10602/76]

भारत पर्यटन विकास निगम का वर्ष 1974–75 का प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 10603/76]

बीमा (संशोधन) नियम, 1976, आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम 1976 आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम 1976 आदि

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीम (संशोधन) नियम, 1976, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 404 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10604/76]

(2) आपात जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 5 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आपात जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 201 (ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10605/76]

(3) आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा अधिनियम, 1971 की धारा 3 की उपधारा (7) के अन्तर्गत आपात जोखिम (उपक्रम) बीमा (संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 202(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल0 टी0–10606/76]

(4) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन—खण्ड 1–3 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10607/76]

(5) वर्ष 1976–77 के लिये निम्नलिखित मंत्रालयों के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(तीन) पेट्रोलियम मंत्रालय

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–10608/76]

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976

(2) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976

(3) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 1976

(4) केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) संशोधन विधेयक, 1976

(5) विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1976

(6) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1976

(7) विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1976

(8) तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1976

(9) तमिलनाडु विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

(10) गुजरात विनियोग विधेयक, 1976

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

193वां प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी कलकत्ता-उतर-पूर्व : मैं राजस्व और बीमा विभाग के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971–72 और 1972–73 के प्रतिवेदनों,

संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां खण्ड 2, प्रत्यक्ष कर–दान कर के अध्याय 4 में सम्मिलित पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का 193 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री था० किरुत्तिनन (शिवगंज): महोदय मैं आपका ध्यान अपनी उस सूचना की ओर दिलाना चाहता हूं जो मैंने श्री बालकृष्णन की मृत्यु के सम्बन्ध में दी थी । उन्हें मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । हमें बताया जाये कि उनकी मृत्यु जेल में हुई है या जेल से बाहर ?

अध्यक्ष महोदय: आपको मेरी अनुमति प्राप्त नहीं हुई है । किसी विषय को उठाने का यह तरीका नहीं है । यदि आपने सूचना दी है, तो मैं विचार करूंगा ।

श्री सीटी दण्डपाणी : मैं जानना चाहता हूं कि द्रमुक के सचिव की मृत्यु स्वाभाविक है या अस्वाभाविक । (**व्यवधान**....)

श्री था किरुत्तिनन : चूंकि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन है अतः गृह मंत्री जी को सभा में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

अनुदानों की मांगें 1976-77

DEMANDS FOR GRANTS

गृह-मंत्रालय—जारी

(**गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी)** : इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया हैं, मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं । सभी सदस्यों ने चर्चा के दौरान अच्छे सुझाव दिये और कहीं कहीं आलोचना भी की । मेरा मंत्रालय सदस्यों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों पर ध्यान से विचार करेगा ।

हमें वर्ष 1975–76 को उपलब्धियों का वर्ष मानना चाहिये । 25 जून, 1975 को आपात स्थिति की घोषणा के बाद सारे समाज में अनुशासन की भावना पैदा हुई हैं । हम प्रधान मंत्री के अत्यन्त आभारी हैं कि उन्होंने अपने दृढ संकल्प तथा दूरदर्शिता से देश को संकट, अव्यवस्था तथा अस्थिरता के वातावरण से बचाया है । आपात स्थिति की घोषणा से देश दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी, फासिस्टवादी तथा गैर-लोकतांत्रिक शक्तियों से भी बच गया है । अब हम सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं ।

जो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया गया है, वे जरा गौर करें कि 1974 के बाद क्या क्या कार्य सम्पन्न हुए हैं । उस समय देश में कितनी अव्यवस्था फैली हुई थी, अशांति थी । क्या विरोधी दलों का इस गड़बड़ फैलाने में कोई हाथ न था ? वे जरा अपनी आत्मा को टटोल कर देखें ।

कुछ विरोधी दलों ने सभा में और सभा के बाहर किस तरह कार्य किया, यह बताने की जरूरत नहीं । विरोधी पक्ष स्वयं सोचे और वैसा कार्य करे जिस तरह किसी भी लोकतांत्रिक देश में जिम्मेदार विरोधी पक्ष अपना दायित्व निभाता है ।

यह सभी स्वीकार करते हैं कि आपात स्थिति की घोषणा के बाद देश को कई लाभ हुए हैं देश के सभी भागों पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में देश की समग्र जनता की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। अतः इस भावना को बनाये रखने की जिम्मेवारी अब हमारे ऊपर है। आपात स्थिति से प्राप्त लाभ स्थायी बनाये जायें और इस देश के लिए एक जीवन मार्ग तैयार किया जाये।

आपात स्थिति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हम मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं। इस उपलब्धि पर हम गर्व कर सकते हैं।

दूसरी उपलब्धि यह है कि वर्ष 1974 और 1975 के प्रारम्भ में समूचे देश में आत्म संशय का जो वातावरण बना था उसका स्थान विश्वास ने ले लिया है। मेरे विचार से यह एक बड़ी बात है। क्योंकि जिस देश में आत्म संशय का वातावरण हो, जहां लोग अपने भविष्य के प्रति अनिश्चित हों, उस देश को जीवित रहने का अधिकार नहीं। आपात स्थिति से देश में अनुशासन पैदा हुआ, जिस से लोगों के दिलों में आत्म विश्वास की भावना बढ़ी है। यह आत्म विश्वास ही देश को आगे ले जाता है। राष्ट्र निर्माण के लिए वह आवश्यक है।

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए कानून और व्यवस्था का सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक हैं। आंतरिक व्यवस्था यदि सुदृढ़ है तो उससे हमारी रक्षा क्षमता भी बढ़ जाती है। आंतरिक शक्ति से अर्थ व्यवस्था तो ठीक होती ही है, उससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है।

प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के प्रति हमें ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाना है। इस कार्यक्रम को तैयार करते समय भी उपरोक्त दृष्टिकोण ही अपनाया गया था। इसे कार्यान्वित करने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है? सभी राजनीतिक दलों का हमारे साथ होना भी बहुत जरूरी है। अतः किसी भी दल को इस कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखना चाहिये।

देश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ राजनीतिक स्थिरता लाना भी बहुत आवश्यक है। यह स्थिरता राष्ट्रीय एकता द्वारा ही पैदा की जा सकती है। समाज के सभी वर्गों को एकता बनाये रखनी चाहिये। राजनीतिक स्थिरता होगी तो आर्थिक प्रगति भी होगी और हमारी प्रतिरक्षा क्षमता भी बढ़ेगी।

वर्ष 1975 समेकन का वर्ष रहा है। प्रधान मंत्री और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौत के फलस्वरूप भारत के साथ जम्मू और काश्मीर के बीच एकता बढ़ी है और आपसी मेल-जोल में भी बढ़ोतरी हुई है। अब वहां का आर्थिक विकास तीव्रता से हो रहा है।

काश्मीर के सभी मामलों विशेषकर आर्थिक मामलों की देख-भाल के लिए श्री ओम मेहता की अध्यक्षता में बनी समन्वय समिति वहां के आर्थिक विकास की ओर पूरी तरह ध्यान दे रही है।

11 नवम्बर, 1975 को दो दशकों से चली आ रही नागा समस्या का भी हल निकाल लिया गया है। हम सब को हर्ष होगा कि दो दशकों से देश के उस भाग में नागाओं द्वारा विद्रोह करने के कारण वहां की ही नहीं, वरन समूचे देश को अत्यधिक हानि पहुंची है।

यदि कोई पूर्वोत्तर क्षेत्र की समूची स्थिति पर दृष्टिपात करे तो उसे पता चलेगा कि देश के उस भाग में अब पूर्ण शांति है। नागालैंड तथा मिजोरम सहित सभी लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं।

सिक्किम में भी लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और दशकों से उपेक्षित रहने के कारण व लोग पिछड़े हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता दी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और उस क्षेत्र का सुधार हो सके।

जहां तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सम्बन्ध है, हम उनकी कठिनाइयों को जानते हैं और हम उन लोगों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी योजना है कि अगले 15-20 वर्षों में हम उस क्षेत्र को देश का सबसे आकर्षक क्षेत्र बनायें।

देश की आन्तरिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1974 के अपेक्षा वर्ष 1975 में आपराधिक घटनाओं की संख्या काफी कम रही।

मैं केवल यह कह रहा हूं कि स्थिति में सुधार हो रहा है। दिल्ली में 1975 में अपराधों में 25 प्रतिशत की कमी हुई है और बम्बई, मद्रास और कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में भी अपराधों में कमी हुई है। यह अच्छी बात है और हमरा प्रयास यही रहेगा कि ऐसी घटनाओं में और भी कमी हो और आने वाले वर्षों में इस तरह की घटनायें उत्तरोत्तर कम होती जायें।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली प्रशासन ने डकैती समस्या का संयुक्त रूप से मुकाबला करने का प्रयास किया है। इसके लिये समन्वित प्रयास करने की व्यवस्था की जा रही है और इससे हमें सफलता भी मिली है। 1976 के इन दो तीन महीनों में लगभग 117 डाकू मारे गये हैं और कई पकड़े भी गये हैं। यह अच्छी बात है और इस दिशा में प्रभावी रूप से अग्रेतर कदम उठाने के लिये तीनों सम्बन्धित राज्यों को हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

गत कई वर्षों से हम समूचे देश में पुलिस के कार्यकरण में सुधार करने के लिये प्रयास करते आ रहे हैं। उनके व्यवहार में, विशेषकर जब समाज के कमजोर वर्गों का उनसे काम पड़ता है, परिवर्तन लाने के लिये 1970 से पहले कई कदम उठाये गये। इस दिशा में काफ़ी कार्य किया गया और हमें आशा है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे पुलिस बल को, जो कभी दमनकारी समझी जाती थी, जन सुरक्षा बल समझा जाने लगेगा। उनके प्रशिक्षण, उनके पाठ्यक्रम, उनकी आदतों में बहुत परिवर्तन किये गये हैं और गलती करने वालों के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जाती है।

उल्लेख किया गया है कि 1950-51 में पुलिस पर 3 या 4 करोड़ रुपये व्यय होता था। अब यह बढ़ कर 150 करोड़ रुपये या 160 करोड़ रुपये हो गया है। इसका कारण यह है कि 1950-51 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की केवल एक बटालियन थी, अब हमारे पास 60 बटालियन हैं। 1950-51 में कोई सीमा सुरक्षा बल नहीं था। अब हमारे पास भारत-तिब्बत सीमा पुलिस भी है। उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और उनके वेतनमान भी बढ़े हैं। यह वृद्धि इसलिये हुई है क्योंकि इस दौरान केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल तथा भारत-तिब्बतीय सीमा पुलिस के कमचारियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।

हमने राज्यों को अपने पुलिस वालों को आधुनिक बनाने के लिये भी काफ़ी धन दिया है। हमने पुलिस वालों के लिये आवासहेतु 132 करोड़ रुपये दिये हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें अपने पुलिस कर्मचारियों के लिये बढिया ढंग की आवास व्यवस्था करें और इसके लिये हम उन्हें अधिकाधिक सहायता देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं ।

गृह मंत्रालय के अधीन हम एक तट सुरक्षा संगठन बना रहे हैं। क्षेत्रीय तटदूर जल में अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिये इस मामले की पूरी तरह जांच की गई है और अब इस पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, यह हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने आपको खतरे में डाल कर ही उनके हितों की उपेक्षा कर सकते हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उनके लिये 255 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उनके हित के लिये कई योजनायें सोची गई हैं।

यह सभा अस्पृश्यता अपराध विधेयक पर चर्चा कर रही है और यह सभा पर निर्भर करता है कि वह इसे जल्दी से जल्दी पास करें। अस्पृश्यता की यह बुराई शीघ्रातिशीघ्र दूर की जानी चाहिये।

जिस तरह अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोग हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है उसी तरह जनजातियों के लोग भी जिनकी संख्या लगभग 4 करोड़ है, हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। उनकी दशा में भी सुधार करना है। प्रधान मंत्री के कहने पर इस वर्ष उनके लिये प्रावधान बढ़ा कर 200 करोड़ रुपये कर दिये गये हैं। यह तो राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों का अनुपूरक प्रयास है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि इस धन का प्रवाह समुचित ढंग से हो और उन क्षेत्रों में संस्थागत व्यवस्था की जाये। इसके अतिरिक्त वहां ऋण और विपणन संगठन स्थापित किये जायें ।

कुछ सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने के बारे में सुझाव दे रहे हैं। सभी इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिएं। इस प्रकार के प्रतिबन्धों से समुदाय के अन्य वर्गों को कठिनाई होती है। इस बात के लिये अभ्यावेदन दिये गये हैं कि वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि कोई भी समुदाय तब तक ही अनुसूचित जाति समझी जायेगी जब तक कि वह अपने क्षेत्र में है और कोई यदि उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चला जाये तो फ़िर वह अनुसूचित जाति का नहीं समझा जायेगा। सरकार का यह विचार है कि इस स्थिति का समाधान करने के लिये शीघ्र कदम उठाये जायें। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित विधान पुरःस्थापित करने का विचार है।

एक सुझाव दिया गया है कि एक समारोह का आयोजन किया जाये जिसमें उन संसद सदस्यों को ताम्रपत्र भेंट किये जायें जो स्वतन्त्रता सेनानी हों और जिन्हें अभी तक ताम्रपत्र भेंट नहीं किये गये हैं। हम इसी सत्र के दौरान इस तरह का समारोह आयोजित करने जा रहे हैं।

जहां तक अनुसूचित जातियों के लोगों पर अत्याचारों का सम्बन्ध है, 1974 के दौरान 11,238 मामले दर्ज किये गये हैं और 70 प्रतिशत से अधिक मामलों में मुकद्दमे चलाये गये हैं। यदि इन लोगों पर अत्याचार किये जाते हैं तो सरकार उनकी सहायता करेगी।

भारत रक्षा कानून के दुरुपयोग के बारे में शिकायत की गई है । जब असाधारण स्थिति में कार्यपालिका को असाधारण शक्तियां दी जाती हैं तो उसके दुरुपयोग की थोड़ी बहुत सम्भावना हो ही जाती है । अतः प्रधान मंत्री ने 3 जुलाई, 1975 को व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि जहां कहीं शक्ति के दुरुपयोग की शिकायत हो, उसे वे व्यक्तिगत रूप से देखें और इसके लिये एक तंत्र की स्थापना करें जिसमें कुछ मंत्री तथा अधिकारी हों । इसके बाद मैंने मुख्य मंत्रियों के साथ इस बारे में बातचीत की और गृह सचिव ने उन्हें विस्तार से लिखा है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है ताकि इस तरह की कोई शिकायत न आने पाये ।

सदस्यों को विश्वास करना चाहिये कि उन्होंने जो अभ्यावेदन दिये हैं उन पर विचार किया गया है । यह धारणा गलत होगी कि राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

कुछ सदस्यों ने जेलों की स्थिति के बारे में शिकायत की है । निस्संदेह जेलों की स्थिति ठीक नहीं है । जेल प्रशासन में सुधार किया जाना है । जेलों पर जो अधिक दबाव पड़ रहा है, उसके कारण उनकी ऐसी स्थिति हुई है । हम राज्य सरकारों को यह कह रहे हैं कि वे इस दिशा में आवश्यक कदम उठायें ताकि जेलों में न केवल अधिक स्थान ही उपलब्ध हो अपितु जेल प्रशासन में भी सुधार हो । गृह मंत्रालय राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर दे रहा है कि वे शिकायत समितियां गठित करें ताकि लोग यहां तक कि विधायक, संसद् सदस्य, आदि को भी शिकायत करने का अवसर मिल सके । उन्हें शिकायत करने का अवसर दिया जा रहा है और हम प्रशासन में आई बुराई को दूर करने का प्रयास करेंगे । यद्यपि हमारा यह कहना है कि यह एक राज्यीय मामला है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत यह एक राज्यीय मामला है । आप जो कहते हैं हम उसे ध्यान में रखते हैं और राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं और इस बात का पता भी लगाते हैं कि वहां क्या हो रहा है ।

अन्त में अपने सहयोगियों तथा मंत्रालय के कर्मचारियों की ओर से मैं यह आपको धन्यवाद देता हूं और वादा करता हूं कि 1976-77 में हम और अच्छा कार्य करेंगे ।

महाराष्ट्र सीमा विवाद पर गम्भीरता से विचार हो रहा है तथा आशा है कि उसका हल निकल आएगा ।

जहां तक शिव सेना का प्रश्न है अभी सरकार उस पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं कर रही है ।

जेलों की स्थिति का जिक्र किया गया है। यह राज्यों का विषय है और इसलिए उसमें एक रुपता लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस पर राज्य सरकारें ही विचार कर रही है। जहां तक श्री भट्टाचार्य के कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार से सम्बन्धित अभ्यावेदन का प्रश्न है उस पर विचार हो रहा है।

श्री बी० वी० नायक ने कहा है कि किसी व्यक्ति के 8 मार्च को छोड़े जाने के आदेश होने पर भी उसे 28 मार्च तक नहीं छोड़ा गया। यह उत्तरदायित्व बन्दी करने वाले अधिकारियों का है। केन्द्र सरकार छोड़े जाने के आदेश नहीं देती। इस मामले में केन्द्र ने कोई परामर्श नहीं दिया है।

मुस्लिम अल्प संख्यकों का जिक्र किया गया। सीमा सुरक्षा बल में उनकी भरती का प्रतिशत 24 रहा है। अकुशलता के आधार पर समय से पहले सेवा मुक्त करने के लिए हमने राज्यों से समीक्षा समितियां स्थापित करने की सिफारिश की है।

मैंने स्वयं पोर्टब्लेयर की जेल का दौरा किया है तथा वहां कोई कैदी नहीं है और उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में दिये गये सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री एच० एम० पटेल ने तीस हजारी कोर्ट के परिसर में वकीलों के कैबिनों को हटाने का उल्लेख किया है। अनाधिकृत निर्माण आदि के कारण यह क्षेत्र एक गंदी बस्ती सा बन गया है। वकीलों से बार-बार अनुरोध किया गया था कि वे अपने कैबिन अन्य वैकल्पिक स्थान पर बनाएं जहां कि वे समचित कैबिन बना सकें किन्तु कुछ नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा प्राधिकारियों को ये अनाधिकृत कैबिन वहां से हटाने पड़े। अधिकांश वकीलों ने अपने कबिनों की सामग्री वहां से स्वयं उठा ली थी। 50 प्रतिशत कबिन वकीलों ने स्वयं तोड़ी और भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक सामग्री भी ले गए।

वकीलों ने इस कार्यवाही के विरोध में 29–3–76 से न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय किया। यह न्यायालय के भवन के बाहर इकट्ठे हो गए और इनमें से कुछ लोगों ने उप-आयुक्त के कार्यालय में जाकर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई। इसके बाद वह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के मुख्यालय में गए और वहां भी उन्होंने सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई। इस गैर कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप दो मामले दर्ज किए गए और 43 वकीलों को गिरफतार किया गया।

कल बार ऐसोसिएशन के प्रतिनिधि उपराज्यपाल से मिले और उन्होंने यह मंजूर किया है कि वह वकीलों से प्रशासन द्वारा फिलहाल अस्थायी तौर पर अलाट की गई नई जगह में जाने के लिए अनुरोध करेंगे। गिरफतार वकीलों के मामले पर भी विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

The Cut motions were put and negatived

उपाध्यक्ष द्वारा गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में वर्ष 1976-77 की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिए रखी गईं और स्वीकृत हुईं :

The following Demands in respect of Ministry of Home Affairs were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		रुपये	रुपये
49.	गृह मंत्रालय	1,80,53,000	...
50.	मंत्रिमंडल	1,05,35,000	...
51.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	6,16,72,000	1,25,000
52.	पुलिस	157,34,03,000	2,50,00,000
53.	जनगणना	3,07,18,000	...
54.	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	113,76,43,000	31,09,36,000
55.	दिल्ली	93,54,37,000	31,65,24,000
56.	चंडीगढ	13,44,54,000	5,09,48,000
57.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17,65,08,000	8,08,58,000
58.	दादरा और नागर हवली	1,57,22,000	1,13,04,000
59.	लक्षद्वीप	2,65,68,000	90,25,000

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नौवहन और परिवहन मंत्रालय सम्बन्धी निम्नलिखित अनुदानों की माँगें पेश की गईं:

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		रुपये	रुपये
79.	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	2,04,93,000	. . .
80.	सड़कें	67,22,12,000	69,00,68,000
81.	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	20,75,67,000	172,60,36,000
82.	सड़क और अंतर्देशीय जल परिवहन	89,53,000	10,14,53,000

Shri Mohammad Ismail : The port of Calcutta, which is the oldest port, has been neglected for long. It appears that Government have adopted the policy of abolishing Calcutta port. Hundreds of crores of rupees have been spent on Farakka with the hope that Calcutta port will get adequate water, but we have not been able so far to solve the problem of Farakka. It was not known why Government has been neglecting Calcutta port.

The Ship-building Factory in Vizag is also in a state of neglected condition. The Ministry of Shipping has not paid any attention to the ship-building industry and there is no plan to increase the tonnage in a regulated manner. No serious efforts have been made to reogranise our national industry of ship-building.

There is discrimination in the treatment with Indian seamen. They have been denied wages according to ILO recommendations and the Shipping Ministry is silent over the matter Government should take up this matter seriously and they should see that the recommended tions of ILO are implemented honestly.

The total population of fishermen in the country is quite large, but the living conditions of these fishermen are pitiable. Government should take some steps to improve their lot.

Deep sea fishing is a great source for black-marketing. Big monopolists and multinatilnal corporations export fish surreptitiously to Japan or other countries in the name of deep-sea fishing. Government should seriously take up measures to see that they have not to incur any loss of revenue.

Inland water transport in our country can be cheapest but it has not been introduced so far in a proper manner. It is not known why it had been neglected so far. Measures should be taken to develop it with a view to providing cheaper means for transportation of various goods.

There is a Maritime Shipping Act on our Statute Book and so, the manning of ships should be done in accordance with it. No rules have been framed so far in that regard and every thing has been left at the sweet will of employers. Government should also look into this matter.

The Motor Vehicles Act is outdated and it need to be amended drastically. There should be provision for severe checking of drivers of vehicles.

There is no uniform policy so far as State Transport is concerned. The condition of Delhi Transport is pitiable and Government should see that some steps are taken to set things right in the Delhi Transport.

The Boards that have been constituted under the Merchant Shipping Act are not working properly. It is decided by the National Shipping Board that a thorough enquiry will be made in regard to shipping industry, but nothing has been done so far. Therefore, Government should look into this matter as well.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
80	1	श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर)	मुजफ्फरपुर—दरभंगा राजमार्ग को कमला और कोसी नदियों को पार करते हुए फारबिस गंज से मिलाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
80	2	,,	बिहार के उत्तर में नेपाल सीमावर्ती सड़कों को एक दूसरे से जोड़कर सीमावर्ती आवागमन को सुलभ बनाने की आवश्यकता ।	,,
82	9	श्री एस० ए० मुरुगनन्तम (तिरुनेलवेली)	सड़क परिवहन उपक्रमों के मामले में एक समान कराधान और प्रबन्ध नीति बनाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
82	10	,,	सड़क परिवहन उद्योग की संचालन लागत कम करने और चेसिस, फालतू पुर्जे, टायर और बैटरियों के निर्माण में एकाधिकारी गृहों द्वारा मुनाफाखोरी रोकने के लिए कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
82	11	,,	कर्मचारियों और उद्योग की समस्याओं पर चर्चा करने के लिये सड़क परिवहन उद्योग के लिये केन्द्रीय त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति का पुनर्गठन करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
82	12	श्री एस० ए० मुरुगनन्तम (तिरुनेलवेली)	राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को अन्य सरकारी उपक्रमों के बराबर लाने और वापस न किये जाने वाले ऋणों को इक्विटी में बदलने में असफलता।	राशी घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
82	13	,,	दिल्ली परिवहन निगम के कर्मशाला प्रशिक्षु कन्डक्टरों को नियमित वेतन मान देने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
82	14	,,	उन 200 कंडक्टरों को जिन्हें ट्रेनिंग स्कूल से भेजा गया और जिनका नियमित ड्यूटियों के लिये एडवांस बुकिंग सेक्शन में प्रयोग किया गया, को भत्ता देने में असफलता।	,,
82	15	,,	दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को 26 जनवरी, 1975 के लिये नकद मुआवजा न देकर औद्योगिक अधिकरण के निर्णय का उल्लंघन।	,,
82	16	,,	दिल्ली परिवहन निगम कर्मकार संघ के साथ हुए समझौते के अनुसरण में दिल्ली परिवहन निगम के चालकों तथा कंडक्टरों को 6 महीने की सेवा के पश्चात् नियमित वेतन मान देने में असफलता।	,,
82	17	,,	दिल्ली परिवहन निगम को हो रहे घाटे को रोकने में असफलता।	,,
82	18	,,	दिल्ली परिवहन निगम के लिये पूर्ण-कालिक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करने में असफलता।	,,
82	19	,,	अलाभकारी मार्गों के बहाने दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के मार्गों को निजी चालकों को देने की पेशकश को रोकने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
82	20	श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	दिल्ली परिवहन निगम की अनेक मिनी बसों के स्थान पर स्टैंडर्ड आकार की बसें प्राप्त करने में असफलता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
82	21	,,	दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता तथा दोहरी ड्यूटी वेतन देने को रोकने में असफलता।	,,
82	22	,,	दिल्ली में उन स्थानों पर जहां साफ पानी उपलब्ध नहीं है, अनेक नये डिपूओं में पीने के पानी की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
82	23	,,	दिल्ली परिवहन निगम के उन 300 कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं कथित दुर्व्यवहार के कारण समाप्त कर दी गयी हैं उचित जांच तथा कारण बताने का अवसर देने में असफलता।	,,
82	24	,,	दिल्ली परिवहन निगम की बसों को ठीक हालत में रखने में विफलता ताकि उनमें उचित मात्रा में मोबिल-आयल की खपत हो।	,,
82	25	,,	दिल्ली परिवहन निगम की बसों के लिये बढ़िया किस्म का मोबिल-आयल उपलब्ध करने में असफलता।	,,
82	26	,,	सड़क परिवहन संबंधी परिवहन विकास परिषद् की स्थायी समिति की 5 जुलाई, 1974 की बैठक में की गयी सिफारिशों का पुनरीक्षण करने में असफलता।	,,
82	27	,,	बसों तथा सड़कों की खामियों के कारण बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफलता।	,,

1	2	3	4	5
82	28	श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	सड़क परिवहन उपक्रमों की अनेक पुरानी गाड़ियों को बदलने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं।
82	29	,,	सरकारी क्षेत्र में चेसिस बनाने का एकक स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
82	30	,,	मोटर गाड़ी अधिनियम के कार्यकरण का व्यापक पुनरीक्षण करने में असफलता।	,,
82	31	,,	देश भर में सड़क परिवहन के सब श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये समान वेतनमानों का उपबंध करने वाला विधान बनाने में असफलता।	,,
80	32	,,	युक्तियुक्त तथा समन्वित रेल--सड़क नीति बनाने में असफलता।	,,
80	33	,,	राष्ट्रीय राज्य पथों की सुचारु देखरेख करने तथा ठेकेदारों द्वारा धन के दुरुपयोग को रोकने में असफलता।	,,
80	34	,,	वृहद एशियाई राजपथ के लिये भारत में से राजपथ के निर्माण को तेज करने की आवश्कता।	,,
80	35	,,	राष्ट्रीय और राज्य राजपथों पर पुलों के रखरखाव की उपेक्षा।	,,
80	36	,,	पश्चिमी तट क्षेत्र में मौनसून तथा रेलवे लाइनों की कमी को देखते हुए पश्चिमी तट राजपथ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता।	,,
80	37	,,	पिछड़े क्षेत्रों को विभिन्न राज्य तथा राष्ट्रीय राजपथों से सहायक सड़को द्वारा जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
81	38	श्री एस० ए० गुलगनन्द,म	राष्ट्रीय नीतियों के अनुसार स्टीवेडोरों का राष्ट्रीयकरण करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
81	39	,,	20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आपातस्थिति के पश्चात् बनाये गये कर्मी दलों द्वारा किये गये कार्य की समय पर समीक्षा करने में असफलता।	,,
81	40	,,	कांडला पत्तन के सभी कर्मचारियों और गांधीधाम में गोदी कर्मकारों के लिए आवास की व्यवस्था करने में असफलता जिससे सभी कर्मचारियों को कठिनाई हुई है।	,,
81	41	,,	पत्तन तथा गोदी कर्मकारों का राष्ट्रीय शीर्ष निकाय जिसमें इन कर्मकारों के तीनों महासंघों के प्रतिनिधि हों, स्थापित करने में निरन्तर देरी।	,,
81	42	,,	पत्तन तथा गोदी कर्मकारों की मजदूरी के पुनरीक्षण के लिये द्विपक्षीय समिति स्थापित करने में असफलता।	,,
81	43	,,	काकीनाड़ा मेरिन लेबरकन्ट्रेक्ट को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के माध्यम से लौह अयस्क ढोने का पुन: ठेका देने में असफलता।	,,
81	44	,,	मद्रास पोर्ट यूनाइटिड लेबर यूनियन को मान्यता न देना।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
81	45	,,	पत्तन प्रशासनों से भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने में असफलता।	,,
81	46	,,	बम्बई पत्तन तथा गोदी कर्मकारों के लिये जाम्बरे पंचाट को पूर्ण रूप से लागू करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
81	47	श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	विशाखापत्तनम में एक कंपनी द्वारा म्यूरेट आफ पोटाश को निपटाने के तरीके के बारे में समझौते का उल्लंघन।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
81	48	,,	कांडला पत्तन ने कर्मचारियों को आयुर्वेदिक दवाईयों की लागत का भुगतान करने से इंकार जैसा कि कोचीन पत्तन में किया जाता है।	,,
81	49	,,	मितव्ययता करने तथा एकपक्षीय निर्णय करने की दृष्टि से पत्तनों और गोदियों में मान्यता प्राप्त और पंजीकृत संघों के साथ विस्तृत विचारविमर्श करने में असफलता।	,,
81	50	,,	कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों को गहरा करने तथा इस संबंध में फरक्का जल के बारे में जल्दी समझौता करने की आवश्यकता।	,,
81	51	,,	विशाखापत्तनम बाहरी पत्तन परियोजना तथा तूतीकोरिन पत्तन निर्माण कार्य को तेज करने की आवश्यकता।	,,
81	52	,,	पत्तन रेलों की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता।	,,
81	53	,,	विशाखापत्तनम पत्तन तथा गोदी कर्मकार संघ के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अवैध निलम्बन आदेश।	,,
81	54	,,	आपात के दौरान संघों की सदस्यता का सत्यापन करने की मंत्रालय की जिद्द।	,,
81	55	,,	एगरा और राजबागान डोकयार्ड वरकर्स यूनियन को मान्यता देने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
81	56	श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	तूतीकोरिन पत्तन में अस्थायी और नैमित्तिक कर्मकारों को जो पहले तूतीकोरिन बन्दरगाह में काम करते थे, खपाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
81	57	,,	कान्डला तथा अन्य पत्तनों में तीन वर्ष से अधिक की सेवा वाले दैनिक श्रमिकों को स्थायी बनाने में देरी।	,,
81	58	,,	तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को आवास निर्माण के लिये अग्रिम राशि देने में असफलता जैसा कि अन्य मुख्य पत्तनों में किया गया है।	,,
79	59	श्री सी० के चन्द्रप्पन	छोटे पत्तनों के विकास के प्रति उपेक्षा	,,
79	60	,,	छोटे पत्तनों पर सामान लादने तथा उतारने का काफी काम की व्यवस्था करने में असफलता।	,,
79	63	,,	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर शीघ्रता से पुल बनाने की आवश्यकता।	,,
79	64	,,	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर वलापट्टनम पुल को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता।	,,
79	65	,,	केरल में व्यापार पोत स्कूल खोलने की आवश्यकता।	,,
79	66	,,	केरल राज्य नौवहन निगम को अधिक वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	,,
79	67	,,	कोचीन पत्तन का और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता।	,,
79	68	,,	केरल के कैनानोर जिले में अजीकल पत्तन के निर्माण के लिये धन जुटाने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
79	69	श्री सी०के० चन्द्रप्पन	केरल में एलेपी तथा क्विलान में छोटे पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिये धन जुटाने में असफलता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें।
79	70	,,	पश्चिमी तट पर त्रिवेन्द्रम और बम्बई को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजपथ को पूरा करने में असफलता।	,,
79	71	,,	केरल राज्य के एर्णाकुलम तथा त्रिचूर जिलों को मिलाने के लिये मुथाकुनम और कोट्टायम में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर पुल बनाने के पूर्व निर्णय को बदलना।	,,
79	72	,,	गोथूरथी तथा कोट्टापुरम को मिलाने के लिये राष्ट्रीय राजपथ संख्या 47 पर पुल बनाने का निर्णय।	,,
79	73	,,	कोचीन में बड़े टैंकर उतारने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब।	,,

Shri Shri Krishan Modi (Sikar) : Transport industry is a very important industry. These people have done a remarkable jobduring the 1971 war.

It is good that a sum of rupees one crore has been provided for the development of this Industry but it has been found that lower class people in this industry like Truck Drivers have not been able to obtain ever 10 percent loans.

In transport industry the condition of lower class people like truck drivers is miserable. They fail to get loan even at the rate of 10 percent. The rate of interest on loans given to these should be reduced. The poor fellows have to pay large amounts as municipal taxes or bribe at various excise posts. They are to face a number of hardships in obtaining permits. The petrol and mobile which they get is many a time adulterated one which spoils their vehicles. The spares are also not readily available and there are no reliable workshops for their vehicles' repair. Good service stations should he opened on national highways. I think that a legislation on the basis of food adulteration should be enacted for preventing the adulteration of motor spirit and petrol.

Although the bullock carts does not come under transport Ministy but still I want to mention it. A good number of bullock carts are plied in rural areas. Some amount should be earmarked for bringing in some mechanical changes in this system. Some kind of machine could be derived which could be fitted in those carts to increase their speed.

I feel that more roads should be constructed as they are of vital economic importance. There is already an enactment providing for connecting national highways, more especially in the border areas. The national highway No. 8 from Kotahputali should be joined with another highway at Seekar on the Pakistan border.

Our national water transport is running into loss because nothing has been done to run the same in a systematic manner. It is suggested that regular stations should be set up for loading and unloading the goods in the boats.

1016 L.S.—7

Lastly I may submit that the allocation made for national water scheme is too inad·quate. This allocation should be increased.

Shri Bharat Singh Chowhan (Dhar) : As and when we discuss the demands of transport Ministry the long sea coast of more than 3,500 miles flashes before my eyes. Many of our major ports are quite old. Nothing has so far been done to modernise them. There is no doubt that some schemes for modernising the ports have been drawn up but their implementation is too slow. A serious attempt is to be made for the development of minor as well as major ports, it will provide a good incentive for other industries to enhance. That will lead to more employment opportunities for our youth. Due attention may also be given for the proper development of ship building industry so that we can compete with other countries. I think we can go in for foreign assistance for the development of this industry and at the same time develop our own talent.

Regarding the condition of national highway, I may submit that their condition is far from being satisfactory. Their condition is so bad that during rains, traffic comes to standstill on many of them. There are still certain parts in the Country which are not accessible by road. The national highways are without proper bye-pass roads. Due attention should be given to all these things. In this connection I may further suggest that it is necessary to construct national highways for connecting one State Capital with another. Regarding Bhopal-Ahmedabad road, it was assessed in this House that this road will be converted into a national highway. But uptill now it has not been done. I would request the Minister to look into it.

The traffic on our roads is quite unsafe. Necessary steps should be taken for safegarding the traffic on roads. The other thing which needs a mention in this regard is that there is no dearth of rivers in our Country. But there is no provision for waterways for the transportation of goods. Water transport is cheaper than road transport but due to lack of proper planning that mode of transport is not being fully utilized. I will request the Ministry to pay due attention to it.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa) : The Ministry of Shipping and Transport has not paid due attention to the development of roads in the areas. Roads provide infrastructure for economic development of backward areas and so without proper roads, there could be no development of backward areas. In the absence of road, the farmers are forced to sell their produce to big marketing centres. The Government should look into this aspect. Larger allocation of funds should be made for the development of roads in the rural areas.

Now I want to draw the attention of the House towards proposed Darbhanga-Forbesganj road. Though lot of discussions have taken place between Ministries of shipping and Transport, Finance, Defence as well as Planning Commssion, but nothing concrete has emerged out so far. A bridge on river Kosi on this route along with its approaches will be of vital importance and should be constructed at the earliest. With these words, I support the demands of Ministry of Shipping and Transport.

श्री एम० ई० होरो (खुन्टी) : अभी भी हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी पिछड़े हुये हैं, जिनका समुचित आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। नौवहन और परिवहन मंत्रालय सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है तथा इसके साथ ही यह राज्य सरकारों की सड़क निर्माण तथा सड़क मरम्मत कार्य में भी सहायता करता है। मेरा विचार है कि राज्य सरकारों को इस विभाग को और अधिक सहायता करनी चाहिये। उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्रों में यदि अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाये, तो उन क्षेत्रों का विकास स्वतः ही हो जायेगा। अतः केन्द्र सरकार को इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित सहायता देनी चाहिये।

छोटा नागपुर में पूर्व से पश्चिम तक एक राष्ट्रीय राजपथ है। छोटा नागपुर को उड़ीसा और बम्बई क्षेत्रों के साथ अभी तक नहीं जोड़ा गया है। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 को इस राष्ट्रीय राजपथ से जोड़ा जाना चाहिये। इसी प्रकार जहां तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 2 का सवाल है, उस पर सरकार को प्रत्येक वर्ष मरम्मत के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, मंत्रालय को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

यह प्रसन्नता की बात है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस समय परिवहन सम्बन्धी कार्य अनेक संगठनों तथा सीमा सड़क संगठनों, केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम, अन्तःराज्यीय परिवहन आयोग तथा केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा किया जा रहा है। मेरा यह सुझाव है कि इन सभी संगठनों को मिलाकर एक या दो व्यवहार्य निगमों की स्थापना कर दी जानी चाहिये। ऐसा करने से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी।

अन्त में मैं मंत्रालय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र के हालदिया और पारदीप जैसे पत्तनों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। पूर्वी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने पर स्पष्ट हो जायेगा कि वहां और अधिक छोटे पत्तनों का निर्माण करने की भी काफी गुंजाइश है। अतः मेरा मंत्रालय से निवेदन है कि उसे इस ओर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए।

श्री आर० एन० बर्मन (बलूरघाट) : मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय की 1976-77 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सर्वप्रथम मैं दिल्ली में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा का उल्लेख करना चाहता हूं। अब दिल्ली में इस परिवहन सेवा पर तो सरकार का ही एकाधिकार है। प्रतियोगिता के अभाव में गत दो वर्षों में इसके किराये में दो बार वृद्धि की जा चुकी है परन्तु इसके बावजूद भी निगम घाटे में चल रहा। इस समय दिल्ली परिवहन का संचित घाटा लगभग 40 करोड़ रुपये का है। अन्य राज्यों के परिवहन सेवा की तुलना में दिल्ली की परिवहन सेवा अधिक कुशल नहीं है अतः इसके कार्यकरण की ओर अपेक्षित ध्यान दिया जाना चाहिये। दिल्ली परिवहन को अपने खर्च में कमी करने के लिए कहा जाना चाहिये। इसके साथ ही मेरा यह सुझाव है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास महानगरों की बस सेवाओं के बारे में एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिये।

अब मैं कलकत्ता बंदरगाह के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। फरक्का बांध का निर्माण वास्तव में कलकत्ता पत्तन को गाद भरने से बचाने के लिए किया गया था; अब बंगलादेश के साथ हुये हाल को करार के अनुसार वहां से कम पानी निकाला जायेगा। इसके परिणाम स्वरुप वहां गाद हटाने के कार्य में पुनः बाधा पड़ेगी। वहां से गाद तथा मिट्टी के निकालने की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये। इसी प्रकार कलकत्ता पत्तन की आय को बढ़ाने के लिए भी अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिये क्योंकि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वोत्तर से होने वाले व्यापार बहुत कम है।

आखरी निवेदन मैं 1971 के सामरिक सड़क विकास कार्यक्रम के बारे में करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह योजना थी कि कलखोला से दिल्ली तक बरास्ता रायगंज, कलियागंज और बनियादपुर एक सड़क का निर्माण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि कलखोला और रायगंज के बीच का भाग तो बन गया है परन्तु अब केन्द्र ने यह कहा दिया है कि शेष कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिये। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को स्वयं पूरा करे।

मालदा और रायगंज के बीच पड़ने वाला राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का भाग बहुत खराब हालत में है। उसकी अपेक्षित मरम्मत की जानी चाहिये। बलूरघाट और मालदा के बीच चूंकि रेल लाइन का निर्माण करना सम्भव नहीं है, अतः उक्त स्थानों को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई जानी चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तपुझा) : मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । अब समय आ गया है जबकि राष्ट्रीय विकास में नौवहन कार्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी । इसी लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये ही पांचवीं योजना के अन्तर्गत पत्तनों में सुधार करने तथा गोदी सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने, भारतीय बेड़े की टनभार क्षमता में वृद्धि करने तथा नाविकों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था । हमने पांचवीं योजना के दौरान 80 लाख टन नौवहन का लक्ष्य निर्धारित किया था परन्तु अभी तक हम 45 लाख टन कम का ही नौवहन कर पाये है । हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर सम्भव: प्रयास करना चाहिये ।

यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब हमारा देश नौवहन विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के समक्ष इस समय कई समस्याएं आ रही हैं तथा इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये मंत्रालय को कुछ सुझाव भेजे गये हैं । इस में बहुमुखी समस्याएं तथा चुनौतियां हैं । हमें विदेशों से प्रतियोगिता के साथ नौवहन सुविधाओं की कमी का भी सामना करना पड़ता है । नौवहन के विस्तार तथा नाविक-सुविधाओं के लिये भी हमारे पास धन की कमी है । हमें इन समस्याओं की गहनता तथा विविधता को ध्यान में रखना चाहिये । राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड एक उच्चस्तरीय सलाहकार निकाय है और इसने 3-4 वर्ष पूर्व सिफारिश की थी कि एक समिति का गठन किया जाना चाहिये परन्तु सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया । फिर दूसरे अध्यक्ष के अधीन बोर्ड ने पुनः यही सिफ़ारिश की और तदुपरान्त जब मैं इस बोर्ड का अध्यक्ष था तब भी यही सिफारिश फिर से की गई । यह बोर्ड एक उच्च स्तरीय निकाय है । क्योंकि इस में 5-6 संसदसदस्य हैं, विभागों, मंत्रालयों कर्मचारियों तथा नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधि हैं, वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम के अधीन गठित इस बोर्ड की बहुत बड़ी भूमिका है । इसका उपयोग किया जाना चाहिये इस की सिफारिशों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये । अब जबकि तीन विभिन्न स्वरुप में गठित इस बोर्ड ने हर बार यही सिफ़ारिश की कि इस समिति का गठन होना बहुत ज़रुरी है तो सरकार द्वारा इस सिफ़ारिश की उपेक्षा किया जाना बहुत गलत बात है । यदि इस बोर्ड की बात को कोई महत्व ही नहीं देना है तो फिर किस लिये इसका गठन किया गया ? सारे प्रतिवेदन में बोर्ड के अस्तित्व तक का उल्लेख नहीं है । इतने सशक्त प्रतिनिधित्व वाले बोर्ड के प्रति ऐसा उपेक्षा-पूर्ण रवैया ठीक नहीं है । इस बोर्ड से किसी भी नीति संबंधी प्रश्न पर कभी विचार नहीं मांगा गया । उसकी किसी भी सिफ़ारिश या मत को गंभीरता से नहीं लिया गया । बोर्ड के सदस्य या किसी भी विभागाध्यक्ष ने इस बोर्ड की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया । संसदसदस्यों तक के प्रतिनिधित्व वाले ऐसे उच्च स्तरीय बोर्ड के प्रति नौकरशाही व्यवस्था का यह रवैया है जबकि हम लोकतांत्रिक ढंग से काम करने और जन-मत को शामिल करने का दम भरते हैं । क्या इस से भी अधिक प्रतिनिधित्व वाला कोई निकाय हो सकता है ? इस बोर्ड का नया गठन तो सामान्यतः हर वर्ष होता ही है परन्तु मैं ने इस के अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया है । ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं होनी चाहिये । यदि आप इसे कोई महत्व नहीं देते तो आप इसे भंग कर सकते हैं । कोचीन में सुपर-टैंकर वर्थ से संबंधित प्रतिवेदन में मुझे 20 करोड़, 40 करोड़ तथा 60 करोड़ रुपये के आवंटन वाली परियोजनायें दिखाई देती हैं । नौवहन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष श्री भाटिया से मैं कहूंगा कि वह बोर्ड द्वारा की जाने वाली सिफ़ारिशों के बारे में ख़याल रखें ।

डा० जी० एस० ढिल्लों : जब से मैंने कार्यभार संभाला है बैठकों में भाग लिया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसी लिये मैंने इस बात पर ज़ोर दिया है । डा० ढिल्लो अब मंत्री हैं तथा श्री त्रिवेदी जोकि इस बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं, इस विभाग में राज्य मंत्री हैं वह जानते हैं कि बोर्ड का क्या अशदान होता है । वह इसका लाभ उठायें ।

कोचीन में सुपर टैंकर वर्थ को 1973 में मंजूरी दी गई थी जिसके पहले मुझे बेहद संघर्ष करना पड़ा था। मंजूरी के बाद इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड की नियुक्ति हुई। मैं ने 43 करोड़ पये की लागत का एक परियोजना-प्रतिवेदन तैयार किया जिसके अनुसार सरकार द्वारा शुद्ध रूप से केवल 25 करोड़ रुपया ही खर्च किया जाना था। इस खर्च से सारे कोचीन पत्तन क्षेत्र का विकास हो सकता था। इसे स्वीकार कर लिया गया था। अब कोई कहता है कि गहरे समुद्र में वैकल्पिक नौकान्तरण हो सकता है अतः ऐसा ही क्यों न किया जाये। इसके लिये अब एक नई समिति गठित की जा रही है। एक समिति ने तो सभी बातों पर विचार किया था, इस प्रतिवेदन पर नौवहन निगम भेजा गया तथा एडमिरल नन्दा ने इसपर विचार किया और अपना विचार दिया; परन्तु अब वर्ष 1976 में अर्थात् तीन वर्ष बाद सरकार ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसमें वित्त, नौवहन व परिवहन योजना तथा पेट्रोलियम मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व होगा।

मेरा निवेदन यह है कि जब सरकार एक विषय पर अन्तिम रूप से निर्णय कर चुकी है और कार्यवाही आगे बढ़ चुकी है तब नौकान्तरण का विचार सामने रखता है---यूं तो दुनियां में सभी कुछ संभव है---तो भी सरकार को ऐसे ढंग से काम नहीं करना चाहिये। ये बात केवल सुपर टैंकर बर्थ की ही नहीं थी बल्कि समूचे क्षेत्र का---समूचे कोचीन का विकास हो रहा था। 25 करोड़ रुपये खर्च करके 58 करोड़ पये का काम हो रहा था और वह 25 करोड़ रुपया भी कोचीन तेलशोधक कारखाने द्वारा चार वर्ष में लौटा दिया जाना था।

एक बार पूंजी निवेश को मंजूरी देने के बाद सारे मामले को पुनः क्यों खोला जा रहा है? क्या केवल इसलिए कि वह एक छोटा सा राज्य है और उसका राजनैतिक बल और स्वर अधिक नहीं है?

वैसे तो जो भी परियोजना मंजूर होती है वह क्रियान्वित भी होती है परन्तु क्योंकि यह कोचीन की योजना है अतः लटक गई।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं कहना चाहूंगा कि पाल-जहाजों के कर्मचारियों के प्रति बड़ी उपेक्षा बरती जा रही है। उन्हें बीमा लाभ तक प्राप्त नहीं है। तटीय व्यापार में पाल-जहाजों का बड़ा महत्व है। इस उद्योग की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं।

Shri Tuna Uraon (Jalpaiguri). I rise to support the demands for grants of this Ministry.

There is a runway No. 31 between Jalpaiguri and Phalakata which fall the Siltursa river. Then there is State Government's pucca road from Phalakata to Siltursa as also from Siltursa to Sonapur Chopati. But there is no bridge on the Siltursa river. An amount of Rs. 150 Lakh was sanctioned for the bridge but the same has not been constructed so far. The hon. Minister should see that it is built as early as possible.

Shri M. C. Daga : (Pali): Mr. Deputy Speaker whereas the first line of the report on this Ministry speak very high about the importance of transport in the economic growth of the country; the Report on the other hand, gives out a very poor picture of what has been done in regard to construction of roads. India has only 24 kilometers of road every 100 square kilometer area as against 146, 143, 167, 139, 272 respectively in U.K., France, West Germany, Switzerland and Japan. Besides this, it is also a fact that this Ministry does not do any work excepting that it grants sanction for the States who actually carry out the work. But it is further surprising that this Ministry sometimes takes even 16 months to grant an approval for a road. Construction of roads and bridges is done by the State Governments.

Then a sophiscated machinery worth Rs. 21 crore has been lying idle and waste and you have not made any use thereof so far. It is contained in the report itself in the following words. :

"Utilization of imported and the major item of the machinery worth Rs. 21 crores did not exceed 40 per cent of the available working hours ; often it was 10-20 per cent only. In some cases, the machinery which was allocated to the State Government could not be put to proper use for the following reasons ...."

Thus, the Machinery is lying here and approval is accorded after 16 months. Why do not you delegate this power to the State Governments ? Why should the Engineers from the Centre should to go to examine the things when there are Chief Engineers in Assam and Rajasthan itself ? Sanction for a bridge was given after a lapse of 13 years. C.A.G. reports says that Rs. 250 lakhs were spent just for verification as to whether State Government should be allotted funds or not.

It is a 20 years' history, it is not a question of today. In this respect the report says : "The biggest irritant at present seems to be octroi duty. The industry is not against paying this tax but the manner in which it is collected at present. Thousands of trucks hours are daily wasted by waiting at Octroi and other check posts...... It also increases the full fuel cost substantially, at least by 30 per cent according to our estimates."

The Committee further says :

"The Committee regret to note that although number of Committees including Road Transport, Taxation Enquiry Committee have emphasised the immediate necessity of abolishing these check posts and Octroi duties by substituting them by an alternative form of taxations and there is a general consensus on the desirability of removing Octroi duty."

People cry that they are suffering whereas the Government says that they are now used to sufferings.

About Shipping the Committee have regretted to note that "the coastal shipping in the country is on the decline and the amount of cargo traffic has fallen from 40·77 lakh tonnes to in 1962 to 14·72 lakh tonnes in 1974.

It further says that "the number of ships has gone down from 140 in 1964 to 56 in 1973 and the tonnage has gone down from 4, 11961 to 2,20,217."

Who should take the responsibility for this all ? Only he who keeps at constant vigil. You have suffered losses in transport. D.T.C. is running in loss to the tune of crores of rupees. They are running 2232 buses all in loss. The net loss to DTC in 1972-73 was 4·98 crores and in 1973-74 it is 6·38 crores. Still the Government proclaim that the DTC is improving and making progress. The condition of roads in the sub-urban areas is very bad because those people do not know how to raise their voice. What does this D.T.C. Advisory Committee which consists of 34 members ? Many buses are lying idle for want of repairs. The P.A.C. in its report had suggested to give serious thought to the problem and evolve without any delay a coordinated machinery capable of crubing a effectively those indulging in different types of economic offences in import and export trade. This relates to Calcutta Transport., which is suffering from losses worth crores of rupees.

Therefore you should decentralise the work and give road power to the staff so that they may plan and work accordingly.

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल सड़क दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं विशेष कर राष्ट्रीय राजपथों पर इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। कलकत्ता से बम्बई तक के राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर प्रति दिन की कई दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ? आज सड़क-यात्रा अनेक कारणों से असुरक्षित हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों पर शराब की दुकान खोलने की अनुमति क्यों दी है ? वहां केवल शराब की दुकान ही नहीं बल्कि अनेक होटल भी हैं जो शराब बेचते हैं। विशेष रूप से भारी ट्रकों के ड्राइवर यहां शराब पीकर नशे की हालत में ट्रक चलाते हैं। इन दुघटनाओं का एक बड़ा कारण यह भी है।

दूसरी बात यह है कि सड़कों पर गाड़ियों के अपहरण की घटनायें भी बढ़ती जा रही हैं। सड़कों पर लूट-मार और राहजनी की घटनायें भी बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर ट्रक-मालिकों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये सड़कों को रोक दिया था। राजपथ गश्ती पुलिस नियमित रूप से गश्त नहीं लगाती है इसीलिये ये घटनायें होती हैं। मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि कम से कम रात को तो गश्त अवश्य ही लगाई जानी चाहिये ताकि ट्रक सुरक्षापूर्वक आ-जा सकें।

हल्दिया पत्तन बन रहा है तथा कोलाघाट से हल्दिया के बीच सड़क के निर्माण के लिये 43 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं परन्तु उन्हें जोड़ने वाली अनेक सम्पर्क सड़कें नहीं बनी हैं। फिर कोलाघाट से हल्दिया सड़क का निर्माण भी शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिये अन्यथा पत्तन बनने के बाद वहां परिवहन संबंधी विकट कठिनाई पैदा हो जायेगी।

कलकत्ता और भुवनेश्वर को सबसे छोटे मार्ग से जोड़ने वाली ओ० टी० सड़क बहुत तंग है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है, परन्तु रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र तक नहीं है। साथ ही सुवर्णरेखा नदी पर किसी पुल के निर्माण का भी उसमें उल्लेख नहीं है। यदि सुवर्णरेखा नदी पर पुल नहीं बनाया गया तो कलकत्ता से भुवनेश्वर तक यह ओ०टी० सड़क नहीं बन पायेगी।

श्री डागा ने कहा कि अधिकांश राज्य परिवहन निगमों को घाटा हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब गैर-सरकारी परिवहन कंपनियों को तो भारी लाभ होता है मगर हमारे सरकारी निगमों को क्यों नहीं होता? केन्द्रीय सड़क परिवहन, निगम भी कई वर्षों से घाटे में चल रहा है। यह निगम सरकारी उपक्रमों की विशेषकर खाद्यान्नों, उर्वरकों, कोयले तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई करता है फिर भी इसे घाटा हो रहा है। इस प्रतिवेदन में इस घाटे के कोई कारण नहीं बताये गये हैं। मंत्री महोदय कृपया यह स्पष्ट करें।

कलकत्ता पत्तन के बारे में यहां कहा तो बहुत कुछ गया परन्तु प्रतिवेदन में केवल इसके नाम हल्दिया गोदी परियोजना का उल्लेख किया गया है और वह भी कोष्टक में उसकी किसी समस्या का उल्लेख नहीं है जबकि यह पत्तन अनेक गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। वहां भारी मात्रा में गाद जमा होती जा रही है। इस पत्तन को बचाने के लिए फ़रक्का बांध का विचार पैदा हुआ था परन्तु अब तो वहां भी कुछ नहीं हो पाया है। अब केन्द्रीय ड्रेजिंग निगम गाद निकालने का काम कर रहा हैं परन्तु वह साफ़ ही नहीं हो पा रहा है। बड़े जहाज कलकत्ता पत्तन के भीतर नहीं आ पा रहे हैं। यह पत्तन उत्तर प्रदेश, बिहार आसाम तथा मेघालय और अन्य राज्यों के क्षेत्रों की सेवा कर रहा है अतः इसकी ओर भरपूर ध्यान दिया जाना चाहिये अन्यथा इस गाद जमने के फलस्वरूप केवल आर्थिक ही नहीं बलिक अनेक अन्य समस्यायें भी पैदा हो जायेंगी।

हल्दिया परियोजना भी शीघ्र चालू की जानी चाहिये। वहां गाद हटाने के लिये कुछ विदेशी फ़र्मों को ठेके दिये गये थे उनका समय समाप्त हो गया है और अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार यदि इसे 40 फिट गहरा पत्तन बनाना चाहती है तो उसे गहराई तक गाद हटाने का काम कराते रहना चाहिये।

शिप बिल्डिंग यार्ड के बारे में विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की गई थीं, प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार किये गये थे। परन्तु मैं कहूंगा कि सरकार को पश्चिम बंगाल की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये वहां 20 लाख तो पंजीकृत बेरोजगार हैं और यह संख्या निरन्तर बढ़ती ही जा रही है। यदि बेरोजगारी की इस समस्या का कोई हल न ढूडा गया तो इस राज्य को बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा यह समस्या शिप बिल्डिंग यार्डों जैसे कुछ परियोजनाओं से किसी हद तक हल हो सकती है। अत: वहां हल्दिया यार्ड बनाने का पूरा औचित्य है।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): मैं मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लिखित विस्तृत विवरण में न आकर इस समय तो केवल उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा जो इस चर्चा में उठाए गये हैं।

कलकत्ता पत्तन में गाद निकालने का कहां तक संबंध है, उसका दायित्व कई वर्षों से केन्द्र सरकार ने स्वंय ले रखा है और उस पर आने वाली लागत का 80 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है। साथ ही वहां पिछले डुबाव को बनाये रखने के लिये नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम भी हाथ में लिया गया है। पिछले डुबाव को बनाये रखना सभी जहाजों के लिये जरूरी है।

जहाजों के निर्माण के लिये हमारे पास चार यार्ड हैं। मझगांव डॉक्स की क्षमता 20,000 टन तक के जहाज़ बनाने की है तथा गार्डनरीच में 25,000 टन तक तथा विशाखापत्तनम् में प्रति वर्ष 3 जहाज़ बनते हैं और निकट भविष्य में चार जहाज़ प्रतिवर्ष बनने लगेंगे कोचीन शिप-यार्ड में भी पहले पोत के निर्माण का प्रारंभिक कार्य आरंभ हो गया है।

कोचीन परियोजना पूर्णता के निकट है और वहां 80,000 टन भार तक के जहाज़ बनेंगे।

नये शिप बिल्डिंगयार्डों के लिये विशेषज्ञों ने 11 स्थानों की जांच की थी तथा उनमें से चार स्थानों की ही सिफारिश की है उनके नाम हैं हजीरा (गुजरात), कर्लबंगम (गोआ), हाल्दिया तथा पारादीप। इसके बाद विदेशी तकनीकी सलाहकार नियुक्त किये गये थे और उनके प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी परियोजनायें हैं और इन पर भारी धनराशि खर्च होनी होती है। केवल तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर ही परियोजना की स्वीकृति निर्भर नहीं करती है।

श्री स्टीफन ने कोचीन में सुपर टैंकर आयल टर्मिनल बर्थ का जिक्र किया था। यह सच है कि इस परियोजना पर काफी विचार किया गया था और इस पर तकनीकी दृष्टि से भी मंजूरी मिल गई थी। इसका संबंध कोचीन स्थित तेलशोधक कारखाने के विस्तार से है।

इसके अतिरिक्त यह कि यदि कोचीन सुपर टैंकर आयल टर्मिनल बर्थ पर कार्य चलता भी रहता तो वह एक ही वस्तु को चढ़ाने उतारने वाला बर्थ रहता। तीसरे एक बड़े टैंकर से छोटे टैंकर में तेल डालने की संभावना के बारे में भी कहा गया है। कुछ सदस्यों को सुनकर हैरानी होगी कि विदेशों में यह पद्धति अपनाई जा रही है और हमने भी इस संबंध में पांच छह परीक्षण किए हैं। इस मामले पर

अन्तिम रूप में विचार हो रहा है। इसका संबंध बम्बई हाई से कोचीन शोधनशाला को की जाने वाली तेल की सप्लाई की संभावना के बारे में हैं। यदि बम्बई हाई से कोचीन शोधनशाला को तेल सप्लाई किया जाता है तो वह इतनी मात्रा में होगा कि उसके लिए सुपर टैंकर आयल टर्मिनल वर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तत्पश्चात कुछ नई बाते सामने आई है जिनकी ऐसी परियोजनाओं की लागत को ध्यान में रखकर उपेक्षा नहीं की जा सकती।

माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इस्माइल ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की न्यूनतम मंजूरी की सिफारिश का उल्लेख किया है और कहा है कि यह भारतीय पोतों में कार्य कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू की जानी चाहिए। सरकार ऐसा सोच भी नहीं सकती कि समूचे देश में विद्यमान मंजूरी स्तर भारतीय पोतों में काम कर रहे कर्मचारियों के मंजूरी स्तर से भिन्न हो। हम अपने पर किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघ को तथाकथित न्यूनतम मंजूरी को स्वीकार करवाने के लिए जोर नहीं डालने देंगे। हम इस पर द्विपक्षीय ढंग से निर्णय लेंगे। यह तंत्र समुद्र में कार्य कर रहे नाविकों के हितों का ध्यान रखेगा।

एक नाविक कल्याण निधि स्थापित की गई है। इसे सरकार चलाती है। सरकार भारतीय नाविकों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाने पर विचार कर रही है। अन्तर्देशीय जल परिवहन का भी उल्लेख किया गया है। इस संबंध में भगवती आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है अन्तर्देशीय जल परिवहन हेतु कुछ नदी मार्गों को काम में लाने पर बहुत पूंजीगत व्यय करने की जरूरत पड़ेगी। यह भी निश्चित नहीं है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा परिवहन लागत परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सस्ती होगी या नहीं। अत: यह पूंजी व्यय को तुलनात्मक लागतों का प्रश्न है।

जहां तक पत्तनों का संबंध है हमारे देश में प्रत्येक सामुहिक राज्य में व्यवहारिक रूप में एक एक बड़ा पत्तन है। हल्दिया, मद्रास, विभाग और मरमूगांव में कुछ बड़ी योजनाएं शुरु की गई हैं। मरमूगांव पत्तन के बारे में पूरा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। पत्तन पर कार्य हो रहा आशा है इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा।

छोटे पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटे पत्तनों की कुछ विकास संबंधी योजनाएं केन्द्रीय सरकार ने पूरी की थी। किन्तु योजना आयोग का यह विचार है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ से छोटे पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

61 वां प्रतिवेदन

श्री राजदेव सिंह (जौनपुर) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 61 वे प्रतिवेदन से जो 31 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सराकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 61वें प्रतिवेदन से, जो 31 मार्च, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

संविधान में परिवर्तन के बारे में संकल्प

RESOLUTION *RE*-CHANGES IN THE CONSTITUTION

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री के० पी० उन्नीकृष्णन, द्वारा 30 जनवरी 1976, को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर आगे विचार करेंगे :

> "गत 25 वर्षों के दौरान भारत के संविधान के कार्यकरण के अनुभव तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के कार्यों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इस सभा की राय है कि देश के संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अतः यह सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह संविधान में, विशेषतया सम्पत्ति के अधिकारो के स्वरूप में, संशोधन करने के लिए और संसद की प्रभुसत्ता, संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, हरिजनों तथा देश के अन्य शोषित वर्गों के उचित अधिकारो को अक्षुण्ण रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट सिद्धातों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को यथार्थ रूप देने के लिए कदम उठाए।"

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए]

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the chair*]

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : कुछ दिन पहले इस सभा के वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि जहां तक संकल्प का सम्बन्ध है इसका मसौदा बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है। संकल्प के पहले भाग के बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कहा गया है कि गत 25 वर्षों के दौरान भारत के संविधान के कार्यकरण के अनुभव तथा सामाजिक पुनर्निर्माण कार्यों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इस सभा की राय है कि देश के संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संविधान में परिवर्तन करने के बारे में सबकी एक ही राय है प्रत्येक साधारण व्यक्ति यह महसूस करता है कि संविधान में सशोधन किए जाने चाहिएं।

बार कौंसिल भी संविधान में परिवर्तन के पक्ष में है। उन्होंने अपने सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया कि संविधान में समुचित उपबन्ध बनाए जाए और राज्य के नीति निदेशक सिद्धातों के कार्यान्वय, में मूलभूत अधिकार बाधक नहीं बनने चाहिए और कानूनों की व्याख्या करने में राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों को महत्व दिया जाए।

हमारा संविधान 25 वर्ष पूर्व बनाया गया। इसे तैयार करने में संविधान निर्माताओं ने काफी परिश्रम किया, सारे विश्व के संविधानों की अच्छी बातें इसमें रखी गई। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ इसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। सम्पत्ति पर भी कुछ सीमा होनी चाहिए। हमने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। सरकार को सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। संविधान में यह भी जोड़ दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं रख सकता। सम्पत्ति का अधिकार होना चाहिए किन्तु इसकी कोई सीमा होनी चाहिए।

हम कानून बनाते हैं और सरकार उसका क्रियान्वयन करती है। हमने प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्रियों को यह कार्य सौंपा है। इसी प्रकार सरकार न्यायधीशों की नियुक्ति करती है और यदि हम आवश्यक समझें तो उन्हें बदल भी सकते हैं। कानून जनहित के लिए हैं और जनहित के लिए उनमें संशोधन किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं संकल्प का समर्थन करता

हूं। गत 25 वर्षों के दौरान जिस ढंग से संविधान ने कार्य किया है उससे हम यह महसूस करते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि जनसाधारण की दशा सुधारने में जो बाधाएं पैदा हो उन्हें हटाया जा सके। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि किस ढंग से इस कार्य को किया जाए। अतः मैं संकल्प का पूर्णतया समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : चूंकि इस संकल्प पर होने वाली चर्चा में काफी सदस्य भाग लेना चाहते हैं, अतः उन्हें अधिक समय दे पाना संभव नहीं है। मंत्री महोदय और प्रस्तावक के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक सदस्य को यह छह मिनट का समय दिया जाएगा सदस्य कृपया अपना भाषण निर्धारित समय के भीतर समाप्त करने की कोशिश करे।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मुख्य प्रश्न यह है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाए। संविधान को समय के साथ चलना चाहिए। एक अंग्रेज न्यायविद ने कहा था कि अन्य कानूनों की तरह विकासशील समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक है। हमारा संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। हमारे देश में जन आकांक्षाओं और न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के बीच टकराव रहा है। इसी तरह प्रतिक्रिया और प्रगति के बीच भी टकराव है। समाज के कमजोर वर्गों तथा समाज की प्रगति के लिए इस टकराव को दूर करना चाहिए। यही मूल प्रश्न है।

माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। संविधान में परिवर्तन के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। अनुच्छेद 32, 226, तथा 227 का संबंध भूमि संबंधी कानूनो से है। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनो से बचने के लिए इन अनुच्छेदों का सहारा लिया जाता है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। पूंजी एकाधिकार संबंधी अन्य अनुच्छेदों का संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि वे सम्पत्ति के मूलभूत अधिकार से सम्बन्धित हैं। यह अधिकार समाप्त किया जाना चाहिए तभी हम एकाधिकार को समाप्त कर सकते हैं।

श्री वयालर रवि : (चिरयिंकिल) : स्वतंत्रता आन्दोलन का सारभूत लक्ष्य यह था कि देश को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया जाए उन दिनों भी भारतीय समाज के दो वर्गों में परस्पर विरोध था। एक वर्ग वह था जिनकी समाजवाद के सिद्धान्तो में आस्था थी और दूसरे यथापूर्व स्थिति के पक्ष में थे। यह बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समय समय पर पारित किए गए संकल्पों से स्पष्ट होती है।

भारतीय संविधान इन दो वर्गों के बीच हुए समझौते का फल है। यह दोनों वर्ग परस्पर विरोधी हितों वाले थे और समझौते के फलस्वरूप मूल अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धान्तों को संविधान में रखा गया। 1950 में पटना उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को पावन मानते हुए जमींदारी उन्मूलन के प्रगतिशील विधान को रद्द कर दिया और कहा कि यह संविधान उन मूल अधिकारों, जिनका संबंध सम्पत्ति से है, के विरुद्ध है। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया। इसलिए ही जवाहर लाल नेहरू ने बाध्य होकर संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया। श्री जवाहर लाल नेहरू ने 1952 में कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त एक विशिष्ट लक्ष्य के प्रति सक्रिय कदम है। मूल अधिकार स्थिर हैं उनका उद्देश्य कुछ विशेष विधान अधिकारों की रक्षा

करना है। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गतिशील आन्दोलन और स्थिर धारणा एक दूसरे के अनुकूल नहीं बैठती। श्री जवाहर लाल नेहरू ने इस मूल दोष की ओर ध्यान दिलाया।

कांग्रेस का काम देश को जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी के समाजवाद के सिद्धान्तों पर चलाना है। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों से बढकर नहीं हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के आधार पर ही प्रगति हो सकती है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : मैं अपने विचार केवल संसद की सर्वोच्चता तक ही सीमित रखूंगा। एक लोकतंत्र देश में संसद ही एक ऐसा मंच है जिसमें जनता की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। अतः इसे सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि जनता के हित हेतु कानून बनाने के लिए संसद को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए।

संविधान सभा ने संविधान बनाया और लोगों ने इसे स्वीकार किया तब यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। अभाग्यवश उच्चतम न्यायालय ने इसका विरोध किया। गोलकनाथ के मामले में इसने कहा कि संसद मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती। इसने संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कोशिश नहीं की।

श्री जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि सम्भवतः इस सभा द्वारा बनाया गया संविधान आने वाली पीढियों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओ को पूरा न कर सके। यह सभा अगली पीढी के लिए बंधन नहीं बन सकती। अतः पं० नेहरु ने आने वाली परस्थितियों को अनुभव कर लिया था। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ के मामलें में कहा कि संसद मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकती। भारती के मामले में भी न्यायालय ने कहा कि संसद आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। आधारभूत ढांचे से उनका क्या तात्पर्य है यह समझ में नहीं आता।

सभापति महोदय : आप चार मिनट ले चुके हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मुझे एक और प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : अब आप न बोलें। श्री डागा।

Shri M. C. Daga (Pali) : It would have been better the mover of the Resolution had brought forward a concrete blll for constitutional amendment.

Every citizen of the country is in favour of change the constitution framers provided for Executive, Judiciary and Legislature. This Parliament has been enacting laws. We want to advance the country through the fundamental rights....(*Interruptions*).

Now we have experienced that we cannot enforce the directive principles of the Constitution through fundamental rights. We could not remove disparity between men and various sections of the Society within last 28 years for which we can not blame the constitution.

We should remove all the obstacles in the way of country's march towards socialism. We should not hesitate to amend such articles of the Constitution which have obstructed our march towards socialism.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराईच) : मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विधान द्वारा आमूल परिवर्तन करने का आह्वान कर रही हैं यद्यपि ऐसे विधान द्वारा संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों में कमी भी हो सकती है। यह परिवर्तन वांछनीय होगा लेकिन प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के नियम के अन्तर्गत क्या यह सदन उन आवश्यक मूल परिवर्तनों के लाने में सक्षम है । हमें हमेशा के लिए फ़ैसला कर लेना चाहिए कि देश में संसद और न्यायपालिका दोनों में से सर्वोच्च कौन हैं।

कुछ दिन हुए, अनेक उच्च न्यायालयों में कई राज्य सरकारों द्वारा अधिकतम सीमा के बारे में बनाये गये कानूनों के विरुद्ध दायर की गई हजारों याचिकाएं विचाराधीन पड़ी हैं। और सारे मामले पर निर्णय लिया जाना है । अतः न्यायालयों के याचिका क्षेत्राधिकार में भारी कमी की जाए ।

यदि अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत प्रदान किये गये नागरिक स्वतन्त्रता के अधिकार में कमी करने की आवश्यकता पड़े तो ऐसा किया जाना चाहिए । अतः सरकार को संविधान के वांछनीय परिवर्तनों के बारे में एक चर्चा शुरु करनी चाहिए । संविधान में कोई भी परिवर्तन करने से पहले संसद सदस्यों को आपस में विचार विमर्श करने का मौका दिया जाये ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : The mover of the resolution did a right job by bringing this resolution which seeks to amend the Constitution the question is whether our con stitution fulfill the new socio-economic aspirations and requirements of the country. I think that this constitution do not fulfill these requirements. There are various legal obstacle in removing the feudalism and thereby ameliorat-ing the plight of weaker sections of the society. We should change the constitution if it obstructs our drive toward removing feudalism.

This constitution is not able to protect the interest of farmers, agricultural labourers, harijan and tribals. It is necessary to alter the constitution with a view to strengthen the base of democracy.

We should also strengthen the forces of secularism. We should have a co nstitution which checks right reaction and suppress the anti-democratic forces. Wealth of the nation has concentrated in the hands of very few persons like Tata's and Birlas. All the defects of the constitution needs to be removed.

We have also the restrict the jurisdiction of the Judiciary. The Parliament has to define the term supremacy. The constitution should be amended so that interests of the weaker sections are protected.

We should provide for a anti-feudalist, anti-monopolist, anti-imperialist, anti- fascist and anti-communalist society for bringing about socialism in the country.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : (औरंगाबाद) : प्रस्तावक न्यायालयों के वर्तमान न्यायिक समीक्षा के अधिकारों को वापस लेना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि क्या न्यायालयों को ऐसा करने दिया जाय ।

विधान मंडल की सर्वोच्चता का प्रश्न उठाया गया है : संविधान में दिये गये अधिकारों से अधिक शक्तियों का दावा न तो संसद कर सकती है और न ही न्यायपालिका । ऐसा समझा जाता आ रहा है कि संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की समीक्षा एक ऐसे अंग द्वारा की जाये जो कार्यपालिका से बाहर हो। डा० अम्बेदकर और पंडित नेहरु भी न्याय-पालिका को सम्पन्न करने के पक्ष में थे। उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वह इस बात को देखें कि ज [illegible] कर बैठे।

सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति न होने के लिये हमें संविधान को दोषी नहीं ठहराना चाहिये। देश का सामाजिक आर्थिक ढांचे में परिवर्तन लाना सरकार का काम है। लेकिन सरकार की आदत अपने दोषों को दूसरे के सिर मंढ़ने की रही है। लोगों को संविधान में किये जाने वाले परिवर्तनों के बारे में बताना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जरुरी होता है और यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि इस प्रश्न पर राष्ट्रीयस्तर पर चर्चा न कर ली जाये। इस संबंध में सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरु करनी चाहिये और एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिस में पूरा, निर्भय और [illegible] विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। आज ऐसा वातावरण नहीं है।

अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के अधिकार वापस लेने की चर्चा भी हुई है। इस सम्बन्ध में एक उचित विधान बनाया जा सकता है कि सामाजिक—आर्थिक मामलों के बारे न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन नागरिकों की स्वतंत्रता पर उन्हें विचार करने की अनुमति होनी चाहिये।

संकल्प स्वागत योग्य है। राष्ट्रीय स्तर पर इस चर्चा कराई जाये और जनता के जो प्रतिनिधि जेलों में हैं उन्हें भी इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जाये ताकि चर्चा को अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह एक अच्छा प्रस्ताव है और इस के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह सुविचारित है। इस से पहले जब भी कोई संविधान संशोधन विधेयक लाया गया हम ने उसका समर्थन ही किया है। हम ने केवल उसी अवसर पर समर्थन नहीं किया जब वह संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था जिसमें एक व्यक्ति को ही विधान से सर्वोच्च बनाने का प्रस्ताव किया गया था। क्या वह सही दिशा में संविधान संशोधन था ?

लोगों को आंतरिक सुरक्षा के अन्तर्गत जेलों में भेजा जा रहा है । देश में लोगों का कोई अधिकार नहीं है। देश में कोई नागरिक आजादी नहीं है हम इस प्रकार के संशोधन नहीं चाहते। श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। जब लोगों की व्यक्तिगत आजादी खतरे में पड़ जाती है तो उसका पुनरावलोकन और अन्य शक्तियों का पुनरावलोकन करना आवश्यक हो जाता है। हम जानते हैं कि आपात स्थिति 1962 से 1968 तक

लगी रही और फिर 3 वर्ष के लिये कुछ राहत मिली। उसके बाद 1971 में जब यह सरकार गरीबी हटाओ का वचन देकर पुनः भारी बहुमत से संसद् में शक्ति में आई तो उस ने सब से पहले देश में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त किया और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम 1971 में पारित किया गया। उन्होंने गरीबी दूर करने के बजाये इस देश में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त कर दी और यह कानून निरंतर कठोर होता चला गया।

हमारे संविधान के आपातकालीन उपबंधों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है। प्रधान मंत्री ने संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रीय वाद-विवाद के लिये कहा है। वामपंथी दल कलकत्ता में एक रैली का आयोजन करना चाहते थे जिस में इस संबंध में वाद-विवाद करना चाहते थे। लेकिन सरकार ने हमें इस की अनुमति नहीं दी।

न्यायपालिका में अनेक त्रुटियां हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। संविधान के एक विशेष उपबंध के अन्तर्गत न्यायपालिका ने गोलखनाथ मामले पर अपना निर्णय दिया था जिसे हम ने रद्द कर दिया है। क्या कोई विरोधी ऐसे कानून के बारे में बता सकता है जिसे उच्चतम न्यायालय ने 1971 से रद्द कर दिया है? अतः हमें ऐसा निष्पक्ष रूप में करना चाहिये। हम इस देश की जनता का कल्याण करना चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि यदि संविधान के किसी उपबंध से लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति न होती हो तो हमें उसे समाप्त कर देना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : प्रस्तावक इस प्रस्ताव को पेश करने के लिये धन्यवाद तथा बधाई के पात्र हैं। उच्चतम न्यायालय के इस नये निर्णय को दृष्टि में रखते हुए आवश्यक हो गया है कि इस न्यायालय द्वारा नियम 368 के अधीन प्रयोग किया जाने वाला अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कि सरकार संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर संविधान के किसी अनुच्छेद का संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान का मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिये। इस बाधा को दूर करना है।

जहां तक सम्पत्ति के अधिकार का संबंध है अनुच्छेद 31(ख) में बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार किसी भी कानून को चाहे वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो अथवा नहीं, नवम अनुसूची में शामिल करने से संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, चाहे उससे मूलभूत अधिकार प्रभावित होते हों। अनुच्छेद 31 (ग) के उपबन्धों के अनुसार निदेशक तत्वों

के दायित्वों को पूरा करने की घोषणा करके किसी भी अनुच्छेद का संशोधन कर सकती है। परन्तु मेरे विचार में इस बारे में सब से महत्वपूर्ण और मौलिक बात संसद् की संवैधानिक शक्ति है। न्यायपालिका द्वारा इस शक्ति को समाप्त करने का प्रयास राष्ट्र की प्रगति के विरुद्ध है। इसी लिये यह चर्चा आरम्भ की गई है।

श्री उन्नीकृष्णन ने अपने संकल्प में कहा है संसद् को प्रभुसत्ता संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, हरिजनों तथा देश के अन्य शोषित वर्गों के उचित अधिकारों को अक्षुण्ण रखते हुए संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट सिद्धान्तों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को यथार्थ रूप देने के लिये कदम उठाये जायें। जब अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, हरिजनों तथा देश के अन्य शोषित वर्गों के हित को ध्यान में रखा जाता है, तो मैं नहीं समझता कि शेष क्या रह जाता है। जहां तक सम्पत्ति अधिकारों का संबंध है अनुच्छेद 31(ख) और 31(ग) मौजूद हैं। अन्य संशोधन किये जा सकते हैं। किसी भी मूलभूत अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की गहराई से जांच की जाये। परन्तु एक बात स्पष्ट है कि संसद की संवैधानिक शक्ति सर्वोच्च है। इस बारे में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। संविधान का निर्वाचन करने की शक्ति संसद में है न कि न्यायपालिका में। न्यायधीश सुब्बा राव के इस कथन को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उच्चतम न्यायालय के विनिर्णय से संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। संविधान में परिवर्तन करने की उच्चतम शक्ति केवल संसद् में निहित है तथा इस समूचे मामले का निचोड़ यह है कि संसद् की इस उच्चतम शक्ति को पुनः स्थापित किया जाये। उच्चतम न्यायालय इस अधिकार का निरसन नहीं कर सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने वयक्तिक स्वातंत्र्य की बात कही थी। वक्तिक स्वातंत्र ने अबाध लाइसेंस का रूप धारण कर लिया था और उसी के कारण आपात की घोषणा करनी पडी।

श्री सिन्हा ने न्यायपालिका के बारे में कहा था यह वही न्यायपालिका है कि जिस ने शंकरी प्रसाद के मामले में कहा था कि मूलभूत अधिकारों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता और बाद में कहा था कि परिवर्तन किया जा सकता था। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायपालिका की समझदारी परम पावन और अपरिवर्तनीय है वास्तव में जनता की सामूहिक समझदारी, सामूहिक इच्छा, सामूहिक अभिनिर्णय तथा सामूहिक

न्याय ही परमपावन है। न्यायपालिका जब इसे स्वीकार कर लेगी तो देश में यह विवाद ही समाप्त हो जायेगा। यदि न्यायपालिका इसे स्वीकार नहीं करती तो उसे उसको वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिये कदम उठाने ही होंगे और संसद् की सर्वोच्च सत्ता पुनः स्थापित करनी होगी।

Shri Nar Singh Narain Pandey (Gorakhpur): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to Shri Unnikrishnan for bringing this Resolution in the House, as t provides an opportunity to give a new look to the Constitution in accodance with the present circumstances which are changing at a very rapid speed. It is a different matter whether we agree to the Resolution or not but it is evident that now a situation has come when we should think about the Constitution *de movo* so as to amend it according to the changed circumstances of the country.

The Constitution was made in accordance with the circumstances that prevailed at the time we attained independence. Now the circumstances have changed altogether and we have since made 39 amendments in the Constitution. When we talk about changing the Constitution *de novo* we mean that the Constitution should be amended in such a way that it may serve the present changed needs of the country.

[**श्री सी० एम० स्टीफन** पीठासीन हुए।
SHRI C. M. STEPHEN *in the Chair*]

A reference was made by my hon. friend Shri Anthony about the basic features of the constitution. To my mind the basic features of the Constitution means that it should be able to meet the aspirations of the millions and millions of masses.

There are two types of citizens in the country-firstly there are those who are educated in public school in air conditioned building having every facility at their Command and the others are those who had their schooling in the villages in the absence of so essential facilities as books and proper clothing etc. If you want to prepetuate the present system of education, then this gulf between the haves and have nots can not be embridged. The people who talk about the fundamental right are actually those who refuse to recognise the revolution that is taking place in the country. Today the common man wants that the basic structure of the Constitution should be changed, the fundamental rights should be changed and the property rights should be changed so that a new Social order could be brought about in the country. Let this Parliament sit as a Constitutional Assembly and reconsider the whole structure of the Constitution in the light of the changed circumstances.

श्री गिरिधर गोमांगों : (कोरापुट). मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। यह जीवन का शाश्वत सत्य है कि परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। हम में देश की और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिर्वतन हो रहा है। मैं समझता हूं कि अब संविधान में परिवर्तन करने का समय आ गया है, जिस से कि अधिनियमों, विनियमों तथा संविधान में व्याप्त खामियों को पूरा किया जा सके। 1947 का भारत और 1976 का भारत भिन्न है। यदि हम इसी बात पर अड़े रहें कि हम कोई परिर्वतन नहीं करेंगे तो हम कूएँ के मेंढक की तरह ही रहेंगे।

कुछ क्षेत्रों के अनुसूचित सूची में शामिल करने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों को अनुसूची में शामिल न करना पिछड़े समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास में बाधा डालना है। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों अथवा राजपत्रित अधिकारियों का संबंध है; उन के अधिकार कर्तव्य और दायित्व परिभाषित हैं। परन्तु जन प्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारियां हैं ? उन के क्या कर्तव्य हैं ? जन प्रतिनिधियों के कर्तव्यों और उन की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाना चाहिये।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, the question for whom the Constitution is there and why we want to make changes therein? The capitalists and the lawyers who have amassed huge property are creating a misunderstanding that we want to wreck the Constitution. But that is not so. We do not want to do away with the democractic traditions of the country. We simply want certain amendments in the Constitution to check concentration of wealth. We do not want to abolish the property rights. We do not support any change in the basic struture of the Constitution. We do not want to have Presidential form of Government. The Prime Minister has repeatedly said that what ever changes are to be made in the Constitution, they will be made to achieve the objectives laid down in the directive principles, with the general concensus of the people.

The opposition parties have made much noise about the changes in the Constitution. They allege that she wants to bring dictatorship by doing away with the democracy. But she has made it clear that these allegations are baseless. We do not want to create disorder by tearing down the Constitution. We want to amend only those articles of the Constitution which obstruct the achievement of our objectives. We do not want to abolish the autonomy of the States or the federal system of Government. We do not not want to abolish courts but it is certainly essential to curb their jurisdiction of writs. We look forward to bringing socialism in the country. Where every citizen could earn his bread and live happily. To achieve that, whatever changes in the Constitution are necessary, they must be done.

श्री अमर नाथ विद्यालंकर (चण्डीगढ़) : मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं परन्तु समाज के बिना मौलिक अधिकार क्या हो सकते हैं ? समूचे अधिकार समाज के अन्दर ही हो सकते हैं। जो लोग मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, वे समझते हैं कि समाज एक जड़ वस्तु है, जब कि समाज परिवर्तनशील है और यदि समाज परिवर्तनशील है, तो मौलिक अधिकार वैसे के वैसे कैसे रह सकते हैं। उन्हें भी समाज में परिवर्तन के साथ बदलना होगा।

सम्पत्ति के अधिकारों में परिवर्तन आता रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। हर समाज में, हर समुदाय में और हर देश में सम्पत्ति अधिकार बदलते रहे हैं। विष्णु पुराण में एक श्लोक आता है कि जो कोई अपनी उदरपूर्ति से अधिक वस्तुएं रखता है, वह चोर है। उसे दण्ड दिया जाना चाहिये। इस लिये सम्पत्ति के अधिकारों के बारे में हमारा वर्तमान दृष्टिकोण कोई नई बात नहीं है। जब समय-समय पर समाज बदलता रहा है, तो आज हमारे लिये यह कहने का कोई कारण नहीं है कि हमारा समाज जड़ है, हमारा संविधान जड़ है, हमारे, मौलिक अधिकार जड़ हैं और इन में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहते हैं कि हमारे समाज का ढांचा समाजवाद पर आधारित हो, तो हमें सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों में परिवर्तन करना होगा।

मैं श्री उन्नीकृष्णन के संकल्प का समर्थन करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण और सामयिक है। मैं समझाता हूं कि मौलिक अथवा अन्य अधिकारों के प्रकाश में ही संविधान का पुनरावलोकन नहीं किया जाना चाहिये, बल्कि अन्य मामलों को भी दृष्टि में रखा जाना चाहिये। संविधान में समय समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिये, ताकि समाज में प्रगति हो।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी बात है कि मेरे माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने यह संकल्प पेश करके संसद् को संविधान में परिवर्तन सम्बन्धी विवादास्पद और मौलिक प्रश्न पर ठण्डे दिमाग से विचार करने का अवसर प्रदान किया है।

जो देश गतिशील और त्वरित विकासशील लोकतंत्र होता है, उस देश का संविधान कभी जड़ नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में संविधान में, चाहे वह आरम्भ में कितना ही अच्छा रहा हो, इधर उधर परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। अतः परिवर्तन स्वतः जरूरी हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान के जनकों ने संविधान में अनुच्छेद 368 शामिल किया था, ताकि इस में समय और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किये जा सकें।

अब प्रश्न यह है कि ऐसा परिवर्तन या ऐसा वाद विवाद केवल संसद या केवल सत्ताधारी दल की परिधि में ही हो सकता है। प्रधान मंत्री, विधि मंत्री तथा अन्य जिम्मेदार व्यक्ति समय-समय पर कहते रहे हैं कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर सब को अपना मत व्यक्त करना चाहिये। परन्तु क्या वर्तमान परिस्थितियों में रेडियो, दूरदर्शन तथा जन सम्मेलनों के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर यथार्थ में कोई टिप्पणी की जा सकती है। जब तक सेंसरशीप के साथ आपात स्थिति रहेगी और स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति और विनति पर प्रतिबन्ध रहेगा, तब तक स्वतन्त्र वाद-विवाद का वातावरण नहीं बन सकता। अतः पूर्ण और स्वतंत्र वाद विवाद के लिये आपात स्थिति को यथा शीघ्र वापस लिया जाना चाहिये।

दूसरे हमें संविधान में ऐसे परिवर्तन ही करने चाहिये जिस से वह अधिक लोकतांत्रिक और व्यवहार्य बने।

तीसरे यदि संविधान को अधिक लोकतांत्रिक और लाभदायक बनाया जाना है तो ऐसे संशोधन नहीं किये जाने चाहियें, जिससे वह प्रगतिशील होने की बजाय पश्चगामी न बने। हमारे संविधान के डा० अम्बेदकर, पंडित जवाहर लाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद तथा सरदार पटेल जैसे महान निर्माता चाहते थे कि भारत में समतावादी समाज की स्थापना हो, गरीब जनता का जीवन स्तर सुधरे तथा उन का जीवन अधिक सुखमय हो। अब इसी प्रश्न को एक ढंग से मेरे माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने उठाया है। इस के दो प्रश्न है सम्पत्ति का अधिकार

तथा न्यायिक पुनरावलोकन । जहां तक सम्पत्ति के अधिकार का सम्बन्ध है कि सम्पत्ति पर सीमा लगाई जानी चाहिये और इस पर अधिकार पर कुछ प्रतिबन्ध होना चाहिये । परन्तु सम्पत्ति के अधिकार का पूर्णतया उन्मूलन करना संविधान के सामान्य सिद्धान्तों और उस की भावना के अनुकूल नहीं होगा ।

जहां तक न्यायिक पुनरावलोकन का सम्बन्ध है, इस ने हमें इस मूलभूत लोकतांत्रिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने का अवसर दिया है । अतः इस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं श्री उन्नीकृष्णन के संकल्प का समर्थन करता हूं । यह संकल्प संविधान के वर्षों के कार्यकरण के बाद की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करता है । प्रभुसत्ता देश की जनता में निहित है तथा जनता की भावना ही सर्वोच्च होती है । अब देखना यह है कि क्या हमारा वर्तमान संविधान वास्तव में जनता की इच्छाओं का प्रतीक है ? इस प्रश्न पर बड़े ध्यान से विचार किये जाने की आवश्यकता है । जनता अब यह चाहती है कि संविधान में संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक हो गये हैं । भारतीय संविधान में कुछ सीमा तक कठोरता है ।

यद्यपि संसद की सर्वोच्चता के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यायालयों ने इसे चुनौती दी है । न्यायपालिका की शक्तियां और कार्य संविधान में वर्णित हैं । कभी-कभी तो ये सामाजिक-आर्थिक संरचनात्मक परिवर्तन सम्बन्धी हमारी विचारधारा से टकरा जाते हैं । इस सम्बन्ध में व्यवहार्य चर्चा वही है जिस से हम संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में पुनर्विचार करें जो कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए संविधान में अनिवार्य हैं । सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तन किये जाने चाहियें ।

Shri Satpal Kapoor (Patiala) : The past experience in the working of Constitution showed that basic changes are necessary in the Constitution. It is wrong to say that if Article 149 is deleted, the entire judiciary of the country will become ineffective. Parliament has no right to interpret the laws enacted by themselves but it is the Supreme Court which has been vested with the right of interpretation. But it is wrong to say that whatever interpretation is given by the Supreme Court becomes the law of the land.

The Social changes that we intend to bring in can not be brought about till Article 226 is there in the Constitution. This Article should be amended so as to put some curbs on the rights of courts.

Similarly article 311 is very confusing. The bureaucracy in the country has been given so wide powers under the article, that it is not possible to bring in any Social change in the country. It is also very essential to curb their rights.

Shri R. P. Yadav (Madheopurra) :o The resolution under discussion is very time and essential. Our Constitution today does not reflect the aspirations of the people. All progressive measures are today being struck down by the Courts in the name of Constitutional action.

As regards property rights the land belongs to people and it has not still been decided whether Government can distribute land or not because thousands of cases of land ceiling are pending in courts. Certain people create impediments in bringing about changes in the Constitution, saying that Constitution does not provide for them. Such obstructions should be removed.

Our Constitution mentions about the rights but it is silent as regards the corresponding duties. Constitution allows certain kinds of freedom but some reasonable restrictions must be imposed on them. Our Constitution cannot be rigid.

श्री वा किवतिनन (शिवगंज) : यह संकल्प पेश करने से संसद सदस्यों को संवैधानिक संशोधनों के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर मिला है। हमने सभी प्रगतिशील विधानों का समर्थन किया है। 1971 के पश्चात् सरकार ने देशवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कोई संवैधानिक विधान पेश नहीं किया है। यदि सभा में इस तरह का कोई संवैधानिक संशोधन पेश किया जाये तो हम उसका पूरी तरह समर्थन करेंगे।

प्रस्तावक दो मामलों में संवैधानिक संशोधन चाहता है। एक सम्पत्ति अधिकार के बारे में हैं और दूसरा संविधान के प्राक्कथन तथा निदेश सिद्धान्तो को सार्थक ढंग से उपयोग में लाने के बारे में।

प्रस्ताव संसद की सर्वोच्चता एक संघीय ढांचा, अल्प संख्यकों जनजातियों तथा अन्य दलित वर्गों के वैध अधिकार चाहता है। यह सही है कि कानून सभी प्रकार के समृद्ध लोगो के लिए अपने हितों की रक्षा करने का साधन बन गया है। क्योंकि वे धन की सहायता से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सेवा ले सकते हैं किन्तु समाज के कमजोर वर्ग इसके लिए इतना धन व्यय नहीं कर सकते। अतः धन का किन्हीं थोड़े से लोगों के हाथो में संकेन्द्रण को रोकने तथा विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सम्पत्ति का मौलिक अधिकार संविधान से हटा दिया जाये।

भारतीय संविधान के कार्यकरण की पुनर्विक्षा करने तथा गत 25 वर्षों में अनुभव की गई कठिनाइयों को हटाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु यह याद रहे कि संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप बना रहे। हम संवैधानिक परिवर्तनों के पक्ष में हैं। अतः समाजवादी नीतियों के कार्यान्वियन के लिए यदि संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो में उनका स्वागत करूंगा। किन्तु संविधान का मूल भूत ढांचा जैसे कि संसदीय प्रणाली की सरकार तथा इसका संघीय स्वरूप वैसे का वैसा

ही रहे। मूलभूत ढांचे से मेरा अभिप्राय विधान मंडल, कार्य पालिका तथा न्यायापालिका से है। संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं होना चाहिए जो कि केवल देश की संसदीय प्रणाली को चलाने के लिए आवश्यक कानून निर्धारित करें। यह एक सजीव उपकरण हो और परिस्थितियां बदलने के साथ-साथ 20 या 25 वर्षों के अन्तराल के बाद इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि यह देशवासियो की आवश्यकता के अनुकूल हो।

संघवाद तथा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। संविधान लागू करने के पश्चात् केन्द्र ने राज्य सरकार की सामान्य नीतियों पर ही नहीं अपितु पूर्णतया राज्यों से सम्बन्धित नीतियों पर भी अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। राज्यों पर अपना नियंत्रण रखने के फलस्वरूप उनकी स्वायतता प्रभावित हुई है। केन्द्र द्वारा राज्यों की कराधान शक्तियों को कम करने पर आपत्ति व्यक्त की गई है।

सभी संवैधानिक मामलों को हल करने के लिए संविधान को एक प्राधिकार की आवश्यकता है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता से कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। यह प्रणाली जारी रहनी चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर (हमीरपुर): संविधान लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। हमारे संविधान में न्याय को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अत: संविधान में सुधार एक या दो अनुच्छेदों को लेकर नहीं किया जाना चाहिए अपितु पूरे ही संविधान को बदला जाना चाहिए। ऐसा करते समय हमें संविधान सभा द्वारा अपनाई गई भावना को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।

जब तक न्यायालयों में अनुच्छेद 329 के अन्तर्गत प्रत्येक चुनाव को चुनौती देने की व्यवस्था है, तब तक संसद् को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है। अत: अनुच्छेद 329 का विस्तार किया जाये तथा भाग (क) का लोप कर दिया जाये तथा सदन की प्रभुसत्ता और लोगों की इच्छा बनाये रखी जाये। चुनाव प्रक्रिया को हमेशा के लिए न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाये।

अनुच्छेद 368 के उपबंधो के अनुसार संविधान में संशोधन इस प्रकार किया जाये जिससे कि संविधान से संसद् की सर्वोच्चता परिलक्षित हो और समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो।

अनुच्छेद 371(च) के बाद नया अनुच्छेद 371(छ) जोड़ा जाये और इसके द्वारा संसद् और सरकार को समूचे देश के समान विकास के लिए पर्याप्त धन देने के लिए बाध्य किया जाये।

मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि समूचे संविधान में इस प्रकार परिवर्तन किये जायें जिससे समय की आवश्यकता और लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों।

श्री के० नारायण राव (दोबिल्ली) : हमारी प्रधान मंत्री ने सविधान में परिवर्तन किये जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने का सुझाव दिया है।

यह चर्चा संविधान के किसी विशेष उपबन्ध का अध्ययन किये जाने तक ही सीमित नहीं है वरन् इसके गत 25 वर्षों के कार्यकरण का अध्ययन करना है। हमें यह देखना है कि किस विशेष विधि के संदर्भ में संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान बनाते समय कुछ सीमाएं थीं। उस समय की राजनीतिक तथा वैधानिक विचारधारा आज से पूर्णतया भिन्न थी। उस समय समाजवादी देशों का विकासशील देशों पर कोई प्रभाव नहीं था। अब हमें इन बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही संविधान में परिवर्तन करने पर विचार करना है।

मुख्य प्रश्न यह है कि संविधान में संशोधन करने में हम कहां तक बढ़ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद् संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकती। माना कि हमें मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करना पड़े फिर क्या होगा ? हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें कुछ मूल ढांचीय परिवर्तन करने की जरूरत है और वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत हम ऐसा नहीं कर सकते। अतः हमें नये उपबन्ध करने हैं।

हमें संविधान में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। एक या दो उपबन्धों का संशोधन करने का कोई लाभ नहीं। हमें एक नया ही संविधान बनाना चाहिए जिससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कठिनाइयां पैदा न कर सकें।

सभापति महोदय : अभी दो और सदस्यों ने भाषण देना है और उसके बाद माननीय मंत्री तथा श्री उन्नीकृष्णन बोलेंगे। हम आधे घंटे और बैठेंगे।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : The Constituent Assembly was not a fully representative body of our people. The present Lok Sabha has been elected on the basis of adult franchise and therefore, it is much more representative. It has every right to amend the Constitution.

The Constitution was enacted with a view to bring peace and prosperity to our people. But it has belied our expectations. The rich are becoming richer and the poor poorer. The disparities between haves and have nots increased with the passage of time. Therefore, people do not subscribe to the present Constitution. They want that the Constitution should be amended drastically.

If the Constitution does not bring in the desired results, the representatives of the people have every right to change the entire Constitution.

Dr. Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : Our Constitution has not fulfilled the expectations and aspirations of our people. If we want to create a new Social order where there will be no place for Communnalism, regionalism, linguism and casteism etc. the present Constitution has to be changed drastically. I, therefore, support the Resolution.

The present Constitution has failed to bridge the gulf between the haves and have-nots ; it does not help the poorer sections of our society to come up to the level of their fortunate brethren. Instead the disparity between the rich and the poor has increased. The present Constitution has failed to remove our economic, Social and Political evils. Therefore, drastic changes are required to be made in the Constitution.

Constitution have created hurdles in the way of many progessive legislations, which the Government want to enact. Many land reform measures have been delayed because of the Constitutional provisions.

This Constitution has also failed in ameliorating the lot of Scheduled Castes and scheduled tribes people, the backward classes and persons who belong to minority communities. The present provisions have proved ineffective in bringing any spectacular change in their living conditions. Therefore, if we really wish to improve the lot of those Communities the present Constitution has to be amended drastically.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : प्रथम और मुख्य प्रश्न संसद् की सर्वोच्चता का है। भारत की जनता और इसलिए यहां बैठे भारतीय जनता के प्रतिनिधि इस सिद्धान्त में किसी प्रकार का परिवर्तन सहन नहीं कर सकते कि इस देश में संसद् सर्वोच्च है तथा किसी भी अन्य निकाय को, चाहे वह कितना भी उच्च क्यों न हो उस सर्वोच्ता को पाने का अधिकार नहीं है। संसद् की सर्वोच्चता का अर्थ है उसका वैधानिक कार्यों के सम्पादन में सर्वोच्च होना। इसमें उसका संविधानिक शक्ति अर्थात् संविधान का संशोधन भी शामिल है।

यह कह कर लोगों को डराने का प्रयत्न किया गया है कि यदि संसद् को विधान में परिवर्तन करने की अनुमति दी गई तो अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों और अन्य धर्मावलम्बियों का क्या होगा ? कभी भी किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई कि संविधान के धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक और जनतांत्रिक रूप में किसी भी समय कोई परिवर्तन किया जाये। और न ही ऐसी कोई इच्छा है कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अंतर्गत जो वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं उन्हें समाप्त किया जाये।

प्रत्येक व्यक्ति ने यह कहा है कि न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार और शक्तियों पर पुनर्विचार किया जाये। किसी ने भी कभी यह नहीं कहा कि अदालतों को बन्द कर दिया जाये, न्यायपालिका को समाप्त कर दिया जाये अथवा न्यायपालिका को कतिपय मामलों का पुनरीक्षण करने के सक्षम बनाया जाये। परन्तु देश भर में यह आम राय व्यक्त की गई है कि गत 26 वर्ष के अनुभवों के आधार पर वह समय आ गया है कि न्यायलयों द्वारा की जाने वाली न्यायिक समीक्षा के अधिकार और क्षेत्र पर फिर से विचार किया जाये। इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय नहीं रहेंगे तथा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकेगी। संविधान में कोई भी संशोधन करते समय निस्सन्देह इस बात पर विचार किया जायेगा कि क्या न्यायिक समीक्षा के अधिकारों से सम्बन्धित अनुच्छेदों में उचित परिवर्तन किया जाये जिससे कि भूतकाल में अटकाये गये रोड़े और रुकावटें भविष्य में सामने न आने दी जायें।

मैं इस मामले पर पहले ही से निर्णय देना नहीं चाहता। यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में मात्र वकीलों को ही यह कहने का अधिकार नहीं है यह किया जाये अथवा यह न किया जाये। अध्यापक, प्रोफेसर, लेखक, कलाकार तथा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को यह कहने का अधिकार है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तभी यह चर्चा अर्थपूर्ण और प्रभावशाली हो सकती है। हमारे दिमाग में कुछ बातें हो सकती हैं परन्तु हम लोगों के विचार इस सम्बन्ध में जानना चाहते हैं और इस पर बहस करना चाहते हैं।

निर्वाचक सूची बनने के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है। हम इस पर अलग से विचार करेंगे।

इस संकल्प से सदन को ऐसे महत्वपूर्ण और मूलभूत विषय पर चर्चा का अवसर मिला है जो देश भर में इस समय चर्चा का विषय है। संकल्प का कार्य सिद्ध हो गया है क्योंकि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो सकी है। यदि संसद् इस सम्बन्ध में संकल्प पारित कर देती है तो पहले ही चर्चा पर रोक लगा देते हैं। अतः प्रस्तावक संकल्प वापिस ले लें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : इस संकल्प को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा इस सदन में शुरू करने का था। मूलतः मेरा विचार संविधान के ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता और वांछनीयता पर उचित ध्यान देना था। इसी कारण मैंने किसी विशेष बात पर जोर नहीं दिया।

संविधान का आधार राजनीतिक होता है। संविधान की वैधता न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर है। विधान और संविधान के लिए भी सबसे महत्व की बात है इसकी सामाजिक स्वीकृति। यदि संविधान को स्वीकार नहीं किया जाता तो यह वैध नहीं रह सकता। अतः हमें समय के साथ संविधान में परिवर्तन करते चलना होगा जिससे इसे सामाजिक मान्यता मिलती रहे।

मैं न्यायपालिका को समाप्त नहीं करना चाहता। परन्तु हमें न्यायिक समीक्षा के मापदण्ड स्थापित करने होंगे और यह भी तय करना होगा कि न्यायपालिका किस सीमा तक जाये। इस पर कुछ सीमाएं लगाई जानी चाहिए। अतः अनुच्छेद 32, 141, और 226 पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए।

सम्पत्ति के अधिकार का प्रश्न उठाया गया है। मेरा विचार यह नहीं था कि सम्पत्ति का कानूनी अधिकार नहीं होना चाहिए। सम्पत्ति का कानूनी अधिकार निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरा कहना मात्र इतना था कि सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों के अध्याय में रखना अनावश्यक है। इसे उस अध्याय से निकाल दिया जाये क्योंकि सम्पत्ति का अधिकार सामाजिक प्रक्रिया है तथा इसका विनियमन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

हम योजना आयोग और वित्त आयोग को मिला सकते हैं तथा योजना आयोग को संविधान में स्थायी स्थान दिया जाये।

स्वायत्तता की मांग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। संविधान के सम्बन्ध में संघ शब्द का एक विशेष महत्व है। इसलिए स्वायत्तता की मांग उचित रूप में और संघ की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। राज्यों को अधिक शक्तियां दी जायें परन्तु कुछ क्षेत्रों में संघ को अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हम देश में एकता चाहते हैं पर यह नहीं कि विचारों की विभिन्नता समाप्त हो जाये।

हमारे संविधान में मूलभूत कर्तव्यों का भी एक अध्याय होना चाहिए। संविधान में परिवर्तन के अलावा इसको प्रक्रिया के नियमों को भी बदलना होगा। हर बात पर विचार करना पड़ेगा।

माननीय विधि मंत्री के अनुरोध पर मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं और एक बार फिर उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया।

सभापति महोदय : क्या सभा चाहती है कि माननीय सदस्य को उनका संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाये।

माननीय सदस्य : हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The resolution was by leave, withdrawn.

बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में संकल्प

RESOLUTIONS *RE.* MULTINATIONAL CORPORATIONS

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कई देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों की विध्वंसक तथा भ्रष्ट गतिविधियों के हाल के रहस्योद्घाटनों को दृष्टि में रखते हुए यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि इस खतरे के प्रति, जो समस्त विकासशील देशों के समक्ष मौजूद है, पूर्ण सतर्कता बरती जाये तथा विदेशी विशेषतया अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगमों को देश के आर्थिक जीवन में प्रविष्ट न होने देने के लिए कारगर उपाय किये जायें।"

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन आरम्भ कर सकते हैं।

श्री ी० वी० नायक (कनारा) : श्रीमन्, मेरा एक संशोधन है।

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन उनके भाषण के बाद पेश कर सकते हैं।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 5 अप्रैल, 1976/16 चैत्र 1898 (शक) के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till 11 o clock on Monday, the 5th April, 1976/Chaitra 16, 1898 (*Saka*).

GMGIPND—L—1017—LS—14-8-76